सिविल सर्विसेस मासिक

CHAHAL ACADEMY
LEARN TODAY! LEAD TOMORROW!

सितंबर 2020

सिविल सर्विसेस परीक्षाओं के सभी समाधान एक स्थान पर

- अदालत की अवमानना
- राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (जीएसटीआर–2बी)
- स्वनिधि संवाद
- वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020
- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना (पीएबीजेबी)
- नशामुक्ति भारत अभियान
- क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी
- भारत के पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल A-SAT पर "मेरा टिकट"
- पहला भारत–फ्रांस–ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता
- क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क (सीएससीएएफ) 2.0
- प्राचीन भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए समिति
- उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु विषुव
- प्रश्नकाल और शून्यकाल
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नैतिक संहिता
- कुरुक्षेत्र का सारांश – अक्टूबर 2020
- योजना का सारांश – अक्टूबर 2020

विषय–सूची

प्रारंभिक परीक्षा

राज्यव्यवस्था एवं शासन

न्यायालय की अवमानना 1
लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2
जम्मू और कश्मीर– एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी सिस्टम (JK- I&GR) 2
एमनेस्टी इंटरनेशनल 2
राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली 4

अर्थव्यवस्था

जीएसटीआर – 2 बी 3
स्टार्ट–अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP) 4
स्वनिधि सम्वाद 4
वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 5
सरोद–बंदरगाह 6
त्रिपुरा में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) 7
'वाईएसआर आसरा' योजना 7

समाज एवं स्वास्थ्य

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) 8
राष्ट्रीय पोषण माह 8
हेल्पलाइन 'किरण' 9
नशा मुक्त भारत अभियान 10
विश्व रेबीज दिवस 11

विज्ञान प्रौद्योगिकी

क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी 11
रोबोट रक्षक 12
राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन 12
जिज्ञासु कार्यक्रम 13
भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल A-SAT पर 'माई स्टैम्प' 14
i-ATS (स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण) 15
स्कवेयर किलोमीटर एरे (SKA) 15
मिसाइल लक्ष्य वाहन ABHYAS 16
हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप 17

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

क्यूशू द्वीप 17
पहला भारत–फ्रांस–ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता 18
भारत युएन वुमेन का सदस्य बना 19
सूचना के लिए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDUAI) 20

भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितकी

उकाई बांध 20
ब्लू स्काई के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21
क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क (CSCAF) 2.0 21
जैव विविधता सूचकांक मानचित्र 22
इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन–अप डे 22

इतिहास, कला एवं संस्कृति

शिक्षक दिवस 23
हिंदी दिवस 23
प्राचीन भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए समिति 24

मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन – I

रोगन कला 25
मेडिकेन्स 26
उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु विषुव 27
हरिजन सेवक संघ 27

सामान्य अध्ययन – II

प्रश्नकाल एवं शून्यकाल 28
जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा बिल 2020 29
दोहा में इंट्रा–अफगान वार्ता 31
होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का बिल है 32
भारत जिबूती आचार संहिता/जेद्दा संशोधन में शामिल होता है 33
रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI) 34
कराधान एवं अन्य कानून (कुछ प्रावधानों का संशोधन एवं छुट) विधेयक, 2020 36
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य की स्थिति संहिता, 2020 38
किसानों का उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश, 2020 40

सामान्य अध्ययन – III

भारत की जीडीपी विकास दर 23.9% है 41
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 43
भारत–जापान रसद समझौते पर हस्ताक्षर 44
EASE 2.0 इंडेक्स परिणाम 45
इंडियन ब्रेन टेम्प्लेट्स 47
बहु–आयामी गरीबी सूचकांक 2020 49
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणन 50
दुसरा सीरो सर्वेक्षण रिपोर्ट 53

सामान्य अध्ययन – IV

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नैतिक संहिता 55

कुरूक्षेत्र पत्रिका ऑक्टोबर का सारांश – 2020 56

योजना पत्रिका ऑक्टोबर का सारांश – 2020 62

राज्यव्यवस्था एवं शासन

न्यायालय की अवमानना

समाचार –

- सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक अधिकारों के वकील प्रशांत भूषण को 'न्यायालय की निंदा' के आपराधिक अवमानना के दोषस्वरूप 1 रूपये के जुर्माने का दंड दिया।
- न्यायालय की निंदा से अर्थ उन बयानों या प्रकाशनों को से हैं जिनसे जनता में न्यायपालिका के विश्वास को कम करने का प्रभाव होता है।

न्यायालय की अवमानना की अवधारणा –

- अवमानना का तात्पर्य किसी न्यायालय की गरिमा या अधिकार के प्रति अनादर दिखाना है।
- न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 अवमानना को दीवानी एवं फौजदारी अवमानना में विभाजित करता है।
- दीवानी अवमानना का तात्पर्य किसी भी न्यायालय के आदेश की दृढ़ अवज्ञा से है।
- फौजदारी अवमानना में कोई भी कार्य या प्रकाशन शामिल है – (i) 'अदालत की निंदा करता है, या (ii) किसी भी न्यायिक कार्यवाही को पूर्वाग्रहित करता है, या (iii) किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है।

क्या, अदालत की अवमानना नहीं है?

- न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष एवं सटीक रिपोर्टिंग तथा किसी मामले की सुनवाई एवं निपटारे के बाद न्यायिक व्यवस्था की खूबियों पर निष्पक्ष आलोचना अदालत की अवमानना नही मानी जाती।

न्यायालय की अवमानना का वैधानिक आधार क्या है?

- जब संविधान अपनाया गया था, तो अदालत की अवमानना को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध की तरह लिया गया था।
- संविधान के अनुच्छेद 129 ने सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की है।
- अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालयों को एक समान शक्ति प्रदान की।
- न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 इस विचार को वैधानिक समर्थन देता है।

न्यायालय की अवमानना के तहत सजा –

न्यायालय की अवमानना के तहत सजा छह महीने तक की साधारण कारावास एवं/या 2,000 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरुस्कार 2020

समाचार –

- वायु सेना के खेल नियंत्रण बोर्ड ने खिलाड़ीयों को अपने संबंधित खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने तथा मजबूत खेल कल्याण उपायों को लागू करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए 'राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020' प्रदान किया गया।

विवरण –

- ये पुरस्कार देश एवं विशेष रूप से भारतीय वायु सेना में खेलों को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर प्रयासों के लिए दिए जाते हैं।
- एयर मार्शल एमएसजी मेनन, वायु अधिकारी–प्रभारी प्रशासन एवं अध्यक्ष, वायु सेना खेल नियंत्रण बोर्ड ने भारत के माननीय राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किया।

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरुस्कार –

- सरकार द्वारा देश में खेलों के विकास में कॉरपोरेट्स एवं खेल प्रोत्साहन बोर्डों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार योजना 2009 में शुरू की गई थी।
- केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की योजना को संशोधित किया था।

ये पुरस्कार निम्न चार श्रेणियों में दिये जाते है –

1. नवोदित/युवा प्रतिभाओं की पहचान एवं पोषण।
2. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन।
3. खिलाड़ियों को रोजगार एवं खेल कल्याण उपाय।
4. विकास के लिए खेल।

तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड

समाचार –

- देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी, मध्य प्रदेश के दिव्यांग–तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया को तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- उन्हें विश्व दिव्यांग दिवस पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्सपर्सन राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
- उन्हें मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार के साथ–साथ कई अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है।

केशवानंद भारती

समाचार –

- केशवानंद भारती स्वामीजी का निधन 06 सितंबर को हो गया।
- वे ऐतिहासिक 'मौलिक अधिकार' मामले में एकमात्र अनजाने याचिकाकर्ता थे।
- इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में माना जाता है क्योंकि यह 'मूल ढाँचें – संविधान की संरचना' जिसे संसद संशोधित नहीं कर सकती है, को निर्धारित करता है।

केशवानंद भारती –

- केशवानंद भारती 1961 से केरल के कासरगोड जिले में एडनीर मठ के प्रमुख द्रष्टा थे।
- 1970 में केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती मामले में उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही।
- केशवानंद भारती निर्णय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को रेखांकित किया है।
- न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना ने आधारभूत संरचना सिद्धांत के माध्यम से कहा कि संविधान में मूल आधार है।

- यह सिद्धांत भारतीय न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए विधेयकों एवं संविधान संशोधनों की समीक्षा एवं रद्द करने का अधिकार देता है।

'जम्मू एवं कश्मीर – एकीकृत शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली' (JK-I-GRAMS)

समाचार –

- जम्मू एवं कश्मीर के लेफ्टिनेंट–गवर्नर ने जम्मू एवं कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (JK–I-GRAMS) को लॉन्च किया, ताकि जनता के साथ एक इंटरफेस बनाया जा सके एवं केंद्रशासित प्रदेश में शासन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

विवरण –

- इस प्रणाली को तीन जिलों – जम्मू, श्रीनगर, एवं रियासी में पायलट आधार पर शुरू किया जा रहा है – एवं धीरे–धीरे 2 अक्टूबर तक शेष जिलों में लागू किया जाएगा।
- जिला कलेक्टर एवं उपायुक्त शिकायत प्राप्त करने, निपटाने एवं निगरानी करने के लिए प्राथमिक नोड होंगे।
- यह उसी उद्देश्य के लिए 2018 में लॉन्च किए गए पोर्टल की जगह लेगा। यह पोर्टल पर शिकायतों के नियमित अद्यतन प्रदान करके मौजूदा तंत्र को अधिक कुशल बनाएगा।

लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

समाचार –

- लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर को मनाया गया।
- **2020 का विषय –** कोविड–19 – ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी (लोकतंत्र की प्रमुखता)।
- लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें लोगों को अपने शासी कानून को चुनने का अधिकार है।

विवरण –

- लोकतंत्र दिवस की घोषणा के पीछे का विचार दुनिया भर में लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने एवं बनाए रखने के लिए है।
- अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस विश्व में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है।
- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 21 (3) में लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों के बीच की कड़ी को जोड़ा गया है।
- 15 सितंबर, 1997 को, 'लोकतंत्र पर सार्वभौमिक घोषणा' को अंतर–संसदीय संघ (IPU) – राष्ट्रीय संसदों के एक अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा अपनाया गया।
- 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया।

विश्व के निर्वाचन निकायों का संघ (A–WEB)

समाचार –

- भारत के चुनाव आयोग ने 21 सितंबर 2020 को कोविड–19 के दौरान, विश्व के निर्वाचन निकायों का संघ के अध्यक्ष के रूप में एक वर्ष पूरा होने पर, 'मुद्दे, चुनौतियां एवं प्रोटोकॉल विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया।

विवरण –

- यह भारत ए–वेब केंद्र द्वारा आयोजित पहली वेबिनार है।
- वेबिनार में दुनिया के 45 देशों के 120 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- भारत A–WEB केंद्र, विश्व स्तर के त्रैमासिक 'A–WEB India Journal of Elections' सहित कई प्रकाशनों एवं दस्तावेजों को लाने जा रहा है।

ए–वेब –

- एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (A–WEB) दुनिया भर में इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज (EMBs) का सबसे बड़ा एसोसिएशन है।
- वर्तमान में ए–वेब में सदस्य के रूप में 115 ईएमबी एवं एसोसिएट सदस्य के रूप में 16 क्षेत्रीय संघ/संगठन हैं।
- भारत का चुनाव आयोग (ECI) 2011–12 से A-WEB के गठन की प्रक्रिया के साथ बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है।
- ECI ने 03 सितंबर, 2019 को बेंगलुरु में A-WEB की चौथी महासभा की मेजबानी की एवं 2019–2021 के लिए A-WEB के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला।

अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस

समाचार –

- 18 सितंबर, 2020 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जा रहा है।
- इसे समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन के लिए उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है।
- यह मानव अधिकारों एवं महिलाओं के साथ भेदभाव सहित सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है।

विवरण –

- 15 नवंबर, 2019 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान दिवस के रूप में घोषित करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया।
- संकल्प कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पनामा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका एवं स्विट्जरलैंड के समर्थन के साथ समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन (EPIC) द्वारा पेश किया गया था। ईपीआईसी का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र महिला एवं भागीदारों द्वारा किया जाता है। इसका लक्ष्य महिलाओं के लिए समान वेतन प्राप्त करना है।
- पहले अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के अवसर पर, समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन (ईपीआईसी) सभी श्रम बाजार अभिनेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक आभासी वैश्विक कॉल टू एक्शन की मेजबानी करेगा ताकि विश्व भर में किए जा रहे प्रयासों के केंद्र में समान वेतन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा जा सके।

एमनेस्टी इंटरनेशनल

समाचार –

- एमनेस्टी इंटरनेशनल (AI) इंडिया ने भारत में अपने परिचालन को बंद करने का फैसला किया है।
- प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संगठन के खातों को फ्रीज़ करने के हालिया कदम के बाद यह निर्णय आया।

विवरण –

- सीबीआई ने 2019 में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के कथित उल्लंघन के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की थी।
- प्रवर्तन निदेशालय ने अब प्रारंभिक जांच को ईसीआईआर (एक एफआईआर के बराबर) में परिवर्तित कर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में बदल दिया है एवं एमनेस्टी इंटरनेशनल (AI) इंडिया के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है।
- ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम लागू किया है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल –

- एमनेस्टी इंटरनेशनल (AI) एक गैर–सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है जो मानव अधिकारों के लिए कार्य करता है।
- संगठन का मिशन एक ऐसी दुनिया के लिए अभियान चलाना है जिसमें हर व्यक्ति मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों में निहित सभी मानवाधिकारों का आनंद ले।
- एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं मानकों के अनुपालन के लिए मानवाधिकारों के हनन एवं अभियानों पर ध्यान आकर्षित करती है।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में लंदन में हुई थी।
- संगठन को 'नृशंस अत्याचार के खिलाफ मानवीय गरिमा की रक्षा' के लिए 1977 का नोबेल शांति पुरस्कार एवं 1978 में मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली

समाचार –

- जम्मू एवं कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया।
- बिक्री की खरीद–बिक्री/हस्तांतरण में लेनदेन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए मौजूदा मैनुअल पंजीकरण प्रणाली से एक बड़ी पारी को चिह्नित करना एवं स्टांप पत्रों को ई–टिकटों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो स्टॉकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समन्वय में शामिल किए गए हैं।
- यह राष्ट्रीय एकीकरण एवं "वन नेशन वन सॉफ्टवेयर" की ओर एक बड़ा कदम है।

राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली –

- सिस्टम को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विभिन्न प्रकार एवं विविधताओं को संबोधित करने के लिए तैयार किया गया था जिनमें राज्यों, प्रारूपों, भाषाओं, प्रक्रियाओं एवं सूत्रों के आधार पर भिन्नताएं हैं।
- सॉफ्टवेयर प्रवर्तन एजेंसियों एवं आम आदमी दोनों के लिए सूचना एवं डेटा तक 'कहीं भी पहुंच' को सक्षम बनाता है।
- यह प्रणाली अब तक तीन राज्यों अर्थात् पंजाब, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में अपनाई जा चुकी है। छह और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गोवा, बिहार, मणिपुर, झारखंड एवं मिजोरम प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं।

अर्थव्यवस्था

GSTR–2 बी

- यह नियमित करदाताओं के लिए एक नया स्टेटिक ऑटो–ड्राफ्ट स्टेटमेंट है जो जीएसटी पोर्टल पर पेश किया गया है।
- यह GSTR–2A के समान प्रत्येक महीने के लिए योग्य एवं अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) प्रदान करता है, लेकिन एक अवधि के लिए स्थिर रहता है।

GSTR 2B का महत्व एवं लाभ –

- जीएसटीआर –2 बी में डेटा को इस तरह से रिपोर्ट किया जाता है कि करदाताओं को अपने खातों एवं रिकॉर्ड की बहीयों के साथ आईटीसी से निपटने में आसानी प्राप्त हो।
- यह निम्न तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों की आसान पहचान में उनकी मदद करेगा –
  - इनपुट टैक्स क्रेडिट को किसी विशेष दस्तावेज के खिलाफ दो बार नहीं लिया गया है।
  - जहाँ आवश्यक हो, उनके GSTR–3B में GST कानून के अनुसार कर क्रेडिट उलट दिया जाता है।
  - सेवाओं के आयात सहित लागू दस्तावेजों के लिए रिवर्स चार्ज के आधार पर जीएसटी का सही भुगतान किया जाता है।

GSTR 2A बनाम GSTR 2B

तुलना का बिंदु	GSTR 2A	GSTR 2B
विवरण की प्रकृति	परिवर्तनशील, क्योंकि यह रोज पूर्तिकर्ता के द्वारा दस्तावेंजों के अपलोड होने के साथ बदलता है।	स्थिर, क्योंकि GSTR 2B एक महिने तक पूर्तिकर्ता के गतिविधियों के कारण बदलता नही है।
उपलब्धता की आवृत्ति	मासिक	मसिक
जनकारी का स्त्रोत	GSTR-1, GSTR-5, GSTR-6, GSTR-7, GSTR-8	GSTR-1, GSTR-5, GSTR-6, ICEGATE सिस्टम
वस्तु के आयात पर ITC	इसके विवरण नही होते हैं।	ICEGATE सिस्टम के अनुसार वस्तु के आयात पर ITC (अगस्त 2020 से GSTR-2B से उपलब्ध)

SVAYEM योजना

समाचार –

- असम सरकार ने राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की, जिसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण (SVAYEM) के रूप में जाना जाता है।
- योजना के अंतर्गत व्यवसायिक उद्यम शुरू करने के लिए चयनित युवाओं को बीज धन के रूप में प्रत्येक को 50 हजार रुपये प्रदान करेने का प्रावधान है।
- 7 फरवरी, 2017 को अपने बजट भाषण में असम के माननीय वित्त मंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी।
- यह असम के युवाओं को विनिर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में आय सृजन की गतिविधियाँ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

उद्देश्य –

- रोजगार के अवसर पैदा करना
- सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- आय के स्तर को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना

स्टार्ट–अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP)

समाचार –

- स्टार्ट–अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP) ग्रामीण उद्यमियों का निर्माण कर रहा है। इसने 23 राज्यों के 153 ब्लॉकों में व्यापार सहायता सेवाओं एवं पूंजी के संचार को बढ़ाया है।
- एसवाईईपी को दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY–NRLM), ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2016 द्वारा से एक उप–योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया है।

उद्देश्य –

- ग्रामीण गरीबों को गरीबी से बाहर आने में मदद प्रदान करना।
- वित्तीय सहायता के साथ स्व–रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- व्यवसाय प्रबंधन एवं सॉफ्ट कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करना
- उद्यमों के संवर्धन के लिए स्थानीय सामुदायिक संवर्ग का निर्माण।

एसवीईपी

- एसवीईपी ग्रामीण स्टार्ट–अप के तीन प्रमुख स्तंभों को संबोधित करता है – वित्त, पोषण एवं कौशल पारिस्थितिकी तंत्र।
- एसवीईपी के तहत गतिविधियों को रणनीतिक रूप से ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।
- प्रमुख क्षेत्रों में से एक समुदाय संसाधन व्यक्तियों के पूल को विकसित करना है – उद्यम संवर्धन (सीआरपी–ईपी) जो स्थानीय हैं एवं उद्यमियों की स्थापना ग्रामीण उद्यमों का समर्थन करते हैं।
- एक अन्य प्रमुख क्षेत्र एसवीईपी ब्लॉकों में ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) को बढ़ावा देना है, समुदाय संसाधन व्यक्तियों की निगरानी एवं प्रबंधन करने के लिए, एसवीईपी ऋण आवेदन का मूल्यांकन एवं चिंता ब्लॉक में उद्यम संबंधी जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करता है।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस

समाचार –

- अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को पूरे देश में मनाया जाता है। साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह अधिक साक्षर समाज के लिए प्रति गहन प्रयासों की आवश्यकता पर बल देता है।

प्रमुख झलकियाँ –

- इस दिन को इन समस्याओं से निपटने एवं सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयास के रूप में मनाया जाता है।
- 'साक्षरता एवं स्वास्थ्य' एवं 'साक्षरता एवं महामारी', जो एचआईवी जैसी संचारी रोगों पर केंद्रित थी से लेकर कुछ साल बाद 'साक्षरता एवं सशक्तीकरण' एवं ''साक्षरता एवं शांति' जैसे उद्धेश्यों तक।
- 2020 की थीम – 'कोविड–19 संकट एवं उससे परे साक्षरता शिक्षण एवं शिक्षा।'

गरीब कल्याण रोजगार अभियान

समाचार –

- रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत छह राज्यों में 8 लाख से अधिक कार्य–दिवसों का सृजन किया।
- ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश।

गरीब कल्याण रोजगार अभियान –

- यह एक रोजगार सह ग्रामीण सार्वजनिक कार्य अभियान है।
- यह कोविड–19 से प्रभावित होने वाले प्रवासी प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करता है।
- 125 दिनों का यह अभियान, मिशन मोड में शुरू किया जा रहा है, एवं इसमें 116 जिलों में 25 श्रेणियों के कार्यों एवं गतिविधियों का केंद्रित कार्यान्वयन शामिल है।
- ये 25 कार्य या परियोजनाएं गरीबों के लिए ग्रामीण आवास जैसे गांवों की जरूरतों को पूरा करने, वृक्षारोपण, जल जीवन मिशन, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, ग्रामीण मंडियों, ग्रामीण सड़कों, मवेशियों के लिए अन्य स्थानों जैसे मवेशी आश्रमों तथा आंगनवाड़ी भवन आदि से संबंधित हैं, ।
- अभिज्ञान 12 विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के बीच एक अभिसरण प्रयास है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय इस अभियान के लिए नोडल मंत्रालय है।

स्वनिधि सम्वाद

समाचार –

- प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश के फुटपाथ विक्रेताओं के साथ स्वानिधि सम्वाद सम्मेलन करेंगे।
- स्वनिधि सम्वाद योजना को इस साल 1 जून को शुरू किया गया था, ताकि कोविड–19 से प्रभावित गरीब फुटपाथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद की जा सके।

पीएम स्वनिधि योजना –

- प्रधान मंत्री फुटपाथ विक्रेताओं की आत्मानिर्भर निधि योजना का उद्देश्य उन 50 लाख से अधिक विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना है, जिनके पास 24 मार्च को या उससे पहले अपना कारोबार चालू था।
- इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने कोविड–19 महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक पैकेज के एक भाग के रूप में की थी।
- ऋण उन विक्रेताओं की गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए हैं जो 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद से बंद हो गई थी।
- यह योजना मार्च 2022 तक वैध है।

किसान रेल

समाचार –

- अनंतपुर (गुंटकल) और नई दिल्ली के बीच दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा किया गया।
- किसान रेल की अवधारणा कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करने और देश भर के विभिन्न बाजार स्थानों में खराब कृषि उत्पादों के परिवहन की सुविधा के लिए की जाती है।
- अनंतपुर तेजी से आंध्र प्रदेश का फलों का कटोरा बन रहा है।
- 7 अगस्त को, महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच साप्ताहिक सेवा के रूप में पहली किसान रेल को रवाना किया गया था।

भारत के रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों का पुनरुद्धार

समाचार –

- रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख ने भारत की रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और आयुध कारखानों को अपनी कार्य संस्कृति में सुधार लाने और गुणवत्ता नियंत्रण बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ बुलाया।

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम –

- रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) निम्न प्रकार हैं –
  1. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)
  2. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)
  3. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML)
  4. मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल)
  5. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE)
  6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL)
  7. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL)
  8. मिश्रा धातू निगम लिमिटेड (MIDHANI)
  9. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL)

  आठ रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में से, पांच सार्वजनिक उपक्रमों, अर्थात, MDL, GRSE, BDL एवं MIDHANI भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में हैं।

वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020

समाचार –

- भारत ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 पर 26 वें स्थान से गिरकर 105 वें स्थान पर आ गया है।
- द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड – 2020, कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट भारत में न्यू डेलिबीड थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसायटी के संयोजन में जारी की गई है।
- पिछले साल की रैंकिंग में देश 79 वें स्थान पर था।

जाँच – परिणाम –

- हांगकांग एवं सिंगापुर क्रमशः पहले एवं दूसरे स्थान पर, सूचकांक में शीर्ष पर रहे।
- भारत को चीन से अधिक स्थान दिया गया है, जो 124 वें स्थान पर है।
- न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस, जॉर्जिया, कनाडा एवं आयरलैंड शीर्ष–10 से बाहर हो गए।
- भारत ने सरकार के आकार (8.22 से 7.16 तक), कानूनी प्रणाली एवं संपत्ति के अधिकार (5.17 से 5.06 तक), अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता (6.08 से 5. 71) एवं ऋण, श्रम एवं व्यवसाय के विनियमन (6.63 से 6.53) इत्यादि मदों में मामूली कमी दर्ज की ।
- 10 सबसे कम दर्जा प्राप्त देश अफ्रीकी गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिम्बाब्वे, कांगो गणराज्य, अल्जीरिया, ईरान, अंगोला, लीबिया, सूडान एवं वेनेजुएला हैं।
- अन्य उल्लेखनीय रैंकिंग में जापान (20 वें), जर्मनी (21 वें), इटली (51 वें), फ्रांस (58 वें), मैक्सिको (68 वें), रूस (89 वें) एवं ब्राजील (105 वें) शामिल हैं।

आयुध निर्माणी बोर्ड का निगम

समाचार –

- सरकार ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) के कॉरपोरेटाइजेशन की देखरेख के लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) का गठन किया है।

मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) –

- ईजीओएम केंद्र सरकार के मंत्रियों (समूह) का एक समूह है, जिसे मंत्रिमंडल, एक कैबिनेट समिति या प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद ऐसे मामलों की जांच एवं रिपोर्टिंग के लिए निर्दिष्ट किया जाता है, जिन्हें जांच के बाद ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए प्राधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
- जबकि एक GoM कैबिनेट की जांच एवं रिपोर्ट करता है, जो निर्णय लेता है, एक EGoM अतिरिक्त रूप से उन मामलों पर निर्णय लेता है जो इसके लिए अधिकृत हैं, एवं ऐसे निर्णयों में सरकार के निर्णय का बल है।

निगमीकरण –

- कॉरपोरेटाइजेशन राज्य की संपत्ति, सरकारी एजेंसियों, या नगरपालिका संगठनों को निगमों में बदलने की प्रक्रिया है। यह उनके प्रशासन में सरकार एवं सार्वजनिक संगठनों के पुनर्गठन को संदर्भित करता है।
- निजीकरण एवं निगमीकरण के बीच अंतर यह है कि निजीकरण एक कंपनी या संगठन का सरकार से निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण में स्थानांतरण है, जबकि निजीकरण एक सार्वजनिक स्वामित्व वाले संगठन का निजीकरण है।

मुख्य अनुपालन अधिकारी

समाचार –

- भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग उद्योग में अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन संस्कृति के संबंध में एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) नियुक्त करने के लिए दिशानिर्देश देता है।
- CCO को एक सामान्य प्रबंधक के पद पर तीन साल की न्यूनतम निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए या सीईओ के रैंक के दो स्तरों से नीचे नहीं होना चाहिए।

विवरण –

- CCO, बैंक का एक वरिष्ठ कार्यकारी होना चाहिए, अधिमानतः एक महाप्रबंधक या उसके समकक्ष पद पर।
- CCO को बाजार से भी भर्ती किया जा सकता है।

- एक CCO 'केवल असाधारण परिस्थितियों में कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरित/हटाया जा सकता है।'
- CCO 'को ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी जो हितों के टकराव के तत्वों को लाती है या विशेष रूप से व्यापार से संबंधित भूमिका से हो'।
- ऐसी भूमिकाएँ जो सीधे तौर पर हितों के टकराव को आकर्षित नहीं करते हैं जैसे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अधिकारी की भूमिका CCO द्वारा तय की जा सकती है।
- CCO को किसी भी समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए जो समिति के सदस्य के रूप में जिम्मेदारी के साथ संघर्ष में अपनी भूमिका निभाता है।
- यदि CCO किसी समिति का सदस्य है, तो उसकी भूमिका केवल सलाहकार की हो सकती है।
- आरसीओ से कोई सतर्कता मामला या प्रतिकूल अवलोकन सीसीओ के रूप में नियुक्ति के लिए पहचाने जाने वाले उम्मीदवार के खिलाफ लंबित नहीं होना चाहिए।

दिल्ली का मास्टर प्लान 2041

समाचार –

- दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली 2041 के मास्टर प्लान की तैयारी के लिए सार्वजनिक परामर्श ले रहा है।
- यह अगले दो दशकों में शहर के विकास के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट है।
- नई योजना मुख्य रूप से जल निकायों एवं उसके आसपास की भूमि के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसे 'ग्रीन–ब्लू नीति' कहा जाता है।

ग्रीन–ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या है?

- यह अवधारणा शहरी नियोजन को संदर्भित करती है जहां जल निकाय एवं भूमि अन्योन्याश्रित हैं, एवं पर्यावरण एवं सामाजिक लाभों की पेशकश करते हुए एक दूसरे की मदद से बढ़ते हैं।
- ब्लू 'बुनियादी ढाँचा नदियों, नहरों, तालाबों, वेटलैंड्स, बाढ़, एवं जल उपचार सुविधाओं जैसे जल निकायों को संदर्भित करता है।
- ग्रीन 'का अर्थ पेड़, लॉन, हेडगेरो, पार्क, खेत एवं जंगलों से हैं।

दिल्ली मास्टर प्लान 2041 –

- DDA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) के साथ साझेदारी में, वर्तमान में दिल्ली 2041 के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहा है।
- मास्टर प्लान एक रणनीतिक सक्षम योजना होगी।
- स्थिरता, समावेशिता एवं इक्विटी इसके अंतर्निहित मूल सिद्धांत हैं।
- नीतियां प्रमुख रूप से दिल्ली के नागरिकों के लिए गुणवत्ता वाले जीवन स्तर पर केंद्रित होंगी एवं वैश्विक आर्थिक स्तर एवं सांस्कृतिक बिजलीघर में अपनी क्षमता स्थापित करेंगी।
- पांच मुद्दे जो नए MPD–2041 में विशेष तौर पर रहेंगे – वायु प्रदूषण, अस्थिरता, अनधिकृत कालोनियों, महामारी, लचीलापन, ब्लू–ग्रीन नीति।

'सरोद–बंदरगाह'

समाचार –

- केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में आभासी समारोह के माध्यम से OD SAROD - पोर्ट्स (सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल – पोर्ट्स) का शुभारंभ किया।

उद्देश्य –

- SAROD – पोर्ट की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई है –
  - निष्पक्ष तरीके से विवादों का किफायती एवं समय पर समाधान
  - मध्यस्थों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल के साथ विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन

झलकियाँ –

- SAROD – पोर्ट भारत के पोर्ट सेक्टर में उम्मीद (आशा), विश्वास एवं न्याय का महत्वपूर्ण तंत्र बन जाएगा।
- SAROD – पोर्ट कानूनी व्यय एवं समय की बड़ी मात्रा में बचत करते हुए निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण तरीके से विवादों को हल करेंगे।
- SAROD – पोर्ट्स निजी खिलाड़ियों में आत्मविश्वास जगाएंगे एवं हमारे भागीदारों के लिए सही तरह का वातावरण सुनिश्चित करेंगे। यह समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगा।
- SAROD – पोर्ट्स में इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन (IPA) एवं इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स एसोसिएशन (IPTTA) के सदस्य शामिल हैं।
- SAROD – पोर्ट समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह एवं सहायता करेंगे, जिसमें प्रमुख बंदरगाह ट्रस्टों में पोर्ट एवं शिपिंग क्षेत्र शामिल हैं, गैर–प्रमुख बंदरगाह, जिसमें निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल एवं बंदरगाह शामिल हैं।

बिहार में पेट्रोलियम से संबंधित तीन परियोजनाएँ

समाचार –

- प्रधानमंत्री ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित तीन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया।
- परियोजनाओं में पारादीप–हल्दिया–दुर्गापुर पाइपलाइन वृद्धि परियोजना के दुर्गापुर–बांका खंड एवं पूर्वी चंपारण एवं बांका में दो एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र शामिल हैं।
- बॉटलिंग प्लांट राज्य में एलपीजी की बढ़ती मांग को पूरा करके 'आत्मानिर्भर बिहार' को सशक्त बनाएंगे।

झलकियाँ –

- पूर्वी चंपारण एवं बांका में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की प्रतिदिन 80 हजार सिलिंडर की संयुक्त बॉटलिंग क्षमता है।
- प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दो संयंत्रों की परिकल्पना की गई थी।
- 193 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर–बांका पाइपलाइन खंड पारादीप–हल्दिया–दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का एक हिस्सा है।
- दुर्गापुर–बांका खंड बिहार में बांका में नए एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र के लिए मौजूदा 679 किलोमीटर लंबी पारादीप–हल्दिया–दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का विस्तार भी योजना में शामिल है।

त्रिपुरा में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

समाचार –

- त्रिपुरा–मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश के पहले त्रिपुरा के सबसे दक्षिणी सिरे, अगरतला से 130 किलोमीटर दूर, सबरूम में राज्य के पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की आधारशिला रखी।

प्रमुख झलकियाँ –

- इस एसईजेड के साथ, सबरूम उत्तरपूर्व भारत की वाणिज्यिक राजधानी एवं दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार बन जाएगा।
- यह एसईजेड रोजगार पैदा करेगा, आत्मनिर्भर त्रिपुरा को विकसित करने में योगदान देगा।
- एसईजेड की स्थापना सबरूम के पसचिम जलेफा गांव में की जाएगी।
- एसईजेड, विशेष रूप से कृषि आधारित प्रसंस्करण सहित चार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण, रबर, बांस क्षेत्र एवं कपड़ा क्षेत्र शामिल हैं।
- एसईजेड से किसानों एवं व्यापारियों को लाभ मिलेगा क्योंकि इससे निर्यात एवं आयात की सुविधा होगी।
- एसईजेड से लगभग 5,000 नौकरियां उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- एसईजेड का विकास त्रिपुरा औद्योगिक विकास संस्थान द्वारा किया जा रहा है।
- यह बांग्लादेश के चिट्टागोंग बंदरगाह के पास स्थित है तथा बेलोनिया में फेनी नदी पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा है।
- SEZ की स्थापना के बाद पहले 5 वर्षों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10 AA के तहत SEZ इकाइयों के लिए निर्यात आय पर 100 प्रतिशत आयकर छूट प्रदान की जाएगी।
- अगले 5 वर्षों के लिए 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी एवं अगले 5 वर्षों के लिए 50% प्रतिभूत वापस निर्यात लाभ प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2020

समाचार –

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।
- उद्देश्य उन कंपनियों को पहचानना है जो राजमार्ग विकास के निर्माण, संचालन, रखरखाव एवं टोलिंग चरणों के साथ–साथ सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन कर रहे हैं।

विवरण –

- पुरस्कार 2018 में स्थापित किए गए थे।
- वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम शुरू करने के पीछे का उद्धेश्य देश में राजमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास में शामिल सभी हितधारकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना एवं देश में सड़क नेटवर्क के विस्तार के लक्ष्य में योगदान करना है।
- पुरस्कार प्रतिवर्ष सात श्रेणियों में दिए जाते हैं –
  1. परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता
  2. ऑपरेशन एवं रखरखाव में उत्कृष्टता
  3. ग्रीन हाईवे
  4. नवाचार
  5. राजमार्ग सुरक्षा में उत्कृष्टता
  6. टोल प्रबंधन में उत्कृष्टता
  7. चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य

कोसी रेल महासेतु

समाचार –

- प्रधानमंत्री 18 सितंबर को बिहार में कोसी रेल महासेतु (मेगा ब्रिज) समर्पित करेंगे।
- 'कोसी रेल महासेतु' (मेगा ब्रिज) बिहार के लिए ऐतिहासिक हैं क्योंकि यह क्षेत्र को उत्तर–पूर्व से जोड़ेगा।
- भारतीय रेलवे ने कोसी पुल पर ट्रेन यातायात के लिए ट्रायल रन को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।
- यह पुल ईसीआर के समस्तीपुर डिवीजन के निर्मली–सरायगढ़ खंड पर स्थित है।
- कोसी रेल महासेतु 1.9 किलोमीटर लंबा है

अटल बीमीत कल्याण योजना (ABKY)

समाचार –

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने हाल ही में विस्तारित अटल बिमीत कल्याण योजना के तहत राहत का दावा करने के लिए प्रभावित श्रमिकों द्वारा दावे प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के तहत, उन ईएसआई सदस्यों को राहत दी जाएगी जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है।

अटल बीमीत कल्याण योजना –

- ABKY एक कल्याणकारी उपाय है जो कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- इसमें बीमीत व्यक्तियों को बेरोजगार होने पर मुआवजा प्रदान किया जाता है।
- इस योजना की शुरुआत जुलाई 1, 2018 से मानी जाएगी।
- यह योजना शुरू में दो साल की अवधि के लिए पायलट आधार पर लागू की गई है।
- यह योजना पिछले चार योगदान अवधि (चार योगदान अवधि के दौरान कुल कमाई) के दौरान प्रति दिन की कमाई का औसत 25% की सीमा तक राहत प्रदान करती है, तथा बीमीत व्यक्ति के जीवनकाल में एक बार अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी तक का भुगतान किया जाता है।
- अटल बीमीत कल्याण योजना के तहत राहत का दावा, उसकी तीन महीने की बेरोजगारी के बाद देय होगा।

'वाईएसआर आसरा' योजना

समाचार –

- आंध्र प्रदेश ने वाईएसआर आसरा योजना शुरू की गई है। ये 'नया रत्नालु' के कार्यान्वयन का एक हिस्सा है।
- ये योजना ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी को कम करने एवं उत्पादकता में सुधार लाने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की गई है।

- राज्य सरकार ने अमूल, प्रॉक्टर एंड गैंबल, आईटीसी एवं एचयूएल के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि वाईएसआर आसरा से लैस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके।
- सरकार चार किश्तों में 11 अप्रैल, 2019 तक स्व–सहायता समूहों के बकाया बैंक ऋणों की प्रतिपूर्ति करेगी।

स्टार्टअप्स पर LTCG टैक्स की छंटनी

समाचार –

- एक संसदीय पैनल ने नए युग की फर्मों में निवेश पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर को समाप्त करने सहित स्टार्टअप के लिए कर प्रोत्साहन का प्रस्ताव दिया है।
- समिति ने कहा कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर का उन्मूलन महामारी की अवधि के दौरान निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कम से कम अगले दो वर्षों के लिए होना चाहिए।
- पिछले साल के बजट में, एफएम ने शेयरों एवं इक्विटी म्यूचुअल फंड से एक साल से अधिक समय के लिए पूंजीगत लाभ पर कर का पुनर्निवेश किया था। अब, स्टॉक निवेशकों को 10 प्रतिशत एलटीसीजी कर देना पड़ता है, लेकिन पहले कोई कर नहीं था।

समाज एवं स्वास्थ्य

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP)

समाचार –

- सरकार ने देश भर में जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से बिक्री के लिए PMBJP के तहत आठ प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पादों को लॉन्च किया।
- कोरोना –19 महामारी के मद्देनजर नए न्यूट्रास्यूटिकल का प्रक्षेपण महत्वपूर्ण है। ये उत्पाद लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगे।
- उत्पाद गुणवत्ता में तुलनीय हैं और बाजार मूल्य से 26 प्रतिशत अधिक सस्ते हैं।
- यह योजना उन रोगियों के लिए एक वरदान बन रही है जो मधुमेह, रक्तचाप और मनोदैहिक जैसी पुरानी बीमारियों की दवा लेने वाले हैं।

PMBJP

- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP), भारत सरकार के जनऔषधि केंद्र के रूप में जाने जाने वाले विशेष केंद्रों के माध्यम से जनसाधारण को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएँ उपलब्ध कराने के लिए, भारत सरकार के दवा विभाग द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है।
- जेनेरिक दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (PMBJPK) की स्थापना की गई है, जो कम कीमत पर उपलब्ध हैं लेकिन गुणवत्ता एवं प्रभावकारिता में महंगी ब्रांडेड दवाओं के बराबर हैं।

लक्ष्य –

- जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने की योजना, ताकि स्वास्थ्य सेवा में खर्च कम हो सके।

विजन –

- सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य संबंधी बजट को नीचे लाने के लिए।
- कार्यान्वयन एजेंसी – ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया (BPPI)

वल्बाचिया बैक्टीरिया

समाचार –

- विश्व मच्छर कार्यक्रम की वल्बाचिया पद्धति द्वारा नाटकीय रूप से इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण में डेंगू की घटनाओं कम हुई हैं।

वल्बाचिया -

- वल्बाचिया कुछ मच्छरों सहित, 60% तक कीट प्रजातियों में मौजूद प्राकृतिक बैक्टीरिया हैं।
- यह आमतौर पर एडीज एजिप्टी मच्छर में नहीं पाया जाता है।
- यह मनुष्यों, जानवरों एवं पर्यावरण के लिए सुरक्षित है।
- एडीज एजिप्टी मच्छर डेंगू एवं अन्य बीमारियाँ जैसे चिकनगुनिया, जीका एवं पीला बुखार फैलाता है।
- हालांकि, जब यह कृत्रिम रूप से वल्बाचिया से संक्रमित होता है, रोग फैला नहीं सकता है ।

राष्ट्रीय पोषण माह

समाचार –

- छोटे बच्चों एवं महिलाओं के बीच कुपोषण को दूर करने के लिए इस महीने में तीसरा राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है।
- पोषण माँ का उद्देश्य सभी के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण सुनिश्चित करने के लिए जन भागिदारी को प्रोत्साहित करना है।
- पोषण माह हर साल पोशन अभियान के तहत मनाया जाता है, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था।

पृष्ठभूमि –

- 2018 में भारत के पोषण संबंधी चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद ने सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने का फैसला किया।
- इस महीने के दौरान पोषण जागरूकता से संबंधित गतिविधियों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जमीनी स्तर तक ले जाया जाएगा।

पोषण अभियान /राष्ट्रीय पोषण मिशन

- राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत (2018) 6 वर्ष तक के बच्चों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए की गई, ताकि अगले तीन वर्षों में जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों में कमी, कुपोषण में कमी, पोषण के तहत एवं एनीमिया की व्यापकता को कम करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- यह एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन एवं भागिदारी है, जिसका अर्थ है 'जन आंदोलन'।
- इस कार्यक्रम में स्थानीय निकायों, राज्य के सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों एवं बड़े पैमाने पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों की समावेशी भागीदारी शामिल है।

- पोषण अभियान के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को महिलाओं एवं बाल कल्याण विभाग के बीच घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पीने का पानी एवं स्वच्छता, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, शिक्षा, खाद्य एवं अन्य संबंधित विभाग में अभिसरण प्राप्त करने की आवश्यकता है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से आशा, एएनएम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल शिक्षा एवं साहित्यिक विभाग के माध्यम से स्कूलों, पंचायती राज विभाग के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन विभाग / एजेंसियां गतिविधियों को अंजाम देंगे एवं महीने भर संदेश फैलाएंगे।

'बैक टू विलेज' प्रोग्राम (बी 2 वी)

समाचार –

- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में, सरकार ने महत्वाकांक्षी बैक टू विलेज (बी 2 वी) कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा की।
- बी 2 वी का चरण–1 लोगों की शिकायतों एवं मांगों को समझने के लिए एक परिचयात्मक एवं परस्पर संवादात्मक कार्यक्रम था।
- चरण–II ने पंचायतों को शक्तियों के विचलन पर ध्यान केंद्रित किया एवं यह समझने की कोशिश की कि ये पंचायतें कैसे कार्य कर रही हैं तथा उनकी शिकायतें एवं मांगें क्या हैं।
- चरण–III को शिकायत निवारण के प्रारूप पर डिजाइन किया गया है।
- सरकार ने 10 सितंबर से शुरू होने वाले तीन सप्ताह के "प्री–बैक टू विलेज जन अभियान" को आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें तीन घटक होंगे।
  1. जनता की शिकायतों का निवारण (जन सुनवाई)
  2. सार्वजनिक सेवा वितरण (अभय अभियान)
  3. ग्राम पंचायत स्तर पर विकास की डिलीवरी (Unat Gram Abhiyan)

बी 2 वी के लक्ष्य –

- महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के चार मुख्य लक्ष्य हैं –
  - पंचायतों को ऊर्जावान बनाना।
  - सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के वितरण पर प्रतिक्रिया एकत्र करना।
  - विशिष्ट आर्थिक क्षमता पर कब्जा करना।
  - गाँवों की आवश्यकताओं का आकलन करना।

हेल्पलाइन 'किरण'

समाचार –

- 24×7 टोल–मुक्त मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से हेल्पलाइन "किरण" का शुभारंभ किया गया।
- किरण हेल्पलाइन प्रारंभिक स्क्रीनिंग, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन, मानसिक भलाई, सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने, मनोवैज्ञानिक संकट प्रबंधन आदि के उद्देश्य से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगी।
- इसका उद्देश्य तनाव, चिंता, अवसाद, घबराहट, समायोजन विकारों, आघात–बाद तनाव विकार, मादक द्रव्यों के सेवन, आत्मघाती विचारों, महामारी से प्रेरित मनोवैज्ञानिक मुद्दों एवं मानसिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का सामना करने वाले लोगों की सेवा करना है।
- यह 13 भाषाओं में 1 चरण की सलाह, परामर्श एवं संदर्भ प्रदान करने के लिए एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करेगा।
- हेल्पलाइन में शामिल 13 भाषाएँ हैं – हिंदी, असमिया, तमिल, मराठी, ओडिया, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, बंगाली, उर्दू एवं अंग्रेजी।
- हेल्पलाइन का समन्वयन राष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों के संस्थान (NIEPMD), चेन्नई एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन (NIMHR), सीहोर द्वारा किया जा रहा है।
- हेल्पलाइन के लिए पेशेवर समर्थन इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट (IACP), इंडियन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन (IPA) एवं इंडियन साइकिएट्रिक सोशल वर्कर्स एसोसिएशन (IPSWA) द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

'ईसंजीवनी'

समाचार –

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के टेलीमेडिसिन सेवा प्लेटफॉर्म 'ईसंजीवनी' ने हाल ही में तीन लाख टेली–परामर्श पूरे किए हैं।
- प्लेटफॉर्म दो प्रकार की टेलीमेडिसिन सेवाओं का समर्थन करता है – डॉक्टर–से–डॉक्टर ईसंजीवीनी एवं डॉक्टर–से–रोगी ईसंजीवनी ओपीडी।
- ईसंजीवीनी एक टेलीमेडिसिन सेवा है जिसे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य पहल के तहत डॉक्टर–टू–डॉक्टर इंटरैक्शन के लिए लागू किया गया है।
- इसका लक्ष्य उन सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र को जोड़ना है जो आयुष्मान भारत के तहत स्थापित किए गए हैं।
- ईसंजीवीनी को अब तक 23 राज्यों द्वारा लागू किया गया है एवं अन्य इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं।
- ईसंजीवनी ओपीडी कोविड–19 के बीच शारीरिक गड़बड़ी को सुनिश्चित करने के लिए रोगी–से–डॉक्टर बातचीत को सक्षम करने वाली दूसरी टेली–परामर्श सेवा है।
- ओपीडी ने एक महत्वपूर्ण समय पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की है जब संक्रामक बीमारी की प्रकृति के कारण पारंपरिक चिकित्सा को जोखिम भरा माना जाता है।

वाईएसआर सम्पूर्ण पोषण योजना

समाचार –

- आंध्र प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए वाईएसआर सम्पूर्ण पोषण योजना एवं वाईएसआर सम्पूर्ण प्लस योजना योजनाएं शुरू की हैं।
- यह गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं एवं 6–72 महीने की आयु के बच्चों में कुपोषण एवं एनीमिया पर केंद्रित है।

प्रमुख विशेषताऐं

- दोनों योजनाओं से लगभग 30.16 लाख माताएं एवं बच्चे लाभान्वित होंगे।
- यह योजना राज्य के कमजोर वर्ग के बीच कुपोषण को कम करेगी।
- एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं सहित नवजात शिशुओं को पूरक पोषण आहार देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में वाईएसआर सम्पूर्ण पोषाण योजना लागू की जाएगी।
- सरकार का उद्देश्य गर्म दूध, चावल, दाल, सब्जियां या साग, एवं अंडे वितरित करना है।
- महीने के 25 दिनों के लिए 36–72 महीने, चावल, दालें, साग या सब्जियां, दूध, अंडे एवं स्नैक्स दिए जाएंगे।
- 6–36 महीने के नवजात शिशुओं को 2.5 किलोग्राम शिशु फार्मूला, 25 करोड़ अंडे एवं प्रति माह 2.5 लीटर दूध दिया जाएगा।
- महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग ने लाभार्थियों की सेवा वितरण एवं संतुष्टि के स्तर का आकलन करने के लिए एक व्यापक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है।

स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए 'गरिमा' कल्याण योजना

समाचार –

- ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 'गरिमा' कल्याण योजना शुरू की।
- विभाग ने योजना को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए गैर–लाभकारी संगठन शहरी प्रबंधन केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

विवरण –

- यह राज्य के कोर स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करने के लिए एक योजना है।
- यह श्रमिकों एवं उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा एवं वित्तीय लाभ भी प्रदान करेगा।
- इस योजना के तहत, मुख्य स्वच्छता नौकरियों में लगे राज्य भर में स्वच्छता कार्यकर्ताओं की पहचान करने एवं स्वच्छ सहारा ओडिशा पोर्टल पर एक डेटाबेस के तहत उन्हें पंजीकृत करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा।
- प्रमाणीकरण के लिए निजी स्वच्छता सेवा संगठनों (PSSOs) का पंजीकरण, प्रमाणन के लिए ULBs के साथ भी होगा, जो प्रमाणित स्वच्छता कर्मचारियों के माध्यम से स्वच्छता सेवाओं को प्रस्तुत करने के लिए होगा।
- इसमें जोखिम एवं कठिनाई भत्ता, शैक्षिक संस्थानों में प्राथमिकता, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा का प्रावधान, आवास सहायता के रूप में 90 प्रतिशत अनुदान, दो पहिया वाहन खरीदने के लिए 90 प्रतिशत अनुदान, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण एवं सुरक्षा उपकरणों का अनिवार्य प्रावधान शामिल हैं।
- स्वच्छता कर्मचारियों के काम के घंटे प्रति दिन 6 घंटे तक सीमित रहेंगे।
- वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ, एक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किए जाएंगे एवं समय–समय पर स्वास्थ्य जांच करवाएंगे।
- कॉर्प्स फंड दुर्घटना एवं चोट के कारण आंशिक एवं स्थायी विकलांगता के मामले में स्वच्छता कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए पूर्व–भुगतान भुगतान सुनिश्चित करेगा।

नशा मुक्त भारत अभियान

समाचार –

- ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है एवं कार्यक्रम के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया जा रहा है।
- यह योजना 2018 एवं 2025 के बीच लागू की जा रही है।
- 'नशा मुक्त भारत – 272 सबसे प्रभावित जिलों के लिए वार्षिक कार्य योजना (2020–21)' अंतर्राष्ट्रीय दिवस के खिलाफ नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री द्वारा ई–लॉन्च किया गया था।
- ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग के परिणामों को कम करना है।

कार्य योजना में निम्न घटक हैं –

- जागरूकता सृजन कार्यक्रम
- उच्च शैक्षिक संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों एवं स्कूलों पर ध्यान
- समुदाय की निर्भरता एवं निर्भर जनसंख्या की पहचान
- अस्पताल की सेटिंग में उपचार सुविधाओं पर ध्यान दें
- सेवा प्रदाता के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

विश्व अल्जाइमर महीना

समाचार –

- विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को होता है एवं यह विश्व अल्जाइमर महीने का हिस्सा है।
- यह दिन न्यूरोलॉजिकल स्थिति, इसके कारणों, लक्षणों एवं प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है।
- विश्व अल्जाइमर महीना जागरूकता को बढ़ाने एवं मनोभ्रंश से घिरे कलंक को चुनौती देने के लिए हर सितंबर को अंतरराष्ट्रीय अभियान है।
- सितंबर 2020 में 9 वें विश्व अल्जाइमर महीने को चिह्नित किया जाएगा। अभियान 2012 में शुरू किया गया था।

अल्जाइमर रोग –

- यह एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो स्मृति, सोच कौशल एवं व्यवहार के साथ समस्याओं का कारण बनता है।
- स्मृति हानि सबसे प्रारंभिक लक्षणों में से एक है, साथ ही अन्य बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक कार्यों के क्रमिक गिरावट के साथ व्यवहार में परिवर्तन के लिए अग्रणी है।
- बीमारी के शुरुआती लक्षण हाल की घटनाओं या बातचीत को भूल सकते हैं। जैसे–जैसे बीमारी बढ़ती है, अल्जाइमर रोग वाला व्यक्ति गंभीर स्मृति हानि विकसित करेगा एवं रोजमर्रा के कार्यों को पूरा करने की क्षमता खो देगा।
- कोई इलाज नहीं है जो अल्जाइमर रोग को ठीक करता है या मस्तिष्क में रोग प्रक्रिया को बदल देता है। बीमारी के उन्नत चरणों में, मस्तिष्क समारोह के गंभीर नुकसान से जटिलताओं – जैसे निर्जलीकरण, कुपोषण या संक्रमण – मृत्यु में परिणाम।

विश्व रेबीज दिवस

समाचार –

- हर वर्ष, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को ग्लोबल एलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल द्वारा मनाया जाता है। यह दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी मनाया जाता है।
- यह रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं इस भयावह बीमारी को हराने में प्रगति को उजागर करने के लिए मनाया जाता है।
- 28 सितंबर को लुइस पाश्चर की मृत्यु की सालगिरह, फ्रांसीसी रसायनज्ञ एवं माइक्रोबायोलॉजिस्ट की भी पहचान है, जिन्होंने पहली रेबीज वैक्सीन विकसित की थी।
- पहला विश्व रेबीज अभियान 2007 में हुआ था। 2009 में, यह 100 से अधिक देशों में पहुंच गया। तब तक यह संदेश 100 मिलियन लोगों तक पहुंच चुका था एवं 3 मिलियन से अधिक कुत्तों को टीका लगाया गया था।
- 2020 के लिए थीम – टीकाकरण एवं सहयोग क्वांटम राज्य इंटरफेरोग्राफी

विज्ञान एवं तकनीक

क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी (QSI)

समाचार –

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने क्वांटम अवस्था में हेरफेर करने के लिए नए तरीकों के साथ प्रयोग किये हैं ताकि उन्हें कंप्यूटिंग, संचार एवं मेट्रोलॉजी के लिए दोहन किया जा सके। इस विधि को क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी (QSI) कहा जाता है।

विवरण –

- अनुसंधान दल ने कहा कि प्रयोगात्मक सेटअप में किसी भी सेटिंग को बदलने के बिना, एक उच्च आयामी प्रणाली की अज्ञात क्वांटम स्थिति का अनुमान लगाना संभव है।
- सेटअप के लिए केवल दो इंटरफेरोमीटर की आवश्यकता होती है जिसमें से क्वांटम अवस्था को फिर से संगठित करने के लिए कई इंटरफेरोग्राम प्राप्त किए जा सकते हैं।
- यह क्वांटम अवस्था के आकलन के लिए एक 'ब्लैक बॉक्स' दृष्टिकोण प्रदान करता है – फोटॉन की घटना एवं अवस्था की जानकारी के निष्कर्षण के बीच, सेटअप के भीतर स्थितियां नहीं बदली जाती हैं, इस प्रकार क्वांटम अवस्था का एक सही एकल–शॉट अनुमान प्राप्त होता है।

क्वांटम स्टेट टोमोग्राफी

- अज्ञात क्वांटम अवस्था का निर्धारण आमतौर पर क्वांटम स्टेट टोमोग्राफी (QST) के रूप में जाना जाता है।
- इसमें अवस्था अंतरिक्ष में विभिन्न दिशाओं पर क्वांटम अवस्था के प्रक्षेपण को मापना एवं प्राप्त जानकारी से क्वांटम अवस्था का पुनर्निर्माण करना शामिल है।
- हालांकि, विशेष रूप से, परिदृश्य जहां आयाम बड़े होते हैं, टोमोग्राफी करने के लिए आवश्यक संचालन में चतुष्कोणीय वृद्धि होती है। प्रायोगिक सेटिंग्स को अक्सर कई बार बदलना पड़ता है, जिससे प्रक्रिया बहुत बोझिल हो जाती है।

विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष

समाचार –

- सीएसआईआर–सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएमईआरआई), दुर्गापुर ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है।
- सौर पेड़, उच्च क्षमता वाले पंप, ई–ट्रैक्टर एवं ई–पावर टिलर जैसी कृषि गतिविधियों में व्यापक उपयोग के लिए उपलब्ध है।

प्रमुख झलकियाँ –

- सौर वृक्ष की स्थापित क्षमता 11.5 kWp से ऊपर है।
- इसमें स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा की 12,000–14,000 इकाइयों को उत्पन्न करने की वार्षिक क्षमता है।
- प्रत्येक पेड़ में 330 wp की क्षमता वाले कुल 35 सौर पीवी पैनल हैं।
- सौर पेड़ में IOT आधारित सुविधाओं को शामिल करने की क्षमता है, अर्थात् कृषि क्षेत्रों में चौबीस घंटे सीसीटीवी निगरानी, वास्तविक समय आर्द्रता, हवा की गति, वर्षा की भविष्यवाणी एवं मिट्टी के विश्लेषण सेंसर इत्यादि।

प्रारंभिक गैलेक्सी "AUDFs01"

समाचार –

- AUDFs01 नामक सबसे शुरुआती आकाशगंगाओं में से एक एस्ट्रोसैट का उपयोग करके खोजी गई है।

विवरण –

- खगोलविदों की एक टीम ने AUDFs01 नामक आकाशगंगा से चरम पराबैंगनी (यूवी) प्रकाश का पता लगाया, जो पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है।
- पराबैंगनी विकिरण के तीन उपखंड हैं – निकट–पराबैंगनी (NUV), मध्य पराबैंगनी (MUV), दूर–पराबैंगनी (FUV) एवं चरम पराबैंगनी (EUV)।
- इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA), पुणे के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा खोजा गया।
- टीम में भारत, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान एवं नीदरलैंड के वैज्ञानिक शामिल हैं।

आकाशगंगा AUDFs01 –

- आकाशगंगा AUDFs01 हबल ईएक्सट्रीम डीप फील्ड (XDF) में स्थित है।

- XDF को हबल टेलीस्कोप द्वारा मूल हबल अल्ट्रा डीप फील्ड के केंद्र में आकाश के एक पैच से ली गई तस्वीरों के 10 वर्षों के संयोजन द्वारा इकट्ठा किया गया था।

रोबोट रक्षक

समाचार –

- कोविद 19 महामारी के प्रसार के खिलाफ लड़ाई में, रेलवे ने एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक तैयार किया है जो डॉक्टर एवं रोगी के बीच दूर से संवाद कर सकता है।

विवरण –

- चिकित्सा सहायता रोबोट तापमान, नाड़ी, ऑक्सीजन प्रतिशत जैसे स्वास्थ्य मापदंडों को मापने में सक्षम है।
- यह रोगियों को दवाइयां, भोजन भी प्रदान कर सकता है एवं डॉक्टर एवं रोगी के बीच दो–तरफा वीडियो संचार कर सकता है।
- यह 150 मीटर तक के सुदूर संचालन की सीमा के साथ सभी स्तरों पर सभी दिशाओं में आगे बढ़ सकता है।
- एक फुल चार्ज बैटरी के साथ, रक्षक रोबोट 6 घंटे तक लगातार काम कर सकता है एवं अपनी ट्रे में 10 किलो तक वजन ले जा सकता है।
- यह वाई–फाई पर आधारित है एवं इसलिए इसे किसी मोबाइल डेटा की आवश्यकता नहीं है। यह एक एंड्रॉइड मोबाइल एप्लिकेशन के साथ भी संचालित होता है।

हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी डिमॉन्स्ट्रेटर वाहन (HSTDV)

समाचार –

- डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने सफलतापूर्वक एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी प्रदर्शनकारी वाहन (भ्ज्क्ट) का परीक्षण किया।
- हाइपरसोनिक गति ध्वनि की गति से पांच गुना (या अधिक) है।

HSTDV के बारे में –

- HSTDV हाइपरसोनिक गति उड़ान के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है।
- HSTDV स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक एयर–श्वास स्क्रैमजेट तकनीक का परीक्षण करता है।
- स्क्रैमजेट वायु श्वास जेट इंजन का एक प्रकार है एवं इसमें ध्वनि की गति की तुलना में बहुत अधिक गति वाली एयरफ्लो को संभालने की क्षमता होती है।
- यह हाइपरसोनिक एवं लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए एक वाहक वाहन के रूप में काम करेगा
- इसमें कई अनुप्रयोग भी हैं जैसे छोटे उपग्रहों का कम लागत वाला प्रक्षेपण।
- यह एक लंबा वायु वाहन है जिसमें एक चपटा अष्टकोणीय क्रॉस सेक्शन है। इसमें मिड–बॉडी स्टबिंग एवं रेक टेल पंख होते हैं।

पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन

समाचार –

- इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट (WSTS) आयोजित करने जा रहा है। वर्चुअल शिखर सस्ती एवं टिकाऊ स्वच्छ ऊर्जा पर प्रकाश लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- इस आयोजन का उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ–साथ अगली पीढ़ी की तकनीकों को सुर्खियों में लाना है जो सौर ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग करने की दिशा में प्रयासों को गति प्रदान करेंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का लक्ष्य परियोजनाओं को निधि देने के लिए एक विश्व सौर बैंक बनाना है।
- आईएसए सौर ऊर्जा के लाभों का दोहन करने एवं स्वच्छ ऊर्जा अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक बाजार प्रणाली बनाने के लिए 121 देशों का एक गठबंधन है।

शिखर सम्मेलन का महत्व –

- यह शिखर सम्मेलन 2022 तक भारत के 100GW सौर ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के मद्देनजर महत्व रखता है।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, भारत की स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 35 GW से अधिक थी।

शिखर सम्मेलन में निम्न पर ध्यान दिया जाएगा –

- सीईओ के वैश्विक सत्र,
- विजन 2030 एवं उससे आगे की सोच
- कार्बोनेटेड ग्रिड की स्थापना
- विघटनकारी सौर प्रौद्योगिकी
- सोलर बियॉन्ड पावर सेक्टर

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन

समाचार –

- विशेष रूप से कोविद –19 के लिए वायरल टीकों की नैदानिक इम्युनोजेनेसिटी का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा एवं जीवविज्ञान मूल्यांकन केंद्र (एनआईबीईसी) का उद्घाटन किया गया है।
- यह सुविधा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय बायोपार्मा मिशन के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) एवं भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय (BVU), पुणे द्वारा स्थापित की गई है।
- यह सुविधा BVU की घटक इकाई इंटरएक्टिव रिसर्च स्कूल फॉर हेल्थ अफेयर्स (IRSHA) एवं BIRAC के माध्यम से स्थापित की गई है।

NIBEC की विशेषताएं –

- इसमें अत्याधुनिक BSL (जैव विविधता स्तर)–3, 4 BSL–2 एवं 10 BSL–1 प्रयोगशालाएँ हैं।
- प्लेक रिडक्शन न्यूट्रललाइजेशन टेस्ट (PRNT), माइक्रोन्यूट्रलाइजेशन परख, IgM एवं IgG ELIS। जैसे प्रमुख इम्युनोजेनेसिटी मूल्यांकन परीक्षण डेंगू, चिकनगुनिया एवं SARS-CoV–2 वायरस के लिए विकसित, मानकीकृत एवं मान्य किए गए हैं।

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के बारे में –

- जैवप्रौद्योगिकी के लिए खोज अनुसंधान को गति देने के लिए जैवप्रौद्योगिकी विभाग (DBT) का उद्योग–अकादमिक सहयोगात्मक मिशन, जिसे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है एवं विश्व बैंक द्वारा 50% को जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान महत्व परिषद (BIRAC) में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- यह कार्यक्रम भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य मानकों में सुधार करने के उद्देश्य से देश में किफायती उत्पादों को वितरित करने के लिए समर्पित है। इसका उद्धेश्य टीके, चिकित्सा उपकरण एवं डायग्नोस्टिक्स एवं बायोथेरेप्यूटिक्स इसके सबसे महत्वपूर्ण डोमेन में से कुछ हैं, इसके अलावा, देश में नैदानिक परीक्षण क्षमता एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्षमताओं को मजबूत करना।

गोविंद स्वरूप

समाचार –

- भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक प्रो गोविंद स्वरूप का निधन हो गया।
- वे नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स (NCRA), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) में एमेरिटस प्रोफेसर थे एवं रेडियो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्ति थे।
- वह पुणे के पास ऊटी रेडियो टेलीस्कोप एवं विशालकाय मेट्रूवे रेडियो टेलीस्कोप की अवधारणा, डिजाइन एवं स्थापना के पीछे प्रमुख प्रस्तावक थे।
- उनके नेतृत्व में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स में एक मजबूत समूह बनाया गया है, जो दुनिया में सबसे अच्छा करने के लिए तुलनीय है।

जिज्ञासु कार्यक्रम

समाचार –

- सीएसआईआर–सीएमईआरआई दुर्गापुर द्वारा कल एक वेबिनार की मेजबानी की गई है, जो स्कूल शिक्षा विभाग, जम्मू एवं कश्मीर, वैज्ञानिक एवं तकनीकी हस्तक्षेप पर सीएसआईआरसीएमईआरआई द्वारा ID जिज्ञासा 'कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कोविड–19 का मुकाबला करते हुए, शिक्षा विभाग, जम्मू एवं कश्मीर के सहयोग से आयोजित किया गया है।'

जिज्ञासा – एक छात्र वैज्ञानिक कनेक्ट कार्यक्रम (2020–2025)

- सीएसआईआर–सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक छात्र–वैज्ञानिक कनेक्ट शुरू किया है।
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS), राज्य सरकार के स्कूलों, NVS आदि के सहयोग से कार्यक्रम 'JIGYASA' छात्रों के वैज्ञानिक झुकाव को बढ़ाने के लिए एकमात्र उद्देश्य लिए हुए हैं ताकि उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य के लिए तैयार किया जा सके।
- 'JIGYASA' एक ओर स्कूल के छात्रों एवं उनके शिक्षकों के बीच जिज्ञासुता की संस्कृति को विकसित करेगा एवं दूसरी ओर वैज्ञानिक स्वभाव को। कार्यक्रम में सीएसआईआर की 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ 1151 केंद्रीय विद्यालयों को जोड़ने की उम्मीद है, जो 100,000 छात्रों एवं लगभग 1000 शिक्षकों को सालाना लक्षित करते हैं।
- कार्यक्रम छात्रों एवं शिक्षकों को व्यावहारिक रूप से सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में जाकर एवं मिनी–वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स में भाग लेकर विज्ञान में सिखाई गई सैद्धांतिक अवधारणाओं को सीखने में सक्षम करेगा।

फ्लाइंग वी एयरक्राफ्ट

समाचार –

- डच स्थित तकनीकी विश्वविद्यालय (टीयू डेल्फ्ट) के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पंखों में यात्रियों को ले जाने वाले लंबी दूरी के विमान जींज फ्लाइंग वी 'के स्केल के मॉडल की पहली वास्तविक परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
- फ्लाइंग–वी की कल्पना 2014 में जस्टस बेनाद ने एयरबस हैम्बर्ग में अपने थीसिस प्रोजेक्ट के दौरान की थी।
- फ्लाइंग–वी डिजाइन, जो अपने ध्यान देने योग्य V आकार से अपना नाम प्राप्त करता है, यात्री केबिन, कार्गो पकड़ एवं पंखों में ईंधन टैंक को एकीकृत करता है।

अवैध सॉफ्टवेयर 'रियल मैंगो'

समाचार –

- एक राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन में, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने 'रियल मैंगो' नामक एक अवैध सॉफ्टवेयर ऑपरेशन का भंडाफोड़ किया है – जिसका उपयोग कोरोना वायरस महामारी के दौरान कनफर्म्ड ट्रेन आरक्षण टिकटों को बुक करने के लिए किया जाता रहा।
- सॉफ्टवेयर जिसे तत्काल टिकट बुकिंग के लिए विकसित किया गया था, को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

अवैध सॉफ्टवेयर की विशेषताएं –

- अवैध रियल मैंगो सॉफ्टवेयर V3 एवं V2 कैप्चा को बायपास करता था।
- ये एक मोबाइल ऐप की मदद से, बैंक ओटीपी को सिंक्रनाइज करता था एवं स्वचालित रूप से इसे अपेक्षित रूप में फीड करता था।
- यात्री विवरण एवं भुगतान विवरण सॉफ्टवेयर द्वारा प्रपत्रों में स्वतः भरे जाते थे।
- अवैध रियल मैंगो सॉफ्टवेयर कई IRCTC Ids के माध्यम से IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट में लॉग इन करता था।
- यह अवैध सॉफ्टवेयर 5–स्तरीय संरचना के माध्यम से बेचा जाता था (सिस्टम के सॉफ्टवेयर के साथ–साथ उसकी टीम, मावेन्स, सुपर सेलर्स, सेलर्स एवं एजेंट्स)।
- सिस्टम एडमिन को भुगतान बिटकॉइन में मिलता था।

प्रोजेक्ट 17 ए

समाचार –

- भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल ने प्रतिष्ठित P17A श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट्स के तीसरे जहाज (यार्ड–12653) की आधारशिला रखी।
- P17A श्रृंखला के तहत सात फ्रिगेट्स का निर्माण किया जाएगा जिनमें से चार का निर्माण MDL में एवं तीन का GRSE में MDL के साथ लीड यार्ड के रूप में किया जा रहा है।
- P17A श्रेणी के फ्रिगेट्स को स्वदेशी रूप से विकसित स्टील का उपयोग करके बनाया जा रहा है एवं एकीकृत प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हथियारों एवं सेंसर के साथ फिट किया गया है।
- इन जहाजों में स्टील्थ फीचर हैं।

- P17A जहाजों का निर्माण आधुनिक तकनीक, इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन (IC) को अपनाने से अन्य युद्धपोतों के निर्माण की अवधारणा में भिन्न है जहां युद्धपोतों के निर्माण की अवधि को कम करने के लिए इपके ब्लॉकों को पूर्व–निर्मित किया जाता है।
- इनके भारतीय नौसेना में शामिल होने से के बेड़े की युद्धक क्षमता में वृद्धि होगी।

भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल A-SAT पर 'माय स्टैम्प'

समाचार –

- अभियंत्रण दिवस के अवसर पर, डाक विभाग द्वारा, भारत के पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल पर एक स्वनिर्धारित 'माय स्टैम्प', लॉन्च जारी किया गया।

विवरण –

- 'माय स्टैम्प', भारतीय डाक विभाग के, पोस्टेज स्टैम्प की व्यक्तिगत शीट के ब्रांड का नाम है।
- 'माय स्टैम्प' को भारत में पहली बार विश्व दर्शन प्रदर्शनी, 'EX INDIPEX–2011' के दौरान पेश किया गया था।
- कस्टमाइज्ड माय स्टैम्प डाक टिकटों की एक व्यक्तिगत शीट है, जिसमें कॉरपोरेट, संगठन एवं संस्थान इंडिया पोस्ट से अपनी अनुकूलित छपी शीट प्राप्त कर सकते हैं।

A-SAT मिसाइल

- डीआरडीओ ने ए–सैट मिसाइल को सफलतापूर्वक 'हिट टू किल' मोड में लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) में परिक्रमा कर रहे एक भारतीय लक्ष्य उपग्रह पर सफलतापूर्वक उपयोग किया।
- इंटरसेप्टर मिसाइल तीन चरण की मिसाइल थी जिसमें दो ठोस रॉकेट बूस्टर थे। मिशन ने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया।
- दो प्रकार के ए–सैट – काइनेटिक एवं गैर–काइनेटिक एएसएटी –
  – काइनेटिक A-SATs, जैसे बैलिस्टिक मिसाइलें भौतिक रूप से किसी वस्तु को नष्ट करने के लिए प्रहार करती हैं।
  – नॉन–काइनेटिक A-SATs, कई प्रकार वस्तुओं जैसे कोई अंतरिक्षीय वस्तु को गैर भौतिक रूप से नष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है।

ज़ेन्हुआ डाटा लीक

समाचार –

- भारत के विदेश मंत्रालय ने चीनी राजदूत के समक्ष चीनी कंपनी ज़ेन्हुआ डाटा इंफॉमेशन टेक्नोलॉजी द्वारा की जा रही कथित जासूसी के मुद्दे को उठाया है।
- यह पाया गया है कि शेन्जेन स्थित प्रौद्योगिकी फर्म राजनीति, व्यापार एवं नागरिक समाज सहित विभिन्न क्षेत्रों से 10,000 से अधिक प्रमुख भारतीयों को ट्रैक कर रही थी।
- इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, सेना प्रमुख एवं सांसद शामिल हैं।

विवरण –

- विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसने चीनी पक्ष के साथ जेनहुआ डेटा लीक के मामले को उठाया है।
- चीनी पक्ष के अनुसार, कंपनी एक निजी संस्था है एवं इसके एवं चीनी सरकार के बीच कोई संबंध नहीं है।
- भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है ताकि रिपोर्ट का अध्ययन किया जा सके, उनके निहितार्थों का मूल्यांकन किया जा सके, कानून के किसी भी उल्लंघन का आकलन किया जा सके एवं तीस दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की जा सकें।

कलिंग क्रिकेट मेंढक

समाचार –

- भारतीय वैज्ञानिकों ने कलिंग क्रिकेट मेंढ़क में अपने तरह के पहले मॉर्फोलॉजिकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी (एमपीपी) के खोज की सूचना दी है।
- एमपीपी प्राकृतिक पर्यावरण विविधताओं या उत्तेजनाओं के उत्तर में कठोर रूपात्मक (शारीरिक विशेषताएं) भिन्नता दिखाने की जीव की क्षमता है।
- पूर्वी घाट में, यह प्रजाति ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की उच्च ऊंचाई वाली पर्वतीय श्रृंखलाओं में पाई जाती है।

कलिंग क्रिकेट मेंढक –

- वैज्ञानिक नाम – फेजेरवार्या कलिंग।
- यह हाल ही में पहचानी गई प्रजाति है जिसे 2018 में प्रलेखित किया गया था।
- यह केवल ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाटों की ऊँची–ऊँची पर्वत श्रृंखलाओं के लिए स्थानिक माना जाता था।
- क्रिकेट मेंढक एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के संकेतक हैं एवं कृषि क्षेत्रों, धाराओं, दलदलों एवं आर्द्रभूमि में विस्तृत निवास स्थानों में रहते हैं।

भारतीय नौसेना का विमानवाहक पोत 'विराट'

समाचार –

- भारतीय नौसेना का प्रमुख विमान वाहक पोत 'विराट' ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से गुजरात के अलंग तक अपनी अंतिम यात्रा संपन्न की।

आईएनएस विराट

- आईएनएस विराट (विशाल) भारतीय नौसेना का एक सेंटोर–क्लास विमान वाहक था।
- आईएनएस विक्रमादित्य को 2013 में कमीशन किए जाने से पहले आईएनएस विराट भारतीय नौसेना का प्रमुख था।
- जहाज को 1959 में रॉयल नेवी के एचएमएस हर्मीस के रूप में कमीशन किया गया एवं 1984 में इसका विमोचन किया गया।
- यह 1987 में भारत को बेच दिया गया था। आईएनएस विराट को 12 मई 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था, एवं लगभग 30 वर्षों तक सेवा दी गई थी।
- भारतीय नौसेना के साथ काम करने वाला अंतिम ब्रिटिश निर्मित जहाज, वह विश्व में सबसे पुराना विमान सेवारत वाहक पोत था।

i–ATS (स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण)

समाचार –

- दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने पहला भारत निर्मीत सिग्नलिंग सिस्टम – i-ATS के लॉन्च के साथ स्वदेश निर्मित संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण शुरू किया।
- एटीएस (स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण) एक कंप्यूटर–आधारित प्रणाली है, जो ट्रेन संचालन का प्रबंधन करती है, जिसमें बुनियादी कामकाज चलाना एवं चलाना शामिल है।
- i-ATS भारतीय मेंट्रो की ऐसी तकनीकों से निपटने वाले विदेशी विक्रेताओं पर निर्भरता को काफी कम कर देगा।
- यह विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के ट्रेन नियंत्रण एवं सिग्नलिंग सिस्टम के साथ काम कर सकता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि समस्या होने, ऑपरेटरों को विदेशी निर्माताओं पर निर्भर ना होना पड़े।
- i-ATS ट्रेन नियंत्रण एवं सिग्नलिंग सिस्टम की विभिन्न स्तरों की तकनीको के साथ भी काम कर सकता है।
- सीबीटीसी जैसी प्रौद्योगिकी प्रणालियां, जो वर्तमान में दिल्ली मेट्रो गलियारों में उपयोग में हैं, मुख्य रूप से यूरोपीय देशों एवं जापान द्वारा नियंत्रित हैं।

वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (VAIBHAV) शिखर सम्मेलन –

समाचार –

- प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती पर VARIHAV नामक एनआरआई शोधकर्ताओं के आभासी वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।
- शिखर सम्मेलन एनआरआई एवं निवासी शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं के बीच सहयोग एवं सहयोग उपकरणों पर गहराई से प्रतिबिंबित करने के लिए आयोजित किया गया।

लक्ष्य –

- भारतीय अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों के ज्ञान–आधार को एवं बढ़ाने के लिए दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान एवं विकास संगठनों में काम कर रहे भारतीय प्रवासी को शामिल करने के लिए तंत्र विकसित करना।
- लक्ष्य वैश्विक आउटरीच के माध्यम से देश में ज्ञान एवं नवाचार का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

स्क्वेयर किलोमीटर ऐरे (SKA)

समाचार –

स्क्वेयर किलोमीटर ऐरे जिसे SKA भी कहा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का निर्माण की एक अंतरराष्ट्रीय पहल है, जिसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंडिया द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया जा रहा है।

विवरण –

- टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) का नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स (NCRA) परियोजना का प्रमुख टेलीस्कोप मैनेजर (TM) है, जबकि अन्य संस्थान जैसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA)) बेंगलुरु में, पुणे में इंटर–यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA), अन्य भारतीय संस्थानों में कई IIT वैज्ञानिक साझेदार हैं।
- NCRA–TIFR दूरबीन के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को विकसित कर रहा है, अर्थात, नियंत्रण प्रणाली जो दूरबीन को शक्ति प्रदान करेगी।
- भारत एवं चीन सहित 15 सदस्य देशों द्वारा वित्तपोषित, SKA में ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अफ्रीका में उपकरणों के दो सेट होंगे – एवं यह यूके में परियोजना मुख्यालय से चलाया जाएगा।

स्क्वायर किलोमीटर एरे –

- स्क्वायर किलोमीटर एरे (SKA) एक अंतर सरकारी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना है जिसे ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अफ्रीका में बनाने की योजना है।
- SKA में लगभग एक वर्ग किलोमीटर का संग्रहण क्षेत्र होगा।
- यह आवृत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर काम करेगा एवं इसका आकार किसी भी अन्य रेडियो उपकरण की तुलना में 50 गुना अधिक संवेदनशील होगा।
- परियोजना का मुख्यालय यूके में जोड्रेल बैंक वेधशाला में स्थित है।

चेंदमंगलम साड़ी

समाचार –

- सरकार ने भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के लिए चेंदमंगलम साड़ी / साड़ी की पहचान की है।

पृष्ठभूमि –

- 2018 की बाढ़ में, चेन्दमंगलम नाम का छोटा सा गाँव जहाँ की अर्थव्यवस्था हथकरघे पर आधारित थी, केरल को तबाह करने वाले जलप्रलय में बरबाद हो गया था।
- करघे, धागे एवं तैयार माल नष्ट हो गए थे।
- तब से, केरल में बुनकरों के साथ काम करने वाले केयर 4 चेंदमंगलम (C4C), निधि–रेजर प्रदर्शनी के लिए नामांकित जीआई–टैग की गई साड़ी लाया है।
- C4C के दो उद्देश्य हैं – पहला क्लस्टर को पुनर्जीवित करना है, दूसरा अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करना।
- C4C ने जनवरी 2019 में महिला बुनकर समाज के साथ बातचीत शुरू की एवं उम्मीद की कि 2021 तक उन्हें लाभ मिलेगा।

विवरण

- चेन्दमंगलम केरल के एर्नाकुलम के पास एक छोटा सा शहर है।
- यह शहर मुजिरिस के प्राचीन बंदरगाह परिसर का हिस्सा था एवं देवना चेट्टियार – जो मूल रूप से कर्नाटक के बुनकरों का एक समुदाय है, द्वारा अपने अच्छे कपास के लिए जाना जाता है।
- जीआई–टैग की गई चेंदामंगलम साड़ी अपनी पुलीलकारा बॉर्डर से पहचानी जा सकती है, जो एक पतली काली रेखा है जो साड़ी के किनारे चलती है।

- इसमें अतिरिक्त–वेट चुतिकारा एवं धारियां एवं अलग–अलग चौड़ाई की चौकड़ियाँ होती है।
- ये साड़ियाँ 120, 100 एवं 80 के ठीक–ठीक सूती धागे से श्रमसाध्य श्रम के बाद दो से चार दिनों के बीच बनाई जाती हैं।
- केरल से अन्य जीआई टैग किए गए उत्पाद – कासरगोड साड़ी, पोककली चावल, नीलांबुर टीक, वायनाड रोबस्टा कॉफी, तिरूर बेटल लीफ, आदि।

DRDO ने ABHYAS का सफल उड़ान परीक्षण किया

समाचार –

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के इंटरसिम टेस्ट रेंज, बालासोर से ABHYAS – हाई–स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (HEAT) का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया।

विवरण –

- ABHYAS को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE), DRDO द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है।
- ABHYAS-HEAT एक वायु वाहन है। यह जुड़वां अंडरस्लैंग बूस्टर का उपयोग करता है।
- यह एक छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित होता है एवं इसमें मार्गदर्शन एवं नियंत्रण के लिए एक फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर (FCC) के साथ एक इर्नशियल नेविगेशन सिस्टम (INS) होता है।
- वाहन को पूरी तरह से स्वायत्त उड़ान के लिए प्रोग्राम किया गया है।

मिसाइल लक्ष्य वाहन ABHYAS

समाचार –

- डीआरडीओ ने बालासोर में स्वदेशी रूप से डिजाइन, मिसाइल लक्ष्य वाहन अभ्यास, हाई–स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (एचईएटी) का दूसरा सफल परीक्षण किया। पहला सफल परीक्षण मई 2019 में हुआ था।

विशेषताएं –

- वाहन एक ड्रोन है जिसे विभिन्न मिसाइल प्रणालियों को लक्षित करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
- इसे एक डिकॉय विमान के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- परीक्षण वाहन ने 5 किमी उड़ान की ऊंचाई, 0.5 मैक की वाहन गति, 30 मिनट के एंड्युरेंस एवं 2 जी मोड़ क्षमता की आवश्यकताओं को पूरा किया।
- यह DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE) द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है।
- अभ्यास पूर्णतः स्वायत्त उड़ान में सक्षम है एवं गैस टरबाइन इंजन पर चलता है।
- इसका जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम माइक्रो–इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम (MEMS) पर आधारित है एवं यह मार्गदर्शन एवं नियंत्रण के लिए उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर का उपयोग करता है।

डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (DISC 4)

समाचार –

- रक्षा मंत्री ने iDEX इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चौलेंज (DISC 4) को लॉन्च किया।
- रक्षा उत्कृष्टता (iDEX) पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नवाचारों के क्षितिज का विस्तार करने के उद्देश्य से पहल।
- रक्षा मंत्री ने आयोजन के दौरान iDEX4 फौजी पहल एवं उत्पाद प्रबंधन दृष्टिकोण (पीएमए) दिशानिर्देश भी लॉन्च किए।

IDEX

- IDEX (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार) एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो रक्षा एवं एयरोस्पेस के लिए नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देता है।
- IDEX आत्मनिर्भर भारत अभियान की भावना में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा।

उद्देश्य –

- भारतीय रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र के लिए नई, स्वदेशी, एवं नवीन प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास की सुविधा प्रदान करना, ताकि इन क्षेत्रों की जरूरतों को कम समय में पूरा किया जा सके।
- रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्रों के लिए सह–निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, अभिनव स्टार्टअप के साथ जुड़ाव की संस्कृति बनाना।
- रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्रों के भीतर प्रौद्योगिकी सह–निर्माण एवं सह–नवाचार की संस्कृति को सशक्त बनाना।

iDEX4Fauji

- IDEX4 फौजी अपनी तरह की पहली पहल है, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा पहचाने गए नवाचारों को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया है एवं यह सैनिकों एवं क्षेत्र संरचनाओं से मितव्ययी नवाचार विचारों को बढ़ावा देगा।
- क्षेत्र एवं सीमाओं पर, चरम स्थितियों एवं उपकरणों को संभालने में 13 लाख से अधिक सेवा कर्मी काम कर रहे हैं एवं उनके पास ऐसे उपकरणों को बेहतर बनाने के लिए कई विचार एवं नवाचार होंगे।
- इस तरह के नवाचारों का समर्थन करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।
- IDEX4 फौजी इस राह को खोलता हैं एवं हमारे फौजियों को नवाचार प्रक्रिया का हिस्सा बनने एवं मान्यता प्राप्त एवं पुरस्कृत करने की अनुमति देते हैं।
- सेवा मुख्यालय अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में सैनिकों एवं क्षेत्र संरचनाओं को सहायता प्रदान करेगा।

एस्ट्रोसैट

समाचार –

- भारत की पहला बहु–तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष–आधारित वेधशाला, एस्ट्रोसैट, ऑपरेशन के पाँच सफल वर्ष पूरे कर चुका है।
- ASTROSAT सितंबर 2015 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा लॉन्च किया गया पहला बहु–तरंगदैर्ध्य उपग्रह था।

एस्ट्रोसैट –

- एस्ट्रोसैट ने तारों, तारा समूहों की खोज की एवं मिल्की वे आकाशगंगा के बड़े एवं छोटे आकाशगंगाओं को मैप किया जिसे 'मैगेलैनिक क्लाउड्स' कहा गया, जो ब्रह्मांड में एक ऊर्जावान घटना है जैसे अल्ट्रा–वायलेट गामा–रे फटना, सुपरनोवा, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक इत्यादि।
- इसरो के एस्ट्रोसैट में पेलोड की एक विस्तृत श्रृंखला है – अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (UVIT), बड़े क्षेत्र X-Ray आनुपातिक काउंटर (LAXPC), सॉफ्ट एक्स–रे टेलीस्कोप (SXT), कैडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर (CZTI), स्काई मॉनिटर की स्कैनिंग (एसएसएम) एवं चार्जेड पार्टिकल मॉनिटर (सीपीएम)।
- एस्ट्रोसैट एक महत्वपूर्ण उपग्रह साबित हुआ है जो दूर के पराबैंगनी से कठोर एक्स–रे बैंड तक तरंगदैर्ध्य की एक सीमा पर एक साथ अवलोकन करने में सक्षम है।
- अल्ट्रा–वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, या यूवीआईटी, एक उल्लेखनीय 3–इन–1 इमेजिंग टेलीस्कोप है जो एक साथ दृश्यमान, निकट–पराबैंगनी (एनयूवी), एवं दूरबीन (एफयूवी) स्पेक्ट्रम का अवलोकन करता है।
- एस्ट्रोसैट पहला समर्पित भारतीय मिशन था जिसने एक्स–रे, यूवी एवं ऑप्टिकल स्पेक्ट्रल बैंड के साथ–साथ अपने पांच यूवी टेलीस्कोप एवं एक्स–रे दूरबीनों के साथ आकाशीय स्रोतों का अध्ययन किया था।
- ASTROSAT का ग्राउंड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर ISRO टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क (ISTRAC), बैंगलोर में स्थित है।

इस्ट्रैक

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने वर्षों में, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एवं कमांड (TTC) सहायता प्रदान करने एवं वाहन मिशन शुरू करने के लिए ग्राउंड स्टेशनों का एक व्यापक वैश्विक नेटवर्क स्थापित किया है।
- इन सुविधाओं को इसरो टेलीमेटरी, ट्रैकिंग एवं कमांड नेटवर्क (ISTRAC) के तहत बैंगलोर, भारत में अपने मुख्यालय के साथ समूहीकृत किया गया है।

गैलेक्स

- GALEX गैलेक्सी इवोल्यूशन एक्सप्लोरर है। इसे नासा ने 2003 में लॉन्च किया था एवं यह 2012 तक संचालित हुआ।
- मिशन को सैकड़ों हजारों आकाशगंगाओं का निरीक्षण करना था।
- इसका उद्देश्य पृथ्वी से प्रत्येक आकाशगंगा की दूरी निर्धारित करना था।
- इसने प्रत्येक आकाशगंगा में तारो के बनने की दर का पता भी लगाया।

हिमालयन चंद्र टेलिस्कोप

समाचार –

- हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, जो भारतीय खगोलीय वेधशाला, माउंट सरस्वती, हनले, लद्दाख पर स्थित है ने ऑपरेशन के 20 साल पूर्ण किए।
- यह धूमकेतु, तारकीय विस्फोटों, पूर्व ग्रहों एवं क्षुद्रग्रहों की खोज में रात के आकाश को स्कैन करता रहा है।

विवरण –

- यह दूरस्थ रूप से बैंगलोर के लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में होसाकोट के भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (CREST) में अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए एक समर्पित उपग्रह संचार लिंक का उपयोग करके संचालित है।
- हिमालयन फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ कैमरा (HFOSC) एवं नियर–इन्फ्रारेड कैमरा नियमित टिप्पणियों के लिए उपलब्ध हैं।
- दूरबीन INSAT-3B उपग्रह लिंक द्वारा दूर से संचालित है जो उप–शून्य तापमान में भी संचालन की अनुमति देता है।
- इसने एक वर्ष में 1000 जीबी डेटा उत्पन्न किया।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

क्यूशू द्वीप

समाचार –

- जापान के दक्षिणी क्यूशू द्वीप पर एक शक्तिशाली टायफुन ने तबाही मचाई।

क्यूशू द्वीप के बारे में –

- यह जापान के पांच मुख्य द्वीपों में से सबसे दक्षिणी एवं तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है।
- यह द्वीप पहाड़ी है, एवं जापान का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, माउंट एसो, क्यूशू पर ही है।
- दक्षिण के ज्वालामुखीय क्षेत्र के अलावा, द्वीप के उत्तरी भाग में बेप्पू के आसपास महत्वपूर्ण मिट्टी के गर्म झरने हैं।
- द्वीप कान्सन जलसंधि द्वारा होन्शु द्वीप से अलग होता है।
- एशियाई महाद्वीप का निकटतम द्वीप होने के नाते, ऐतिहासिक रूप से यह जापान का प्रवेश द्वार है।
- क्यूशू के कुछ भाग विशेष रूप से मियाजाकी प्रान्त एवं कागोशिमा प्रान्त में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है ।

- प्रमुख कृषि उत्पाद चावल, चाय, तंबाकू, शकरकंद एवं सोया हैं। इसके अलावा, रेशम का उत्पादन व्यापक रूप से किया जाता है।

योशीहिदे सुगा

समाचार –

- लगभग आठ वर्षों तक प्रधानमंत्री शिंजो आबे के दाहिने हाथ रहे प्रमुख कैबिनेट सचिव योशीहिदे सुगा देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद संभालने के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उभरे।

जापान में चुनाव –

- जापानी राजनीतिक प्रक्रिया में तीन प्रकार के चुनाव होते हैं –
  1. प्रति चार वर्ष में प्रतिनिधि सभा के लिए आम चुनाव (यदि निम्न सदन पहले भंग न हो जाए तो)
  2. अपने आधे सदस्यों को चुनने के लिए हर तीन साल में हाउस ऑफ काउंसिलर्स के चुनाव होते हैं।
  3. प्रीफेक्चर एवं नगरपालिकाओं में कार्यालयों के लिए हर चार साल में स्थानीय चुनाव होते हैं।

इंद्र 2020

समाचार –

- भारत एवं रूस ने हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के बजाय मलक्का जलडमरूमध्य के करीब अंडमान सागर में 4 एवं 5 सितंबर को इंद्र 2020 का आयोजन किया।
- अंडमान सागर वह स्थान था जहाँ भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों ने इस वर्ष जुलाई में यूएसए नौसेना के यूएसएस निमित्ज वाहक हड़ताल समूह के साथ पासेक्स अभ्यास (PASSEX) आयोजित किया था।

इंद्र व्यायाम –

- अभ्यास की इंद्र श्रृंखला 2003 में शुरू हुई एवं दोनों देशों के बीच वैकल्पिक रूप से एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के रूप में आयोजित की गई थी।
- इस अभ्यास को रूसी एवं भारतीय नौसेनाओं के बीच सहयोग एवं अंतर को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है।
- INDRA शब्द प्रतिभागियों इंडिया एवं रशिया को मिलाकर बनाया गया है।
- अभ्यास में लाइव फायरिंग ड्रिल, वायु रक्षा एवं पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद एवं मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने की गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

जी–20 मीट

समाचार –

- महामारी के बीच सीमा पार हलचल (क्रॉस–बॉर्डर मूवमेंट) पर ध्यान देते हुए सऊदी अरब ने जी–20 के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी की। यह आभासी बैठक कोविड–19 महामारी संकट की पृष्ठभूमि में बुलाई गई थी।
- भारत ने 'लोगों के समन्वित सीमा पार आवागामन के स्वैच्छिक जी 20 सिद्धांतों' के विकास प्रस्ताव दिया, जिसमें निम्न तीन तत्वों का सुझाव दिया गया है –
  (ए) परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण एवं परीक्षण परिणामों की सार्वभौमिक स्वीकार्यता।
  (बी) संगरोध प्रक्रियाओं का मानकीकरण।
  (सी) आवागमन एवं पारगमन के प्रोटोकॉल का मानकीकरण।
- चर्चा, कोविड–19 संकट के मद्देनजर सीमाओं के पार अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित रही।
- राष्ट्रों ने कोविड–19 महामारी के जवाब में सीमा पार प्रबंधन उपायों से सीखे गए राष्ट्रीय अनुभवों एवं सबक का भी आदान–प्रदान किया।

भारत–बांग्लादेश अंतर्देशीय जलमार्ग

समाचार –

- त्रिपुरा के सोनामुरा से बांग्लादेश के दाउदकंडी तक ट्रायल रन शुरू हुआ।
- एमवी प्रीमियर दाउदकंडी से (3 सितंबर को) सीमेंट माल के 50 मीट्रिक टन के साथ रवाना हुआ एवं 5 सितंबर को त्रिपुरा के सोनमुरा में गुमटी नदी के रास्ते 93 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुँचा।

प्रमुख झलकियाँ –

- यह मार्ग पहली बार अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करते हुए त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेगा।
- बांग्लादेश एवं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच नई कनेक्टिविटी से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

पहला भारत–फ्रांस–ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता

समाचार –

- चीनी सैन्य मुखरता बढ़ने के साथ भारत–प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया ने पहली त्रिपक्षीय वार्ता (वस्तुतः) पर ध्यान केंद्रित किया है।
- तीन पक्ष वार्षिक आधार पर बातचीत आयोजित करने पर सहमत हुए।

उद्देश्य –

- तीन देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का निर्माण, एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध एवं नियम–आधारित भारत–प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनी–अपनी ताकत को साझा करना है।

प्रमुख झलकियाँ –

- तीनों पक्षों ने विशेष रूप से कोविड–19 महामारी एवं घरेलू प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में, भारत–प्रशांत में आर्थिक एवं भूस्थैतिक चुनौतियों एवं सहयोग पर चर्चा की।
- मरीन ग्लोबल कॉमन्स पर सहयोग एवं त्रिपक्षीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर व्यावहारिक सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई, जिसमें आसियान, IORA एवं हिंद महासागर आयोग जैसे क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से शामिल हैं।
- तीन देशों ने क्षेत्रीय एवं वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों की प्राथमिकताओं, चुनौतियों एवं रुझानों पर भी आदान–प्रदान किया, जिसमें बहुपक्षवाद को मजबूत करने एवं सुधार करने के सर्वोत्तम तरीके शामिल हैं।

भारत महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य बन गया

समाचार –

- भारत को आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के एक निकाय, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वीमेन (CSW) का सदस्य चुना गया है, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि है।
- भारत चार साल 2021 से 2025 के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य होगा।

भारत यूएन वुमेन के कमीशन ऑन स्टेटस का सदस्य बन गया

समाचार –

- भारत को आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC), संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र के महिला आयोग (CSW) के एक सदस्य के रूप में चुना गया है।
- भारत चार साल के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य होगा – 2021 से 2025।

विश्व समुद्री दिवस

समाचार –

- विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री उद्योगों के योगदान को चिह्नित किया जा सके विशेष रूप से नौवहन।
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) विश्व समुद्री दिवस प्रति वर्ष मनाता है।

लक्ष्य –

- विश्व समुद्री दिवस शिपिंग सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा एवं समुद्री पर्यावरण के महत्व पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य शिपिंग सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा एवं समुद्री पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

विषय –

- विश्व समुद्री दिवस 2020 की थीम 'एक स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग' है।
- यह विषय संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है।
- शिपिंग उद्योग, IMO विनियामक ढांचे के समर्थन के साथ, इस स्थायी भविष्य के लिए संक्रमण शुरू कर चुका है।
- शिपिंग ने विश्व व्यापार का 80% से अधिक परिवहन जारी रखा है, जिसमें महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति, भोजन, एवं अन्य बुनियादी सामान शामिल हैं जो कोविड–19 के दौर में महत्वपूर्ण हैं।

शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

समाचार –

- प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को विश्व भर में मनाया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इन 24 घंटों को अहिंसा एवं संघर्ष विराम के अवलोकन के माध्यम से शांति के आदर्शों को मजबूत बनाने के लिए समर्पित घोषित किया है।
- **2020 थीम –** शेपिंग पीस टुगेदर

विवरण –

- अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी।
- दो दशक बाद, 2001 में, महासभा ने सर्वसम्मति से अहिंसा एवं संघर्ष विराम की अवधि के रूप में दिन को नामित करने के लिए मतदान किया।
- दिन की शुरूआत करने के लिए, न्यूयॉर्क शहर स्थित संयुक्त राष्ट्र शांति घंटा बजाया जाता है।

विश्व पर्यटन दिवस

समाचार –

- 1980 के बाद से, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के रूप में मनाया है।
- 2020 के लिए दिन का विषय 'पर्यटन एवं ग्रामीण विकास' है।

विवरण –

- इस तारीख को 1970 में उस दिन के रूप में चुना गया था, जब UNWTO के कानून को अपनाया गया था। इन विधियों को अपनाना वैश्विक पर्यटन में एक मील का पत्थर माना जाता है।
- पहली बार, मर्कोसुर ब्लॉक (अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे एवं उरुग्वे से, चिली के साथ पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाले) संयुक्त राष्ट्र के रूप में काम करेंगे।

सूचना के लिए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDUAI)

समाचार –

- यूनिवर्सल एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन 2020 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया गया।
- 2020 की थीम – "सूचना तक पहुँच – जीवन रक्षा, विश्वास निर्माण, आशा लाना"।

विवरण –

- IDUAI 2020 संकट के समय में सूचना के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करेगा एवं कोविड–19 संकट से परे जीवन को बचाने, विश्वास कायम करने एवं टिकाऊ नीतियों के निर्माण में मदद करने के लिए सार्वजनिक पहुंच के लिए संवैधानिक, वैधानिक एवं/या नीति की गारंटी देता है। ।
- 2015 में यूनेस्को सामान्य सम्मेलन द्वारा इस दिन की घोषणा की गई थी।
- इस दिन को 2002 से अंतर्राष्ट्रीय अधिकार दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी एवं इसे 2012 में शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज के अधिवक्ताओं द्वारा विकसित किया गया था।
- यूनेस्को के प्रस्ताव को अफ्रीकी नागरिक समाज समूहों द्वारा चुनौति दी गई थी जो अधिक से अधिक सूचना पारदर्शिता चाहते थे।

भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितकी

उकाई बांध

समाचार –

- मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण उकाई बाँध में पानी के भारी प्रवाह को देखा गया।

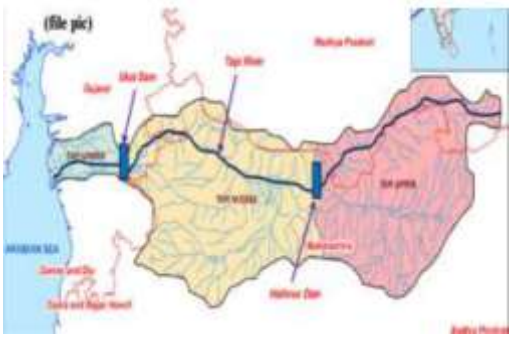

उकाई बाँध –

- तापी नदी पर बना उकाई बांध, सरदार सरोवर के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है।
- 1972 में निर्मित, बांध सिंचाई, बिजली उत्पादन एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए है।
- यह स्थल गुजरात के सूरत से 94 किमी दूर स्थित है।
- बांध एक अर्थ–कम–मेसनरी बांध है।
- बड़ौदा के गायकवाड़ वंश द्वारा निर्मित एक किला जलाशय में डूबा गया था।

उकाई हाइड्रो पावर स्टेशन

- चार हाइड्रो टरबाइन इकाइयां हैं, जिनमें से प्रत्येक 75 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता 300 मेगावाट है।
- सभी इकाइयाँ BHEL द्वारा बनाई गई थी।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष

समाचार –

- सरकार उठाती है कोविड विशिष्ट अवसंरचना के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग करने की सीमा 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है।
- सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोनोवायरस रोग के प्रभावी प्रबंधन के लिए सूक्ष्म क्षेत्रों का गठन किया जाना चाहिए।
- देश के 63 प्रतिशत से अधिक सक्रिय मामले छह राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रित हैं, अर्थात आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (ए) के तहत गठित एसडीआरएफ, अधिसूचित आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि है।
- केंद्र सरकार ने सामान्य श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एसडीआरएफ आवंटन में 75% एवं विशेष श्रेणी के राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (एनई राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर) के लिए 90% का योगदान दिया है।
- वार्षिक केंद्रीय योगदान वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार दो समान किस्तों में जारी किया जाता है।
- एसडीआरएफ का उपयोग केवल पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए खर्च को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
- एसडीआरएफ के तहत आने वाले आपदाएँ – चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला, शीत लहरें

विश्व नारियल दिवस

समाचार –

- 2 सितंबर, विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में नारियल के महत्व एवं इसके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
- इस वर्ष विश्व नारियल दिवस की थीम – विश्व को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें'।
- इस दिन को विशेष रूप से एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्रों के तहत एशियाई एवं प्रशांत नारियल समुदाय (APCC) द्वारा चिह्नित किया जाता है, क्योंकि विश्व के अधिकांश नारियल उत्पादन केंद्र वहाँ हैं।

नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

समाचार –

- नीली आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर, 2020 को आयोजित किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री इस वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे।
- भारत एक स्वच्छ वातावरण एवं प्रदूषण मुक्त हवा एवं पानी नीर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पृष्ठभूमि –

- पिछले साल 19 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने हर साल 7 सितंबर को इस वर्ष से शुरू होने वाले 'ब्लू स्काई के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस' मनाने का संकल्प लिया था।

लक्ष्य –

- सभी स्तरों – व्यक्ति, समुदाय, कॉर्पोरेट एवं सरकार – पर स्वच्छ हवा स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण के लिए महत्व पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना।
- अन्य पर्यावरणीय / विकासात्मक चुनौतियों जैसे – सर्वाधिक एवं सबसे महत्वपूर्ण – जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के लिए वायु गुणवत्ता की निकटता को प्रदर्शित करता है।
- समाधानों को बढ़ावा देना एवं सुगम बनाना जो क्रियात्मक ज्ञान सर्वोत्तम प्रथाओं, नवाचारों एवं सफलता की कहानियों को साझा करके हवा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं।
- इस विषय पर काम करने वाले विविध अंतरराष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन बनाने एवं प्रभावी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों को गति प्रदान करना।

हिमालयन डे

समाचार –

- 9 सितंबर को 2010 से 'हिमालयन डे' के रूप में मनाया जाता है।
- इस वर्ष के दिन के लिए थीम 'हिमालय एवं प्रकृति' है।
- पिछले साल, मसूरी में हिमालयन डे मनाया गया था जिसमें 11 हिमालयी राज्यों ने उत्सव में भाग लिया था।

उत्तराखंड का 'संस्कृत ग्राम'

समाचार –

- उत्तराखंड दो गांवों के निवासियों को संस्कृत सिखाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहा था। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, एवं इसने राज्य सरकार को अधिकारियों को राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।
- अब, राज्य सरकार ने कार्यक्रम के विस्तार के लिए उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, हरिद्वार, चंपावत, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी अल्मोड़ा, उधमपुर नगर एवं पिथौरागढ़ जिलों के गांवों का चयन किया है।
- पहले दो संस्कृत गाँव – चमोली जिले में किमोथा एवं बागेश्वर जिले में भंटोला।
- उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर 'उत्तरांचल संस्कृत संस्थान' करने का भी निर्णय लिया गया है।

क्लाईमेट स्मार्ट सीटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क (CSCAF) 2.0

समाचार –

- आवास एवं शहरी मामलों (MoHUA) के राज्य मंत्री ने एक आभासी सम्मेलन में 'स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज' के साथ जलवायु स्मार्ट शहरों के आकलन फ्रेमवर्क (CSCAF) 2.0 का शुभारंभ किया।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) के तहत शहरों के लिए जलवायु केंद्र CSCAF के कार्यान्वयन में MoHUA का समर्थन कर रहा है।

उद्देश्य –

- CSCAF को अपने कार्यों की योजना बनाते एवं उन्हें लागू करते समय जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में शहरों के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करना है।

विश्व ओजोन दिवस 2020

समाचार –

- प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है।
- ओजोन परत में हो रही कमी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने एवं इसे संरक्षित करने के संभावित समाधानों की खोज करने के लिए यह दिन मनाया जाता है।
- 'ओजोन फॉर लाइफ' विश्व ओजोन दिवस 2020 का थीम है।

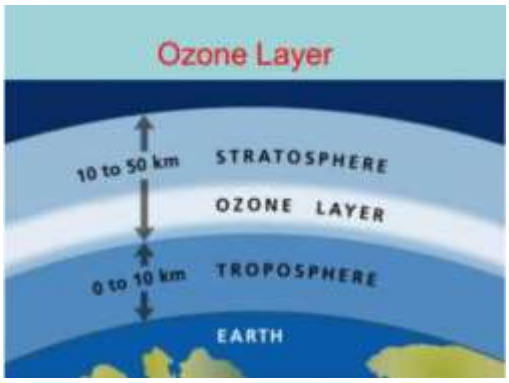

हिल्सा / लिली मछली

समाचार –

- बांग्लादेश सरकार ने भारत को हिल्सा मछली के निर्यात की अनुमति दी है। बांग्लादेश ने 2012 में हिल्सा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था।
- हालांकि, भारत सरकार की अनुमति से दुर्गा पूजा के दौरान मछली का निर्यात जारी है।
- विश्व में हिल्सा मछली के उत्पादन में बांग्लादेश का हिस्सा लगभग 75 प्रतिशत है।

बांग्लादेश ने निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया?

- जल निकायों में घरेलू एवं औद्योगिक कचरा, बांधों का निर्माण मछली की आबादी को प्रभावित कर रहा था।
- बांग्लादेश से भारत जाने वाली पुरानी नौकाओं से धीरे–धीरे तेल फैलने से मछली पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित हुआ था।
- एक अन्य कारण मछली के शिकार की अधिकता थी।

- एक रिपोर्ट के अनुसार, अकेले हिल्सा मछली पकड़ने में 4 मिलियन से अधिक मछुआरे कार्यरत थे।
- इसके अलावा, प्लवकों (प्लैंकटन) की आवश्यक मात्रा कम हो गई थी।

हिल्सा मछली

- यह भारतीय उपमहाद्वीप लोकप्रिय एवं अत्यधिक मांग वाली खाद्य मछली है। सबसे प्रसिद्ध हिल्सा मछली बांग्लादेश के चांदपुर जिले से आती है।
- यह बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है एवं भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में राज्य का प्रतीक है।
- मछली को IUCN रेड लिस्ट में थ्रेटन्ड स्पीशीज़ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- सुंदरवन मछली का प्राकृतिक आवास है। इसके अलावा, मछली आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी में भी पाई जाती है।
- बंगाली दुर्गा पूजा के दौरान मछलियों को देवी लक्ष्मी को अर्पित करते हैं।
- मछली 11 देशों बांग्लादेश, ईरान, इराक, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, कुवैत, बहरीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया एवं मलेशिया में पाई जाती है। हालांकि, विश्व की कुल हिल्सा मछली का 75% उत्पादन बांग्लादेश में होता है।

विश्व बांस दिवस

समाचार –

- प्रतिवर्ष 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। यह विश्व स्तर पर बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्सव का दिन है।
- WBD 2020 के 11 वें संस्करण की थीम 'बैंबु नाउ' है।

पृष्ठभूमि –

- विश्व बांस दिवस की स्थापना 18 सितंबर को बैंकाक में आयोजित 8 वीं विश्व बांस कांग्रेस में की गई थी एवं इसे थाई रॉयल वन विभाग द्वारा घोषित किया गया था।
- विश्व बांस संगठन का उद्देश्य बांस की क्षमता को ओर अधिक बढ़ाना है – प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए, स्थायी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, दुनिया भर के क्षेत्रों में नए उद्योगों के लिए बांस की नई खेती को बढ़ावा देना है।

ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको–लेबल

समाचार –

- प्रतिष्ठित 'ब्लू फ्लैग' अंतर्राष्ट्रीय ईको–लेबल के लिए आठ भारतीय समुद्र तटों की सिफारिश की गई है।
- ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है।
- आठ समुद्र तट हैं – गुजरात में शिवराजपुर, दमन में घोघला एवं दीव, कर्नाटक में कासरकोद एवं पदुबिद्री समुद्र तट, केरल में कप्पड़, आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा, ओडिशा में स्वर्ण समुद्र तट एवं अंडमान एवं निकोबार में राधाकुंड समुद्र तट।
- यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय तटीय क्लीन–अप दिवस की पूर्व संध्या पर हुई, जिसे 1986 से 100 देशों के साथ मनाया जा रहा है।

जैव विविधता सूचकांक मैप

समाचार –

- जैव विविधता सूचकांक में शामिल होने वाला कोच्चि राज्य का पहला शहर बन गया।
- सूचकांक आईसीईएलआई–स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्थिरता के लिए केंद्र, विरासत, पर्यावरण एवं विकास केंद्र की मदद से कार्यान्वित INTERACT-Bio 'परियोजना का हिस्सा है।
- INTERACT-Bio – इंटीग्रेटेड सबनेशनल एक्शन फॉर बायोडायवर्सिटी

लक्ष्य –

- इसका उद्देश्य शहर के जैव विविधता सूचकांक को विकसित करना एवं शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण का आकलन करना है। परिणाम कोच्चि निगम को शहरी जैव विविधता की योजना बनाने एवं बेहतर संरक्षण में मदद करेंगे।

विवरण –

- परियोजना को पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण एवं परमाणु सुरक्षा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय की मदद से निष्पादित किया गया था।
- सूचकांक में 18 जैव विविधता संकेतकों को ध्यान में रखा गया है जो शहर की मूल जैव विविधता को मापती है। शहर को 72 में से 45 अंक प्राप्त हुए हैं।
- निगम के 2019–20 के बजट में सूचकांक की तैयारी का उल्लेख किया गया था।
- 2019–20 के लिए शहर के कुल बजट आवंटन का केवल 1. 8% जैव विविधता के लिए था। इसमें नहर कायाकल्प एवं मत्स्य पालन एवं पशुपालन परियोजनाएं शामिल हैं।

द इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन–अप डे (तटीय स्वच्छता दिवस)

समाचार –

- अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 19 सितंबर, 2020 को विश्व भर में मनाया गया।

विवरण –

- अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस लोगों को कचरे से भरे समुद्र तटों के साफ रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- एक अनुमान के अनुसार, महासागर में प्लास्टिक के मलबे के 5.25 खरब टुकड़े हैं, इनमें से कुछ को सीधे समुद्र में फेंक दिया गया था, कुछ समुद्र तट से समुद्र में चला गया था। प्लास्टिक एवं अन्य कचरे को समुद्र तटों से हटाकर, इसके समुद्र में समाप्त होने की संभावना को कम किया जा सकता है।

विश्व गेंडा दिवस

समाचार –

- जागरूकता बढ़ाने एवं इस अविश्वसनीय प्रजाति के लिए एक सुरक्षित प्राकृतिक आवास बनाने के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है।
- विश्व गैंडे दिवस की घोषणा 2010 में विश्व वन्यजीव कोष (WWF) द्वारा की गई थी।

प्रमुख झलकियाँ –

- अफ्रीका एवं एशिया में रहने वाली पांच गैंडों की प्रजातियों में से एक को 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय (क्रिटीकली एन्डेंज्रड) 'घोषित किया गया है। ये प्रजातियाँ हैं – जावा गैंडा, सुमात्रा गैंडा एवं काला गैंडा।
- सफेद गैंडों को 'नीयर थ्रेटन्ड' घोषित किया गया है।
- एक सींग वाले गैंडों को 'वल्नरेबल टू एक्सटेंशन' माना गया है।
- गैंडा आबादी के नुकसान का मुख्य कारण अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन एवं उनके प्राकृतिक आवास का विनाश है।
- औषधीय गुणों की धारणा के चलते इनके सींगों की मांग अत्यधिक हैं।

इतिहास, कला एवं संस्कृति

शिक्षक दिवस

समाचार –

- शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन – भारतीय दार्शनिक एवं भारत के दूसरे राष्ट्रपति, की जयंती के अवसर पर, 5 सितंबर को मनाया जाता है।
- विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन प्रत्येक देश इसे अलग–अलग तिथियों पर मनाता है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन –

- डॉ. राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति (1952–1962) दूसरे राष्ट्रपति (1962–1967) थे।
- उनका जन्म आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु सीमा के निकट मद्रास प्रेसीडेंसी में हुआ था।
- 1908 में दर्शनशास्त्र में एमए पूरा करने के बाद, उन्होंने मद्रास प्रेसीडेंसी कॉलेज में पढ़ाया।
- उन्होंने 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति का पद संभाला, इसके बाद 1939 में मदन मोहन मालवीय के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के कुलपति बने।
- उन्हें 1931 में उन्हें 'नाइट' सम्मान एवं 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न प्रदान किया गया।
- उन्हें 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट का मानद सदस्य बनाया गया।

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

समाचार –

- पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश प्रसारक डेविड एटनबरो को एक आभासी कार्यक्रम में वर्ष 2019 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया।
- श्री सिंह ने ब्रिटिश प्रसारक सर डेविड एटनबरो को 'प्रकृति की मानवीय आवाज' के रूप में वर्णित किया।
- सर डेविड एटनबरो एक प्रकृतिवादी एवं प्रसारक हैं।
- उन्हें इस पुरस्कार के लिए 'उनके द्वारा लोगों को प्राकृतिक दुनिया के चमत्कारों को प्रकट करने के लिए जीवन भर किए गए अनुसंधान' के कारण चुना गया।

पुरस्कार का विवरण –

- शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना 1986 में उनके नाम पर एक ट्रस्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री की याद में की गई थी।
- इसमें प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रूपये का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है।
- यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं।

हिंदी दिवस

समाचार –

- प्रतिवर्ष 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है।
- इस दिन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी में लिखी गई हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया।
- हिंदी दुनिया में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है एवं 520 मिलियन से अधिक लोगों की पहली भाषा है।
- भारत की संविधान सभा द्वारा भारतीय गणराज्य की दो आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में हिंदी को अपनाया गया था।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी (एक लिपि जिसे 120 से अधिक भाषाओं में उपयोग किया जाता है) को आधिकारिक भाषा (समृद्ध भाषाई विविधता वाले देश के रूप में) के रूप में अपनाया गया था।
- भारत के संविधान में 22 अनुसूचित भाषाएँ हैं, जिनमें से, दो का आधिकारिक तौर पर संघ स्तर पर उपयोग किया जाता है – हिंदी एवं अंग्रेजी।

प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए समिति

समाचार –

- सरकार ने भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति एवं विकास पर एक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
- सोलह सदस्यीय समिति में के. एन. दीक्षित, अध्यक्ष, भारतीय पुरातत्व सोसायटी एवं पूर्व संयुक्त महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सहित अन्य व्यक्ति शामिल हैं।

शासनादेश –

- 12,000 वर्ष पहले से भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति एवं विकास तथा विश्व की अन्य संस्कृतियों के साथ इसके संबंधों केएक समग्र अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस

समाचार –

- अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है।
- दिन का उद्देश्य भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम के महत्व को समझना है जो संवाद, समझ एवं सहयोग की सुविधा प्रदान करते हुए विकास में योगदान एवं विश्व शांति एवं सुरक्षा को मजबूत करते हैं।
- 30 सितंबर, सेंट जेरोम, जो बाइबल अनुवादक है, तथा जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है, का जन्म दिवस है।

महालया –

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालया के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
- महालया श्राद्ध या पितृ पक्ष – 16 दिन की अवधि जब हिंदू अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं, के अंत में मनाया जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा ने पृथ्वी पर महालया का अवतरण किया जो बंगालियों द्वारा दुनिया भर में बहुत उत्साह एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है।
- बंगाली लोग परंपरागत रूप से देवी महात्म्य (चंडी) से भजन सुनाने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं। घरों एवं पूजा मंडपों (अस्थायी मंदिरों) में पितरों को तर्पण दिया जाता है।

भगत सिंह

- राष्ट्र ने 28 सितंबर को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की 113 वी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
- भगत सिंह का जन्म (28 सितंबर 1907) अविभाजित पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के बंगा गाँव में हुआ था।
- उन्होंने देश की आजादी के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 23 साल की उम्र में उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में फांसी दे दी गई।

हिंद स्वराज

समाचार –

- हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक पुस्तक है।
- 1909 में अपनी पुस्तक 'हिंद स्वराज' में, गांधीजी ने अप्रतिबंधित उद्योगवाद एवं भौतिकवाद के खिलाफ भारतीयों को आगाह किया।
- गांधी का मानना था कि भारत अपनी बड़ी आबादी एवं विकास के पश्चिमी मॉडल के साथ धरती माता के संसाधनों को समाप्त कर सकता है।

विवरण –

- उन्होंने यह पुस्तक अपनी मूल भाषा गुजराती में लिखी है।
- इसमें वह स्वराज, आधुनिक सभ्यता, मशीनीकरण आदि पर अपने विचार व्यक्त करते हैं।
- पुस्तक को 1910 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक राजद्रोही पाठ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया था।

इतिहास, कला एवं संस्कृति

रोगन कला

समाचार –

- रोगन कला (कपड़े पर हाथ से पेंटिंग) की सदियों पुरानी परंपरा, महामारी के कारण एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रही है।
- प्रारंभ में, रोगन कला से मुख्य रूप से घाघरा–चोली, दुल्हन के कपड़ों, बेडशीट एवं मेजपोशों को सजाया गया, अब इसका उपयोग अधिक समकालीन वस्तुओं में किया जा रहा है।

रोगन कला के बारे में –

- रोगन एक 300 साल पुरानी शिल्प परंपरा है जो कभी गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पनपी थी।
- इस शिल्प में, उबले हुए तेल एवं वनस्पति रंगों से बने पेंट को कपड़े पर या तो धातु ब्लॉक (मुद्रण) या एक स्टाइलस (पेंटिंग) का उपयोग करके छापा जाता है।
- रोगन शब्द फारसी से आया है, जिसका अर्थ है वार्निश या तेल।
- इस तेल आधारित पेंट को कपड़े में लगाने की प्रक्रिया पाकिस्तान के सिंध से भारत आए एक मुस्लिम समुदाय खत्री के बीच शुरू हुई थी।

रोगन पेंटिंग की प्रक्रिया –

- लगभग दो दिनों के लिए अरंडी के तेल को उबालकर एवं फिर वनस्पति रंजक एवं एक बाध्यकारी एजेंट डालकर रोगन पेंट का निर्माण किया जाता है। परिणामस्वरूप पेंट मोटा एवं चमकदार हो जाता है।
- जो कपड़ा रंगा या छपा होता है, वह आमतौर पर एक गहरा रंग होता है, जो गहन रंगों को उभारता है।
- रोगन प्रिंटिंग में, पैटर्न को उन में खुदी हुई पैटर्न के साथ धातु ब्लॉकों का उपयोग करके लागू किया जाता है। रोगन पेंटिंग में, स्टाइलस के पेंट ऑफ स्ट्रैंड जैसे धागे को पीछे करके, विस्तृत डिजाइन फ्रीहैंड का उत्पादन किया जाता है।
- अक्सर, एक डिजाइन का आधा हिस्सा चित्रित किया जाता है, फिर कपड़े को आधा में मोड़ दिया जाता है, दर्पण छवि को कपड़े के दूसरे आधे हिस्से में स्थानांतरित किया जाता है।
- डिजाइनों में पुष्प रूपांकनों, जानवरों एवं स्थानीय लोक कला इत्यादि शामिल हैं।

नई संसद भवन

समाचार –

- नए संसद भवन के निर्माण की बोली टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने जीती है।

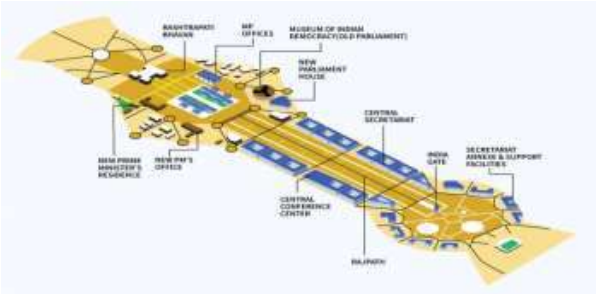

निर्माण योजना –

- देश के सत्ता गलियारे, सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास परियोजना, के लिए एक नए त्रिकोणीय संसद भवन की परिकल्पना की गई है।
- 1400 सदस्यों को समायोजित करने के लिए केंद्रीय कक्ष बड़ा किया जाएगा।
- यह परियोजना राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले तीन–किलोमीटर के राजपथ को भी पुनर्जीवित करेगी।
- संपूर्ण परियोजना का रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।
- नए भवन में लगभग 1,400 सांसदों के बैठने की विशाल व्यवस्था होगी।
- एक बार नए भवन के निर्माण के बाद, मौजूदा संसद भवन का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
- प्रस्तावित इमारत का कुल प्लिंथ क्षेत्र लगभग 65,000 वर्गमीटर है।
- इमारत एक तहखाने के साथ जमीन एवं दो मंजिला होगी।
- गुजरात स्थित आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है।
- फर्म के पास परियोजना का मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी है, जिसमें डिजाइन लैंडस्केप एवं ट्रैफिक इंटीग्रेशन प्लान एवं अन्य लोगों के बीच पार्किंग सुविधा शामिल है।
- सरकार को नए केंद्रीय सचिवालय की सुविधा के लिए उद्योग भवन, कृषि भवन एवं शास्त्री भवन जैसी इमारतों को ध्वस्त करने की संभावना है जहाँ कई मंत्रियों के कार्यालय होंगे।

वर्तमान संसद भवन

- संसद भवन, नई दिल्ली स्थित भारत के संसद की बैठक है, जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा शामिल है।
- वर्तमान संसद भवन को ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियन एवं सर हर्बर्ट बेकर ने 1912–1913 में ब्रिटिश भारत के लिए एक नई प्रशासनिक राजधानी बनाने के अपने व्यापक जनादेश के हिस्से के रूप में डिजाइन किया था।
- संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ एवं यह 1927 में पूर्ण हुआ।

काकतीय राजवंश

समाचार –

- काकती देवी मंदिर, जिसे धारानिकोटा (आंध्र प्रदेश) में काकतीय शासक गणपति देव द्वारा बनाया गया था, को स्थानीय देवी ने बालुसुलम्मा '(देवी दुर्गा) के निवास स्थान में बदल दिया गया है।
- इस 13 वीं शताब्दी के मंदिर में पीठासीन देवता काकती देवी थी, जो काकतीय शासकों के कुल देवता थे।
- समय की मान एवं देखभाल के अभाव में, पीठासीन देवता क्षतिग्रस्त हो गए।
- ग्रामीण जिन्हें मंदिर के पवित्र अतीत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी ने वहाँ बालुसुलम्मा की मूर्ति स्थापित की एवं पूजा शुरू कर दी।

विवरण –

- गणपति देव पहले राजा हैं जिन्होंने काकती देवी की पूजा आंध्र के तटीय क्षेत्र में एवं उनके राज्य के प्रभुत्व से बाहर की शुरुआत की।
- बाद में, गणपम्बा के संरक्षण में निवास स्थान विकसित किया गया था।
- देवी की मूर्ति आठ हाथों से पद्मासन में सुशोभित है।
- उसके चेहरे की शारीरिक पहचान अंडाकार हैं, पतला गाल, चौड़ी खुली आंखें, लम्बी नाक एवं बंद होंठों की जोड़ी के साथ प्रतिष्ठित हैं। उसके आठ हाथ हैं एवं आठ अलग–अलग खासियतें हैं।
- उसका निचला दाहिना हाथ श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रहा है।
- मंदिर की वास्तुकला, छत पर कमल की सजावटएवं शीर्ष पर कोई शिखर नहीं है।
- वर्तमान में, मूर्ति को मंदिर के दक्षिणी तरफ एक छोटे से आश्रय में रखा गया है, जिसे स्थानीय रूप से गोलाभामा गुड़ी के रूप में जाना जाता है।

काकतीय राजवंश

- काकतीय एक आंध्र वंश है जो 12 वीं शताब्दी इस्वी में फला–फूला।
- काकतीय राजवंश ने वारंगल (तेलंगाना) से 1083–1323 इस्वी तक शासन किया।
- वे सिंचाई एवं पीने के पानी के लिए टैंकों के एक नेटवर्क के निर्माण के लिए जाने जाते थे एवं इसने इस क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा दिया।
- तेलंगाना ने "मिशन काकतीय" के रूप में एक बड़े पैमाने पर कायाकल्प आंदोलन शुरू किया है जिसमें काकतीय राजवंश द्वारा निर्मित सिंचाई टैंक एवं झीलों/लघु सिंचाई स्रोतों की बहाली शामिल है।

मेडिकेन्स

समाचार –

- हाल ही में, 'लानोस' नामक एक मेडिकेन ने ग्रीस के तट पर भूस्खलन किया एवं जकाइन्थोस, केफालोनिया एवं इथाका के द्वीपों पर भारी वर्षा एवं बाढ़ का कारण बना। हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा (किमी/घंटा) तक पहुंच गई।
- भूमध्य सागर में अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफानों को 'मेडिकेंस' या 'मेडिटेरेनियन हरिकेंस' के रूप में जाना जाता है।
- मानवकृत जलवायु परिवर्तन के कारण मेडिकेन अधिक बार बन सकते हैं।

मेडिकेन्स

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, तूफान एवं टाइफून की तुलना में ठंडे पानी में मेडिकेन अधिक होते हैं।
- वे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन तूफानों की कोर भी ठंडी होती है।
- आमतौर पर सर्दियों के मौसम के दौरान मैडीकान बनते हैं।
- वे वर्ष में एक या दो बार बनते हैं।
- वे व्यास में भी छोटे होते हैं।

मेडिकन्स में वृद्धि –

- ग्लोबल वार्मिंग के कारण हाल ही में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है।
- भूमध्यसागरीय समुद्री की सतह का बढ़ा हुआ तापमान इन चक्रवातों के उष्णकटिबंधीय होने के लिए अधिक रास्ता साफ करते हैं।
- समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि से इन तूफानों की हवा की गति बढ़ रही है एवं भारी वर्षा हो रही है।
- इससे पहले मेडिकेन केवल भूमध्य सागर में आम थे। हालांकि, पिछले दो दशकों में वे काला सागर के ऊपर भी बने हैं।

भूमध्य सागर में असामान्य

- भूमध्यसागरीय एक आम तौर पर सूखा, बाष्पीकरणीय समुद्र है एवं इसलिए, चक्रवाती तूफान बहुत बारिश के रूप में विकसित नहीं होते हैं एवं इसका पता लगाना मुश्किल हो सकता है।
- हालांकि, समुद्र के समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि के कारण भूमध्यसागरीय चक्रवात हाल ही में बढ़े हैं। इससे इटली, फ्रांस एवं स्पेन में भयंकर बाढ़ आई है।

अतिरिक्त जानकारी

उष्णकटिबंधीय चक्रवात

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिंसक तूफान हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों पर उत्पन्न होते हैं एवं तटीय क्षेत्रों में हिंसक हवाओं, बहुत भारी वर्षा एवं तूफान के कारण बड़े पैमाने पर विनाश लाते हैं।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात दुनिया में सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है।
- चक्रवात थोड़े गर्म समुद्र के पानी पर बनते हैं। चक्रवात के गठन का समर्थन करने के लिए समुद्र की शीर्ष परत का तापमान, लगभग 60 मीटर की गहराई तक, कम से कम 28° सेल्सियस होना चाहिए।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वर्गीकरण –

- भारत के मौसम विभाग (IMD) द्वारा बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में निम्न दबाव प्रणाली को वर्गीकृत करने के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा अपनाए गए मापदंड निम्नानुसार हैं –

विक्षोभ का प्रकार	हवा की गति
कम दबाव का क्षेत्र	17 नॉट्स से कम (31 किमीप्रघं से कम)
डिप्रेशन	17 से 27 नॉट्स (31 से 49 किमीप्रघं)
डीप डिप्रेशन	28 से 33 नॉट्स (50 से 61 किमीप्रघं)
साईक्लोनिक स्ट्रॉम	34 से 47 नॉट्स (62 से 88 किमीप्रघं)
गहन साईक्लोनिक स्ट्रॉम	48 से 63 नॉट्स (89 से 118 किमीप्रघं)
अत्यंत गहन साईक्लोनिक स्ट्रॉम	64 से 119 नॉट्स (119 से 221 किमीप्रघं)
सुपर साईक्लोनिक स्ट्रॉम	119 नॉट्स से अधिक (221 किमीप्रघं से अधिक)

उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु विषुव

समाचार –

- शरद ऋतु विषुव प्रत्येक सितंबर में होता है एवं शरद ऋतु के पहले दिन को चिह्नित करता है।
- 22 सितंबर, 2020 को शरद ऋतु विषुव वह दिन है जब सूर्य सीधे पृथ्वी के भूमध्य रेखा से गुजरता है।
- ग्रह के दूसरे आधे हिस्से के लिए, 22 सितंबर वसंत की शुरुआत का संकेत देने वाला, विषुव है।

विषुव –

- 'विषुव' शब्द का अंग्रेजी में अर्थ 'इक्वीनोक्स' होता है जो लैटिन शब्द एक्वस जिसका अर्थ है 'समान,' एवं नॉक्स, अर्थात 'रात' से आता है। विषुव पर, दिन एवं रात की लंबाई लगभग बराबर होती है।
- विषुव के दौरान, सूर्य अंतरिक्ष में पृथ्वी की भूमध्य रेखा के 'आकाशीय भूमध्य रेखा' को पार करता है। विषुव ठीक उसी समय होता है जब सूर्य का केंद्र इस रेखा से होकर गुजरता है।
- जब सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर भूमध्य रेखा को पार करता है, तो यह शरद ऋतु के विषुव को चिह्नित करता है, जब यह दक्षिण से उत्तर की ओरजाता है, तो यह वसंत विषुव को चिह्नित करता है।
- शरद ऋतु के विषुव के बाद, सूर्य देर से उगना शुरू होता है एवं रात जल्दी आती है। यह दिसंबर संक्रांति के साथ समाप्त होता है, जब दिन लंबे एवं रातें छोटी होने लगती हैं।

विषुव क्यों होता है?

- पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा के साथ घूमती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलती है। इसे अक्ष कहा जाता है, एवं यह रोटेशन हमें दिन एवं रात देता है।
- पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। इस कारण सूर्य के प्रकाश की सीधी किरणें वर्ष के आधे समय उत्तरी गोलार्द्ध में बाकि आधे वर्ष दक्षिणी गोलार्द्ध में सीधी पड़ती हैं।
- इसका प्रभाव जून के अंत एवं दिसंबर के अंत में अधिकतम होता है। इन महिनो में वे अयनांक होते हैं, जब दिन एवं रात के बीच अंतर सर्वाधिक होता हैं, खासकर ध्रुवों के पास। यही कारण है कि यह स्कैंडिनेविया एवं अलास्का जैसे स्थानों में गर्मियों के दौरान प्रत्येक दिन इतने लंबे समय तक प्रकाश रहता है।
- लेकिन गर्मियों में जून में संक्रांति के बाद से, उत्तरी गोलार्ध में दिन उत्तरोत्तर छोटे एवं रातें उत्तरोत्तर बड़ी होती जाती हैं।

हरिजन सेवक संघ

समाचार –

- हरिजन सेवक संघ 30 सितंबर, 1932 को महात्मा गांधी द्वारा भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए, हरिजन या दलित लोगों के लिए काम करने एवं भारत के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए स्थापित एक गैर–लाभकारी संगठन है।
- हरिजन का अर्थ है भगवान के बच्चे, यह अछूतों के लिए गांधी जी द्वारा दिया गया नाम था।

इतिहास –

- दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद, ब्रिटिश सरकार बी. आर. अंबेडकर के अनुरोध पर पिछड़े वर्गों को सांप्रदायिक पुरस्कार देने के लिए सहमत हुई।
- गांधी जी ने सरकार के उस फैसले का विरोध किया, जिसे उन्होंने माना कि यह हिंदू समाज को विभाजित करेगा एवं बाद में यरवदा जेल में अनिश्चितकालीन उपवास पर चले गए।
- उन्होंने 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया।
- 30 सितंबर को, गांधी ने समाज में अस्पृश्यता को दूर करने के लिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधीलीग की स्थापना की, जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ ('अछूत समाज के सेवक') के रूप में नाम दिया गया।
- संघ का मुख्यालय दिल्ली के किंग्सवे कैंप में है।
- इसका मुख्यालय गांधी आश्रम, किंग्सवे कैंप संस्कृति मंत्रालय द्वारा गांधीवादी विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध है।
- संघ ने अवसादग्रस्त वर्गों को सार्वजनिक स्थानों जैसे मंदिरों, स्कूलों, सड़कों एवं जल संसाधनों तक पहुंचने में मदद की, साथ ही अंतर–भोजन एवं अंतर्जातीय विवाह भी आयोजित किए। इसने देश भर में कई स्कूलों एवं छात्रावासों का निर्माण एवं रखरखाव किया।

सामान्य अध्ययन- II
शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्नकाल एवं शून्यकाल

समाचार –

- हाल ही में, सरकार ने आगामी मानसून सत्र में प्रश्नकाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। जबकि शून्य काल को छोटा कर दिया गया। 60 मिनट लंबा शून्यकाल अब घटकर 30 मिनट रह गया।

प्रश्नकाल –

- प्रश्नकाल भारत के लोक सभा के सत्र के पहले घंटे को कहते है जो उन सवालों के लिए समर्पित है जो संसद सदस्य प्रशासनिक गतिविधि के किसी भी पहलू के बारे में उठाते हैं।
- संबंधित मंत्री प्रश्न के प्रकार के आधार पर, संसद से मौखिक या लिखित रूप से जवाब देने के लिए बाध्य है।
- प्रश्न उन तरीकों में से एक हैं जिन्हें संसद कार्यकारी जवाबदेह ठहरा सकती है।

चार प्रकार के प्रश्न हैं –

1. तारांकित प्रश्न –
   तारांकित प्रश्न वे हैं जिनके लिए मौखिक उत्तर अपेक्षित है। सदस्य को संबंधित मंत्री से उत्तर प्राप्त होने के बाद, अध्यक्ष की अनुमति के साथ, एक पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है।
   - इन सवालों को हरे रंग में मुद्रित किया जाता है एवं अन्य प्रश्नों से अलग करने के लिए तारांकन चिह्न '*' के साथ चिह्नित किया जाता है।

2. गैर–तारांकित प्रश्न –
   गैर–तारांकित प्रश्न वे हैं जिनके लिए लिखित उत्तर अपेक्षित है। उत्तर प्रदान किए जाने के बाद, कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। एक प्रश्न के उत्तर के लिए मंत्री को एक नोटिस अवधि दी जाती है।
   - ये प्रश्न सफेद रंग में छपे होते हैं एवं एक दिन में 230 से अधिक प्रश्नों को सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है।

3. लघु सूचना प्रश्न –
   लघु सूचना प्रश्न वे होते हैं जो तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों में पूछे जाते हैं एवं इस प्रकार, एक छोटे नोटिस पर यानी 10 दिनों से कम समय में पूछे जा सकते हैं।
   - इन प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सकता है एवं पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
   - ये प्रश्न पीले–गुलाबी रंग में छपे होते हैं।

4. निजी सदस्यों के प्रश्न –
   निजी सदस्यों के प्रश्न वे होते हैं जो उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्री नहीं हैं। ये प्रश्न निजी सदस्य विधेयक, संसदीय समितियों, निजी सदस्य प्रस्तावों से संबंधित हैं।

हाल में हुए बदलाव –

- संसद में एक सवाल का जवाब देने के लिए मंत्री को 15 दिनों की नोटिस अवधि दी जाती है (न्यूनतम एवं अधिकतम नोटिस अवधि की अवधारणा को हटा दिया गया है)।
- नोटिस की अवधि न्यूनतम 10 दिन या अधिकतम 21 दिन की होती थी।
- अध्यक्ष के पास यह अधिकार है कि वह किसी सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सकता है, जिस दिन उसे नाम नहीं दिया गया था।
- एक सदस्य को अब सदन में एक बयान देने की आवश्यकता है जो उसके द्वारा दिए गए उत्तर को सही करता है, चाहे वह उत्तर तारांकित या अतारांकित या लघु सूचना प्रश्न से संबंधित हो।
- तारांकित या अतारांकित अधिकतम प्रश्न, एक सदस्य अब प्रति दिन 10 पुछने का हकदार है।

शून्यकाल –

- शून्यकाल वह समय है जब संसद सदस्य (सांसद) तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं।
- शून्यकाल के दौरान मामलों को उठाने के लिए, सांसदों को बैठने के दिन सुबह 10 बजे अध्यक्ष / अध्यक्ष को नोटिस देना होगा। नोटिस में उस विषय का उल्लेख होना चाहिए जिसे वे सदन में उठाना चाहते हैं।
- हालाँकि, अध्यक्ष, लोकसभा / अध्यक्ष, राज्यसभा किसी सदस्य को महत्व के मामले को उठाने या देने की अनुमति दे सकते हैं।

विकास बटालियन

समाचार –

- लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीनी कब्जे को रोकने के लिए विकास बटालियन के रूप में संदर्भित विशेष सीमा बल (SFF) इकाई को महत्वपूर्ण बताया गया था।

विशेष सीमा बल (SFF)

- एसएफएफ को 1962 के चीन–भारत युद्ध के तत्काल बाद बनाया गया था।
- यह एक गुप्त सेना थी, जिसमें तिब्बतियों (अब इसमें तिब्बतियों एवं गोरखाओं का मिश्रण है) को भर्ती किया गया था एवं शुरू में 'इस्टेबलीशमेंट 22' के नाम से जाना जाता था। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसे मेजर जनरल सुजान सिंह उबान ने कमांड किया था, जो 22 माउंटेन रेजिमेंट के एक आर्टिलरी अधिकारी थे।
- इसलिए, उन्होंने अपनी रेजिमेंट के बाद नए गुप्त समूह का नाम दिया। इसके बाद, समूह को विशेष फ्रंटियर फोर्स के रूप में नामित किया गया था एवं यह अब कैबिनेट सचिवालय के दायरे में आती है जहां इसका नेतृत्व एक महानिरीक्षक करता है जो मेजर जनरल के रैंक का एक सेना अधिकारी होता है।
- एसएफएफ में शामिल इकाइयों को विकास बटालियन के रूप में जाना जाता है।

क्या SFF यूनिट्स आर्मी का हिस्सा हैं?

- एसएफएफ इकाइयां सेना का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वे सेना के संचालन नियंत्रण में काम करती हैं।
- इकाइयों की अपनी रैंक संरचनाएं होती हैं जिनकी सेना रैंक के बराबर स्थिति होती है।
- वे उच्च प्रशिक्षित विशेष बल के जवान होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं जो कि सामान्य रूप से किसी विशेष बल इकाई द्वारा किया जाएगा।

- उनके पास अपना स्वयं का प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है जहां एसएफएफ में भर्ती होने वाले विशेष बलों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

SFF द्वारा प्रमुख संचालन –

- उन्होंने 1971 के युद्ध में ऑपरेशन, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार, कारगिल संघर्ष एवं देश में आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लिया।

मिशन कर्मयोगी – सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

समाचार –

- केंद्र सरकार ने निम्न संस्थान फ्रेमवर्क के साथ सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत की –
  - (i) प्रधानमंत्री की पब्लिक मानव संसाधन (HR) परिषद।
  - (ii) क्षमता निर्माण आयोग।
  - (iii) डिजिटल संपत्तियों के स्वामित्व एवं संचालन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए तकनीकी मंच।
  - (iv) कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समन्वय इकाई।

उद्देश्य –

- यह सहयोग एवं सह–साझाकरण के आधार पर क्षमता निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन एवं विनियमन में एकसमान दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक क्षमता निर्माण आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है।

लक्ष्य –

- मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवक को अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, अभिनव, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी–सक्षम बनाकर भविष्य के लिए तैयार करना है।
- विशिष्ट भूमिका–दक्षताओं से युक्त, सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों के कुशल सेवा वितरण को सुनिश्चित करने में सक्षम होगा।

विशेषताएं –

- NPCSCB सिविल सेवकों के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वे भारतीय संस्कृति एवं संवेदनाओं को समझें एवं अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जबकि वे दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों एवं प्रथाओं से सीखते हैं।
- कार्यक्रम को एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण–आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफार्म स्थापित करके वितरित किया जाएगा।

कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित होंगे –

- मानव संसाधन प्रबंधन का 'नियम आधारित' से 'भूमिका आधारित' में परिवर्तन करना। पद की आवश्यकताओं के लिए अपनी क्षमताओं का मिलान करके सिविल सेवकों के कार्य आवंटन को संरेखित करना।
- 'ऑफ–साइट' सीखने के पूरक के रूप में 'ऑन–साइट सीखने' पर जोर देना।
- शिक्षण सामग्री, संस्थानों एवं कर्मियों सहित साझा प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
- सभी सिविल सेवा के पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों एवं दक्षताओं (FRACs) के फ्रेमवर्क तक पहुंचाना एवं प्रत्येक सरकारी संस्था में पहचान किए गए FRACs के लिए प्रासंगिक शिक्षण सामग्री बनाना एवं वितरित करना।
- सभी सिविल सेवकों को उपलब्ध कराने के लिए, उनके स्व–संचालित एवं अनिवार्य सीखने के रास्तों में उनके व्यवहार, कार्यात्मक एवं डोमेन दक्षताओं को लगातार बनाने एवं मजबूत करने का अवसर।
- सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों एवं उनके संगठनों को सह–निर्माण की दिशा में सीधे निवेश करने एवं प्रत्येक कर्मचारी के लिए वार्षिक वित्तीय सदस्यता के माध्यम से सीखने के सहयोगी एवं सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र को साझा करने में सक्षम बनाना।
- सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्टार्ट–टिप्स एवं व्यक्तिगत विशेषज्ञों सहित सर्वश्रेष्ठ–इन–क्लास सीखने वाली सामग्री रचनाकारों को प्रोत्साहित करना एवं उन्हें भागीदार बनाना।
- iGOT–कर्मयोगी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा उत्सर्जन के संबंध में डेटा एनालिटिक्स की शुरुआत करने के लिए क्षमता निर्माण, सामग्री निर्माण, उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया एवं दक्षताओं के मानचित्रण से संबंधित एवं नीति सुधारों के लिए क्षेत्रों की पहचान करना।

शीर्षस्थ निकाय –

- माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चुनिंदा केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रख्यात सार्वजनिक मानव संसाधन चिकित्सकों, विचारकों, वैश्विक विचारशील नेताओं एवं लोक सेवा के अधिकारियों की एक सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद, सिविल सेवा सुधार एवं क्षमता निर्माण कार्य को रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में काम करेगी।

iGOT–कर्मयोगी

- iGOT– कर्मयोगी प्लेटफॉर्म अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक ढांचा है।
- प्लेटफॉर्म केएक जीवंत एवं विश्व स्तरीय बाजार में जगह बनाने की उम्मीद की जाती है जहां सावधानीपूर्वक डिज़ाईन एवं ध्यानपूर्वक जाँचा गई सामग्री डिजिटल ई–लर्निंग सामग्री के रूप उपलब्ध कराई जाएगी।
- क्षमता निर्माण के अलावा, परिवीक्षा अवधि, तैनाती, कार्य असाइनमेंट एवं रिक्तियों की अधिसूचना आदि के बाद पुष्टि जैसे सेवा मामलों को अंततः प्रस्तावित योग्यता ढांचे के साथ एकीकृत किया जाएगा।

जम्मू एवं कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल 2020

समाचार –

- भारत सरकार जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में आधिकारिक भाषाओं के रूप में हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एवं अंग्रेजी को अपनाने के लिए संसद के आगामी मानसून सत्र में एक विधेयक पेश करने वाली है।
- इपके पूर्व राज्य में केवल अंग्रेजी एवं उर्दू आधिकारिक भाषा थीं।
- भारतीय संविधान का भाग XVII अनुच्छेद 343 से 351 में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।

विरोध –

- जम्मू एवं कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम आधिकारिक भाषाओं को अपनाने के बारे में निर्णय लेने के लिए जम्मू एवं कश्मीर विधान सभा को अधिकार देता है।
- केंद्र के इस निर्णय से जम्मु एवं कश्मीर की एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू की 131 साल पुरानी स्थिति समाप्त हो जाएगी।
- जम्मू–कश्मीर के लोगों ने भी प्रस्तावित कानून में अधिक भाषाओं को शामिल करने की मांग की थी।
- जम्मू–कश्मीर में विभिन्न राजनीतिक एवं जातीय समूहों ने प्रस्तावित विधेयक में गोजरी, पहाड़ी एवं पंजाबी को शामिल करने की मांग की है।
- जम्मू–कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य के संविधान की छठी अनुसूची के तहत, कश्मीरी, डोगरी, बालटी (पाली), दारदी, पंजाबी, पहाड़ी, लद्दाखी एवं गोजरी राज्य की क्षेत्रीय भाषाएं थीं।

भारत की भाषाएँ –

- भारतीय संविधान का भाग XVII अनुच्छेद 343 से 351 में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा वर्तमान में अंग्रेजी की बजाय देवनागरी लिपि में हिंदी है।
- बाद में, एक संवैधानिक संशोधन, द ऑफिसियल लैंग्वेजेज एक्ट, 1963, ने भारत सरकार में हिंदी के साथ–साथ अंग्रेजी को जारी रखने की अनुमति दी, जब तक कि कानून इसे बदलने का फैसला नहीं करता।

आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हैं –

- **अनुच्छेद 344** – अनुच्छेद 344 (1) में संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा आयोग के गठन का प्रावधान है।
- **अनुच्छेद 351** – यह हिंदी भाषा के प्रसार के लिए इसे विकसित करने के लिए प्रदान करता है ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके।

22 आधिकारिक भाषाएँ

- संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं – (1) असमी, (2) बंगाली, (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड़, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, (9) मणिपुरी, (10) मराठी , (11) नेपाली, (12) उड़िया, (13) पंजाबी, (14) संस्कृत, (15) सिंधी, (16) तमिल, (17) तेलुगु, (18) उर्दू (19) बोडो, (20) संथाली (21) मैथिली एवं (22) डोगरी।
- इन भाषाओं में से, 14 को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था।
- सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया था।
- 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, एवं नेपाली को शामिल किया गया था।
- 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को जोड़ा गया।

शिक्षा में डिजिटल विभाजन पर एनएसओ की रिपोर्ट

समाचार –

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) सर्वेक्षण पर आधारित एक रिपोर्ट में राज्यों, गांवों एवं आय समूहों में व्यापक डिजिटल विभाजन को उजागर किया गया।
- 'घरेलू सामाजिक उपभोग – भारत में शिक्षा' की रिपोर्ट जुलाई 2017 से जून 2018 तक आयोजित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के एनएसओ 75 वें दौर का हिस्सा थी।
- रिपोर्ट में कोविड–19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच में महत्वपूर्ण असमानता भी बताई गई है।

डिजिटल डिवाइड –

- डिजिटल डिवाइड का अर्थ समूह के बीच इंटरनेट एवं प्रौद्योगिकियों के उपयोग एवं उपयोग का असमान वितरण है। इस शब्द का पहली बार लॉयड मॉरिसेट द्वारा उपयोग किया गया था।

मुख्य निष्कर्ष –

- केरल में सबसे अच्छी साक्षरता दर 96.2% है, जिसके बाद दिल्ली 88.7%, उत्तराखंड 87.6%, हिमाचल प्रदेश 86.6% एवं असम 85.9% है।
- राजस्थान में 69.7% की साक्षरता दर के साथ सबसे खराब प्रदर्शन 70.7%, बिहार में तेलंगाना 72.8%, उत्तर प्रदेश में 73% एवं मध्य प्रदेश में 73.7% है।
- भारत में दस घरों में से केवल एक में कंप्यूटर/डेस्कटॉप/लैपटॉप या टैबलेट है।
- लगभग सभी घरों में मोबाइल फोन नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, शहरों में 42% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 15% के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हैं।
- राष्ट्रीय राजधानी में 55% घरेलू उपयोग के साथ सबसे अधिक इंटरनेट का उपयोग है।
- ओडिशा के दस घरों में से एक में इंटरनेट का उपयोग है, 20% से कम इंटरनेट पहुंच वाले दस राज्य हैं जिनमें कर्नाटक एवं तमिलनाडु जैसे सॉफ्टवेयर हब शामिल हैं।
- ओडिशा में लगभग 63% शीर्ष शहरी पंचक में इंटरनेट का उपयोग होता है लेकिन ओडिशा के सबसे गरीब पंचक में यह आंकड़ा 2.4% तक गिर गया।
- 5 वर्ष से अधिक आयु के 20% भारतीयों की मूल डिजिटल साक्षरता 15–29 के आयु वर्ग में 40% तक थी।
- पिछले दशक में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में साक्षरता दर 71.7% से बढ़कर 77.7% हो गई है।

इंटरनेट एक मौलिक अधिकार

- सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया है।
- सरकार संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित कुछ शर्तों को छोड़कर मौलिक अधिकारों से नागरिकों को वंचित नहीं कर सकती है।
- केंद्र शासित प्रदेश में धारा 370 को निरस्त करने के मद्देनजर जम्मू–कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंध के संबंध में एक याचिका की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया गया।
- भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति के अधिकार को सभी नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार बनाता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में सूचीबद्ध किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे का विस्तार किया है।
- नवीनतम विस्तार से संवैधानिक प्रावधान प्रौद्योगिकी के नवाचार के साथ तालमेल बनाए रखते हैं। लाखों भारतीय नागरिकों के लिए इंटरनेट सूचना का प्राथमिक स्रोत है। एक गैर–नागरिक समान लाभ उठा सकता है, लेकिन इसे अपने मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय का फैसला संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश के अनुरूप भी है कि हर देश को इंटरनेट का मौलिक अधिकार बनाना चाहिए।
- भारत में, केरल 2017 में इंटरनेट का उपयोग 'एक बुनियादी मानव अधिकार' घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया था।

दोहा में इंट्रा–अफगान वार्ता

समाचार –

- भारत के विदेश मामलों के मंत्री दोहा में इंट्रा–अफगान वार्ता के उद्घाटन सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए।

विवरण –

- उन सभी देशों को शामिल किया गया है, जिनकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, जिसमें ईरान, पाकिस्तान एवं कई मध्य एशियाई देश शामिल हैं।
- इंट्रा–अफगान वार्ता से अफगानिस्तान सरकार एवं तालिबान के बीच बातचीत की प्रक्रिया शुरू होती है।
- अफगान शांति वार्ता पर सम्मेलन में, भारत के बाहरी मामलों के मंत्री ने अवगत कराया कि यह प्रक्रिया –
  – अफगान नेतृत्व एवं स्वामित्व वाले अफगानिस्तान में होना चाहिए।
  – अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें।
  – मानव अधिकारों एवं लोकतंत्र को बढ़ावा दे।
  – अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं वंचितों के हित को सुनिश्चित करे।
  – देश भर में जारी हिंसा से प्रभावी ढंग से निपटे।

अफगान–तालिबान –

- अफगानिस्तान ने चार दशकों के संघर्ष को देखा है, जिसमें दसियों हजार नागरिक मारे गए हैं।
- ये तालिबान एवं अफगान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच पहली सीधी बातचीत हैं।
- दोनों पक्ष राजनीतिक सुलह एवं हिंसा के दशकों के अंत का लक्ष्य बना रहे हैं, जो 1979 में सोवियत आक्रमण से शुरू हुआ था।
- अमेरिका के नेतृत्व वाली सेना न्यूयॉर्क में 9/11 के अल–कायदा के घातक हमलों के बाद, 2001 में तालिबान को हटाने के लिए हवाई हमले शुरू करने के बाद अफगानिस्तान में लगभग दो दशकों से मौजूद है।
- सम्मेलन में तालिबान नेता ने अफगानिस्तान के लिए 'इस्लामी व्यवस्था जिसमें सभी जनजातियों एवं जातीयताओं .. से अपने जीवन को प्रेम एवं भाईचारे से जीने' का आह्वान किया।

भारत–अफगानिस्तान संबंध –

- इस साल की शुरुआत में, भारत अमेरिकी तालिबान सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए मौजूद था, जिसे 29 फरवरी को दोहा में हस्ताक्षरित किया गया था।
- भारत अफगानिस्तान का प्रमुख विकास साझेदार है एवं उसने भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध एवं अफगान संसद जैसी कई अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण किया है।

भारत–अफगान संबंध पर अधिक जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें –
https://eoi-gov-in/kabul/\0354\000

रूस, यू.के. एवं वियतनाम के साथ रसद समर्थन समझौते

समाचार –

- भारत अब रूस, यू.के. एवं वियतनाम के साथ तीन सैन्य रसद सहायता समझौतों पर काम कर रहा है।
- रूस के साथ समझौते पर अक्टूबर में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जबकि यू.के. एवं वियतनाम के साथ समझौते पर चर्चा चल रही है।
- रूस के साथ समझौते से भारत को आर्कटिक क्षेत्र में रूसी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त हुई है, जो नए शिपिंग मार्गों को खोलने के रूप में वैश्विक गतिविधि में वृद्धि देख रहा है।

रसद समझौते –

- लॉजिस्टिक्स समझौते प्रशासनिक व्यवस्था हैं जो ईंधन के आदान–प्रदान के लिए सैन्य सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाते हैं एवं भारत से दूर संचालन करते समय सैन्य सहयोग को बढ़ाते हैं एवं सैन्य सहायता को बढ़ाते हैं।

पृष्ठभूमि –

- हाल ही में, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट (MLSA) पर हस्ताक्षर किए, एवं इंडो–पैसिफिक में समुद्री सहयोग के लिए एक साझा विजन पर एक संयुक्त घोषणा की भी घोषणा की।
- जापान के साथ रसद समझौता, सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति एवं सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए थे।
- भारत एवं जापान नेवी एवं जापान मैरीटाइम सेल्फ–डिफेंस फोर्स (JMSDF) ने गहरे सहयोग के लिए एक कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत ने हाल के वर्षों में 2016 में अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (LEMOA) के साथ कई लॉजिस्टिक्स समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, एवं नौसेना उनमें से सबसे बड़ी लाभार्थी रही है।

भारत लॉजिस्टिक समझौतों पर अधिक ध्यान क्यों दे रहा है?

- हिंद महासागर क्षेत्र एवं भारत–प्रशांत क्षेत्र में बेहतर समुद्री डोमेन जागरूकता (एमडीए) के लिए सूचना साझा करने के आसपास केंद्रित द्विपक्षीय आधार पर क्वाड देशों के साथ भारत के समुद्री संबंधों में वृद्धि।
- मलक्का के सामरिक जलडमरूमध्य के पास स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया एवं जापान सहित कई देशों के लिए रुचि का विषय हैं।
- इन लॉजिस्टिक समझौतो से भारत की इंटरऑपरेबिलिटी में काफी सुधार होगा।

लाभ –

- जब भारत ने अमेरिका के साथ मूलभूत समझौते संचार संगतता एवं सुरक्षा समझौते (COMCASA) पर हस्ताक्षर किए, तो उसे सहज संचार के लिए एन्क्रिप्टेड संचार प्रणालियों तक पहुंच प्राप्त हुई।
- भारतीय एवं अमेरिकी नौसेना ने एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए एवं भारतीय नौसेना मुख्यालय में CENTRIXS (कंबाइंड एंटरप्राइज रीजनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम) किट प्रदान करने के लिए दो प्रशांत बेड़े स्थापित किए।

होम्योपैथी एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति के बिल

समाचार –

- नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019 एवं नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल, 2019, लोकसभा में पारित किए गए थे।
- बिलों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक की तर्ज पर चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियों को विनियमित करने के लिए, एवं देश में होम्योपैथी के लिए एक नया नियामक निकाय बनाने के लिए पिछले साल के शुरू में राज्यसभा में पारित किया गया था।
- होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग, विधेयक, 2018, का उद्देश्य होम्योपैथी के लिए केंद्रीय परिषद को प्रतिस्थापित करना है, जो होम्योपैथी के लिए वर्तमान नियामक निकाय है। यह नियुक्ति एवं पदोन्नति से पहले शिक्षकों के मानक का आकलन करने के लिए एक शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव करता है।

मुख्य विचार –

- बेहतर पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के लिए, भारतीय चिकित्सा पद्धति बिल एक आम प्रवेश परीक्षा एवं सभी स्नातकों के लिए एक निकास परीक्षा देने का प्रस्ताव करता है ताकि भारतीय चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने के लिए उनका लाइसेंस प्राप्त किया जा सके।
- बिल सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन की जगह लेगा जो चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियों को नियंत्रित करता है।
- आयुर्वेद के तहत आयुर्वेद शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित चार स्वायत्त बोर्ड बनानेएवं यूनानी, सिद्ध एवं सोवरिग्पा बोर्ड के तहत यूनानी, सिद्ध एवं सोवरिग्पा में प्रशिक्षण, का भी प्रावधान है।
- दो उभयनिष्ठ बोर्ड, होंगे जिनमें से मूल्यांकन एवं रेटिंग के बोर्ड भारतीय चिकित्सा संस्थानों के शिक्षण संस्थानों को अनुमति देने के लिए, एवं भारतीय चिकित्सा आयोग के तहत अभ्यास करने के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखने एवं नैतिक मुद्दों को हल करने के लिए भारतीय प्रणालियों के चिकित्सकों के नैतिकता एवं पंजीकरण के बोर्ड से संबंधित होंगे।
- राष्ट्रीय आयोग के पास होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा होम्योपैथी की समग्र शिक्षा के संचालन के लिए तीन स्वायत्त बोर्ड होंगे।
- मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड शैक्षिक संस्थानों को अनुमति देगा, जबकि नैतिकता और होम्योपैथी चिकित्सकों के पंजीकरण राष्ट्रीय रजिस्टर को बनाए रखेंगे और नैतिक मुद्दों को संबोधित करेंगे।

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) विधेयक

समाचार –

- स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) विधेयक पेश किया।
- एआरटी बिल भारत के सभी प्रजनन क्लीनिकों एवं बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वे एक राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण के साथ खुद को पंजीकृत करें एवं समय–समय पर सभी प्रक्रियाओं की रिपोर्ट करें।
- इस विधेयक में उन पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है जो स्वयं सहायताप्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

मुख्य विचार –

- असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नॉलॉजी का लाभ विवाह योग्य आयु से ऊपर की किसी भी महिला द्वारा उठाया जा सकता है, लेकिन 50 वर्ष से कम एवं विवाह योग्य आयु से ऊपर के किसी भी पुरुष की आयु 55 वर्ष से कम है।
- केवल तीन साल के बच्चे के साथ विवाहित महिला अंडाणु दाता हो सकती है एवं अपने जीवनकाल में केवल एक बार ऐसा कर सकती है।
- विधेयक में क्लीनिकों एवं बैंकों द्वारा पालन की जाने वाली कठोर प्रक्रियाएं हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य बोर्डों की स्थापना प्रदान करता है कि क्लीनिक नियम पुस्तिका का पालन करें।
- कानून के लागू होने के बाद, एक राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा एवं सभी क्लीनिकों एवं बैंकों को साठ दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा।
- विधेयक नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए क्लीनिक एवं दंड की जिम्मेदारियों को कम करता है।
- यौन चयनात्मक सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी के किसी भी क्लिनिक या बैंक के आशाजनक या विज्ञापन सुविधाओं को पंजीकरण रद्द करने का सामना करना पड़ेगा एवं मालिकों को 5–10 साल की कैद एवं 10–25 लाख रुपये के जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है।
- कोई भी चिकित्सा आनुवंशिकीविद्, स्त्रीरोग विशेषज्ञ या चिकित्सा व्यवसायी जो मानव भ्रुण के व्यापार में या सरोगेट माताओं या दंपति के शोषण लिप्त है को 8–12 साल की कैद एवं 10–20 लाख रुपये का जुर्माना होगा।
- सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी केंद्रों में भारत की वृद्धि सबसे अधिक है।
- इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सहित एआरटी ने बांझपन से पीड़ित व्यक्तियों में उम्मीद पैदा की है, लेकिन इसने कानूनी, नैतिक एवं सामाजिक मुद्दों की अधिकता भी पेश की है।

अतिरिक्त जानकारी

असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है?

- एआरटी में सभी प्रजनन उपचार शामिल हैं जिसमें अंडाणु एवं भ्रुण दोनों को संभाला जाता है।
- एआरटी प्रक्रियाओं में एक महिला के अंडाशय से शल्य चिकित्सा द्वारा अंडाणु को निकालना, उन्हें प्रयोगशाला में शुक्राणु के साथ संयोजन कराना एवं उन्हें महिला के शरीर में वापस प्रवेश कराना या उन्हें किसी अन्य महिला को दान करना शामिल है।
- इनमें वे उपचारों को शामिल नहीं हैं जिनमें केवल शुक्राणु को संभाला जाता है (यानी, अंतर्गर्भाशयकला–या कृत्रिम–गर्भाधान) या ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें एक महिला केवल अंडाणु प्राप्त करने के इरादे से अंडाणु के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दवा लेती है।

इन विट्रो निषेचन (आईवीएफ)

- आईवीएफ एक प्रकार की सहायक प्रजनन तकनीक है जिसका उपयोग बांझपन उपचार एवं गर्भकालीन सरोगेसी के लिए किया जाता है।
- आईवीएफ निषेचन एक प्रक्रिया है जहां एक अंडाणु को शरीर के बाहर शुक्राणु के साथ इन विट्रो ('ग्लास') मे संयुक्त किया जाता है।
- इस प्रक्रिया में एक महिला के डिंबग्रंथि की प्रक्रिया की निगरानी करना एवं उत्तेजित करना शामिल है, महिला के अंडाशय से एक डिंब को हटाकर शुक्राणु के साथप्रयोगशाला में तरल में निषेचित किया जाता हैहै।
- निषेचित अंडे के बाद (युग्मज) 2–6 दिनों के लिए भ्रुण कल्चर से गुजरता है, फिर इसे एक सफल गर्भावस्था की स्थापना के इरादे से उसी या किसी अन्य महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है।

होम्योपैथी विधेयक, 2019 के लिए राष्ट्रीय आयोग

समाचार –

- राष्ट्रीय होम्योपैथी विधेयक, 2019 लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य होम्योपैथिक उपचार के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- इससे पहले, बजट सत्र के दौरान मार्च 2020 में राज्य सभा द्वारा विधेयक पारित किया गया था।
- यह विधेयक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 को निरस्त करना एवं होम्योपैथी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना चाहता है।

मुख्य विचार –

- विधेयक में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) की स्थापना की गई है, जिसमें 20 सदस्य शामिल हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- राज्य सरकारें विधेयक पारित होने के 3 साल के भीतर राज्य स्तर पर होम्योपैथी के लिए राज्य चिकित्सा परिषद की स्थापना करेंगी।
- विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा होम्योपैथी के लिए एक सलाहकार परिषद के गठन का प्रस्ताव है।
- चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने एवं बनाए रखने के लिए परिषद एनसीएच को सलाह देगा।
- विधेयक में राष्ट्रीय पात्रता–प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का भी प्रस्ताव है। यह एक सामान्य अंतिम वर्ष के नेशनल एक्जिट टेस्ट का भी प्रस्ताव करता है।
- विधेयक होम्योपैथी के स्नातकोत्तर उम्मीदवार जो होम्योपैथी शिक्षण में करियर बनाना चाहते हैं के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का सुझाव भी देता है।

आयोग का गठन –

- आयोग में 20 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, होम्योपैथी के लिए चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष, महानिदेशक, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, सलाहकार या संयुक्त सचिव शामिल होंगे। होम्योपैथी (आयुष मंत्रालय), चार सदस्यों (अंशकालिक) को पंजीकृत होमियोपैथिक चिकित्सा चिकित्सकों द्वारा बिल के तहत निर्धारित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में से अपने बीच से चुना जाना है।
- गैर–निर्वाचित सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, छह सदस्यों की एक खोज समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर, जिसमें कैबिनेट सचिव एवं केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ शामिल हैं।

आयोग का कार्य –

- यह चिकित्सा संस्थानों एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियों को फ्रेम करेगा, एवं स्वास्थ्य संबंधी संबंधित मानव संसाधनों एवं बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का आकलन करेगा।
- यह विधेयक के तहत गठित स्वायत्त बोर्डों का भी समन्वय करेगा एवं होम्योपैथी की राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा विधेयक के तहत बनाए गए विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

भारत जिबूती की आचार संहिता/जेद्दा संशोधन में शामिल हुआ

समाचार –

- भारत प्रेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता/जेद्दा संशोधन, DCOC/JA में शामिल हो गया है।
- वस्तुतः यह कदम 26 अगस्त को आयोजित जिबूती आचार संहिता /जेद्दा संशोधन की उच्च स्तरीय बैठक के बाद आया।
- DCOC / JA में एक पर्यवेक्षक के रूप में, भारत DCOC / JA सदस्य राज्यों के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने एवं योगदान करने की दिशा में काम कर रहा है।

जिबूती आचार संहिता / जेद्दा संशोधन –

- DCOC / JA समुद्री मामलों पर एक समूह है जिसमें लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तट एवं हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीप देशों से सटे 18 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। भारत DCOC / JA के लिए पर्यवेक्षक के रूप में जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन एवं अमेरिका के साथ शामिल हो गया है।
- जनवरी 2009 में स्थापित DCOC का उद्देश्य पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी एवं लाल सागर में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती एवं सशस्त्र डकैती का दमन करना है।

जिबूती आचार संहिता 2017 में जेद्दा संशोधन

- सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित जिबूती आचार संहिता के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं की एक उच्च–स्तरीय बैठक (10 से 12 जनवरी, 2017) ने एक संशोधित आचार संहिता को अपनाया है, जिसे 'जिबूती आचार संहिता के लिए जेद्दा संशोधन 2017' के रूप में जाना जाएगा।
- जेद्दा संशोधन "ब्लू इकोनॉमी" की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है जिसमें शिपिंग, सीफेयरिंग, फिशरीज एवं टूरिज्म में टिकाऊ आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, समृद्धि एवं स्थिरता का समर्थन करना शामिल है।
- जेद्दाह संशोधन हस्ताक्षरकर्ता राज्यों से समुद्री क्षेत्र में समुद्री संगठित अपराध, समुद्री आतंकवाद, अवैध, अनियमित एवं अनियंत्रित (IUU)मत्स्य शिकार एवं अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पूर्ण संभव सहयोग करने के लिए कहता है।
- इसमें सूचना साझाकरण शामिल होगा, ऐसे अपराधों में लिप्त होने का संदेह करने वाले जहाजों एवं/या विमानों पर, यह सुनिश्चित करना कि इस तरह की गैरकानूनी गतिविधि करने वाले किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाए या मुकदमा चलाया जाए एवं पीड़ितों के रूप में शामिल समुद्री यात्रियों,

मछुआरों, अन्य शिपबोर्ड कर्मियों एवं यात्रियों के लिए उचित देखभाल, उपचार एवं प्रत्यावर्तन की सुविधा।

- आचार में संदर्भित अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध में हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों एवं नशीले पदार्थों की तस्करी, वन्यजीवों में अवैध व्यापार, कच्चे तेल की चोरी, मानव तस्करी एवं जहरीले कचरे के अवैध डंपिंग शामिल है ।

DCOC / JA सदस्य –

- DCOC / JA के सदस्य राष्ट्रों में इथियोपिया, इरिट्रिया, मिस्र, जॉर्डन, कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मालदीव, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मॉरिशस, ओमान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, सोमालिया, सेशेल्स, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त गणराज्य तंजानिया एवं यमन शामिल हैं।

आयुर्वेद बिल, 2020 में शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

समाचार –

- संसद ने आयुर्वेद विधेयक, 2020 में शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को पारित कर दिया है।
- विधेयक आयुर्वेद में शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने एवं इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का प्रयास करता है।
- विधेयक में आयुर्वेद में शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के नाम से तीन आयुर्वेद संस्थानों को एक संस्थान में विलय करने का प्रयास है।

विलयन –

- मौजूदा संस्थानों को संस्थान में विलय कर दिया जाएगा –
  - (i) आयुर्वेद, जामनगर में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
  - (ii) श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, जामनगर
  - (iii) भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जामनगर।
- प्रस्तावित संस्थान गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के परिसर में स्थित होगा।

संस्थान का उद्देश्य –

- विधेयक में कहा गया है कि संस्थान का उद्देश्य निम्नलिखित होगा –
  - (i) आयुर्वेद एवं फार्मेसी में चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण के पैटर्न विकसित करना।
  - (ii) आयुर्वेद की सभी शाखाओं में कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए शैक्षिक सुविधाओं को एक साथ लाना।
  - (iii) आयुर्वेद में विशेषज्ञों एवं चिकित्सा शिक्षकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
  - (iv) आयुर्वेद के क्षेत्र में गहन अध्ययन एवं शोध करें।

संस्थान के कार्य –

- संस्थान के कार्यों में शामिल होंगे –
  - (i) आयुर्वेद (फार्मेसी सहित) में स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए प्रदान करें।
  - (ii) आयुर्वेद में स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों अध्ययनों के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम निर्धारित करें।
  - (iii) आयुर्वेद की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान करना।
  - (iv) आयुर्वेद एवं फार्मेसी में परीक्षा एवं अनुदान उपाधि, डिप्लोमा एवं अन्य भेद एवं उपाधि धारण करें।
  - (v) नर्सों, फार्मासिस्ट जैसे आयुर्वेद सहायक कर्मचारियों के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित कॉलेजों एवं अस्पतालों का रखरखाव करना।

रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल (DTTI)

समाचार –

- भारत–अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में, 10 वीं रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल, डीटीटीआई समूह की बैठक वस्तुतः आयोजित की गई।
- भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बारी–बारी से डीटीटीआई समूह की बैठकें साल में दो बार आयोजित की जाती हैं।

लक्ष्य –

- द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों के लिए निरंतर नेतृत्व फोकस लाने एवं रक्षा उपकरणों के सह–उत्पादन एवं सह–विकास के अवसर पैदा करना।
- डीटीटीआई के तहत भूमि, नौसेना, वायु एवं विमान वाहक प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित चार संयुक्त कार्य समूह स्थापित किए गए हैं।

प्रमुख झलकियाँ –

- अक्टूबर 2019 में हुई आखिरी DTTI समूह की बैठक के बाद से, DTTI के तहत सहकारी परियोजनाओं के विकास एवं पहचान के लिए एक DTTI मानक संचालन प्रक्रिया पूरी हो गई है।
- एसओपी डीटीटीआई के लिए ढांचे के रूप में भी सेवा कर रहा है एवं दोनों पक्षों को सफलता को परिभाषित करने के लिए आपसी समझ को हासिल करने एवं दस्तावेज करने की अनुमति देता है।
- डीटीटीआई के तहत आने वाली परियोजनाओं की पहचान निकट, मध्यम एवं दीर्घकालिक परियोजनाओं के रूप में की जाएगी।
- अब तक की सम्मिलित परियोजनाएं एयरलिंच्ड स्मॉल अनमैन्ड सिस्टम, लाइट वेट स्माल आर्म्स टेक्नोलॉजी एवं इंटेलिजेंस–सर्विलांस–टारगेटिंग एंड रिकॉइसेंस (ISTAR) हैं।
- मध्यम अवधि की परियोजनाओं की पहचान समुद्री रखरखाव जागरूकता समाधान एवं विमान रखरखाव या VAMRAM के लिए आभासी संवर्धित मिश्रित वास्तविकता है।
- दो दीर्घकालिक परियोजनाएं भारतीय सेना के लिए टेरेन शेपिंग बाधा एवं काउंटर–यूएएस, रॉकेट, आर्टिलरी एवं मोर्टार (CURAM) प्रणाली हैं।

रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल –

- रक्षा व्यापार एवं प्रौद्योगिकी पहल (DTTI) का गठन 2012 में अमेरिका एवं भारत के बीच किया गया था, ताकि उन्नत रक्षा अनुसंधान एवं विकास एवं विनिर्माण क्षेत्र में उद्यम करके रक्षा में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाया जा सके।
- इसका उद्देश्य पारंपरिक 'खरीदार' से अधिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की ओर गतिशील होकर अमेरिका एवं भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना था।
- दो देशों के बीच एक महत्वाकांक्षी नवाचार के तहत एक रक्षा उत्पादों का सह–विकास।
- दोनों देशों के बीच जिन समर्थ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वे GSOMIA, LEMOA तथा COMCASAA हैं।
- ये समझौते BECA के साथ, दो लोकतंत्रों के सशस्त्र बलों के बीच सहयोग एवं अंतर को बढ़ाते हैं।

- जीएसओएमआईए पर हस्ताक्षर करना एवं अमेरिका द्वारा व्यापार के लिए एसटीए–1 स्थिति के लिए भारत का उन्नयन, अमेरिकी उद्योग एवं सार्वजनिक एवं निजी भारतीय रक्षा कंपनियों के बीच वर्गीकृत सैन्य सूचनाओं के आदान–प्रदान एवं संरक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

मानक संचालन प्रक्रिया (SoP)

- DTTI के तहत परियोजनाओं की पहचान, विकास, एवं निष्पादन के लिए प्रक्रियाओं का सामंजस्य बनाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) तैयार की गई है एवं इसकी पुष्टि की गई है।
- भारतीय निजी उद्योगों को शामिल करना एवं नवप्रवर्तकों की शक्ति को बढ़ावा देना इस दिशा में एक बड़ा कदम है।
- जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स (JWG), जो अब सर्विसेप्सिक हैं, ने प्रत्येक में लगभग आठ से दस प्रोजेक्ट्स की पहचान की है, जिन्हें DTTI के छत्र तले निष्पादित किया जाएगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स राष्ट्रों की बैठक

समाचार –

- हाल ही में, रूस द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 10 वीं बैठक संपन्न हुई।
- इस वर्ष रूस ब्रिक्स एवं एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है।

मुख्य विचार –

- ब्रिक्स राष्ट्रों ने राजनीतिक सुरक्षा एवं सहयोग को मजबूत करने से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।
- भारत, रूस एवं चीन ब्रिक्स, एससीओ एवं आरआईसी के सदस्य हैं एवं आपसी विश्वास निर्माण एवं सहयोग के लिए मंच के रूप में कार्य करते हैं।
- पांच देशों में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, जैव सुरक्षा, आतंकवाद एवं साइबर सुरक्षा के सहयोग पर विचारों का गहन आदान–प्रदान हुआ।

ब्रिक्स –

- ब्रिक्स पांच प्रमुख उभरते देशों – ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका द्वारा रचित समूह है।
- ब्रिक्स देश विश्व की 42% आबादी, 23% GDP, 30% क्षेत्र एवं 18% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- 2006 में, BRIC देशों ने अपना संवाद शुरू किया, जो 2009 से राज्य एवं सरकार के प्रमुखों की वार्षिक बैठकों के माध्यम से होता है।
- 2011 में, दक्षिण अफ्रीका समूह में शामिल हो गया।
- ब्राजील में फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन (2014) में, महत्वपूर्ण संस्थान बनाए गए थे – न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) एवं आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए)।
- सीआरए परिचालन है एवं भुगतान संतुलन में संकट से प्रभावित देशों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय स्थिरता तंत्र है।
- 2012 से, ब्रिक्स देश एक ऑप्टिकल फाइबर पनडुब्बी संचार केबल प्रणाली का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। इस प्रणाली का उपयोग ब्रिक्स देशों के बीच दूरसंचार ले जाने के लिए किया जाएगा। इस केबल को ब्रिक्स केबल के नाम से जाना जाता है।

ब्रिक्स भारत के लिए क्यों मायने रखता है?

- **वैष्विक–राजनीति** – वैश्विक राजनीति की रस्साकशी में भारत खुद को बीच में पाता है। इसने भारत के लिए अमेरिका एवं रूस–चीन अक्ष के बीच अपने रणनीतिक हितों को संतुलित करने के लिए एक मध्य मार्ग को बनाना मुश्किल बना दिया है। इसलिए, ब्रिक्स मंच रूस–चीन अक्ष को संतुलित करने के लिए भारत को एक अवसर प्रदान करता है।
- **वैश्विक आर्थिक संतुलन** – ब्रिक्स देशों ने एक अधिक न्यायसंगत एवं संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की तीव्र इच्छा के साथ, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एवं मौद्रिक सुधार का उद्देश्य साझा किया। वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने एवं वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, जी 20 में ब्रिक्स समुदाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **विकासशील देशों की आवाज** – जैसे–जैसे पश्चिमी देश विश्व व्यापार संगठन से लेकर जलवायु परिवर्तन तक के मुद्दों पर चुनौतियां बढ़ा रहे हैं, विकासशील देश इन नीतियों के विरोध में अपंग हो रहे हैं। हाल के दिनों में, ब्रिक्स विकासशील देशों या वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में उभरा है एवं विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- **आतंकवाद** – ब्रिक्स भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने प्रयासों को गति देने के लिए एक मंच प्रदान करता है एवं आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत रुख अपनाने एवं आतंकवाद से संबंधित विशिष्ट पहलुओं पर केंद्रित परामर्श लाने के लिए समूह के भीतर काम करता है।
- **वैष्विक समूहीकरण** – भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) एवं परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) के लिए अपनी सदस्यता का सक्रिय रूप से अनुसरण कर रहा है। चीन इस तरह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के करने के लिए प्रमुख मार्ग बनाता है। इसलिए, ब्रिक्स चीन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने एवं आपसी विवादों को हल करने का अवसर प्रदान करता है। यह अन्य भागीदार देशों के समर्थन में भी मदद करता है।

अब्राहम एकॉर्ड

समाचार –

- इजराइल, यूएई एवं बहरीन ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 26 वर्षों में पहला अरब–इजरायल शांति समझौता है।
- समझौतों के अनुसार, यूएई एवं बहरीन पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में इजरायल के साथ दूतावासों का आदान–प्रदान करेंगे, सहयोग करेंगे एवं काम करेंगे।
- अब्राहम समझौते ने दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इजरायल में ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करने एवं इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल यरूशलेम में अल–अक्सा मस्जिद में शांति से प्रार्थना करने के लिए भी खोला है।
- यूएई एवं बहरीन अब मिस्र एवं जॉर्डन के बाद इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाले तीसरे एवं चौथे खाड़ी देश बन गए हैं। अन्य देश क्रमशः मिस्र एवं जॉर्डन हैं।

पृष्ठभूमि –

- 1971 में, संयुक्त अरब अमीरात एक स्वतंत्र देश बन गया, एवं संयुक्त अरब अमीरात के पहले राष्ट्रपति ने इज़राइल का उल्लेख 'दुश्मन' के रूप में किया था।

- यूएई एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 1990 के खाड़ी युद्ध के बाद से रणनीतिक संबंध थे, जो 11 सितंबर के हमलों के बाद अल ढफरा एयर बेस में एक महत्वपूर्ण अमेरिकी वायु सेना की उपस्थिति के बाद बढ़ गए थे।
- नवंबर 2015 में, इजराइल ने घोषणा की कि वह संयुक्त अरब अमीरात में एक राजनयिक कार्यालय खोलेगा, जो कि एक दशक से अधिक समय में पहली बार होगा जब इजराइल की फारस की खाड़ी में आधिकारिक उपस्थिति थी।
- 13 अगस्त, 2020 को यूएई ने इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए यूएई के समझौते की घोषणा की।
- यूएई एवं इजरायल ने द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने की दिशा में सहयोग एवं एक रोडमैप बनाने पर सहमति व्यक्त की। इस संधि पर 15 सितंबर, 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे।

मध्य पूर्व के लिए रणनीतिक एजेंडा –

- अब्राहम समझौते के आगे, क्षेत्रीय कूटनीतिक, व्यापार, स्थिरता एवं अन्य सहयोग का विस्तार करने के लिए 'मध्य पूर्व के लिए रणनीतिक एजेंडा' विकसित करने एवं लॉन्च करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जुड़ने के लिए पार्टियां तैयार हैं।
- वे संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अन्य देशों के साथ मिलकर स्थिरता, क्षेत्रीय आर्थिक अवसरों को आगे बढ़ाने, पूरे क्षेत्र में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने, एवं संयुक्त सहायता एवं विकास कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए, पूरे मध्य एवं पूर्व के संबंधों में शांति, स्थिरता एवं समृद्धि का कारण बन सकें।

चिंता –

- फिलिस्तीनियों के 86% लोगों का मानना है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ सामान्यीकरण समझौता केवल इजरायल के हितों की सेवा करता है न कि उनका अपना।
- ऐसी संभावना है कि इससे फिलिस्तीन को ओर अधिक अनदेखा किया जाएगा।
- सऊदी अरब (सुन्नी) एवं ईरान (शिया) में दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा है। दशकों से, पश्चिम एशिया में अस्थिरता के मुख्य स्रोतों में से एक सऊदी अरब एवं ईरान के बीच शीत युद्ध रहा है।
- सुन्नी–शिया विद्वान पाकिस्तान, नाइजीरिया एवं इंडोनेशिया जैसे स्थानों में मुसलमानों के बीच हिंसा को भी भड़का सकते हैं।

कराधान एवं अन्य कानून (कुछ प्रावधानों का संशोधन एवं छुट) विधेयक, 2020

समाचार –

- वित्त मंत्रालय ने कराधान एवं अन्य कानून (विश्राम एवं कुछ प्रावधानों के संशोधन) विधेयक, 2020 को विचार के लिए लोकसभा में पेश किया।
- विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगा जिसे कुछ निर्दिष्ट कानूनों के संबंध में समय सीमा का विस्तार करने एवं जुर्माना देने से संबंधित छूट प्रदान करने के लिए प्रख्यापित किया गया था।
- इन कानूनों में आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम), कुछ वित्त अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, एवं बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 शामिल हैं।
- पहले जो अध्यादेश लाया गया था, उसमें भी विवादास्पद सेवा योजना के तहत घोषणा एवं देय राशि को भरने की समय सीमा को बढ़ाया गया था।
- यह बिल भारत में कोरोनावायरस महामारी के प्रसार के मद्देनजर ये छूट प्रदान करता है।
- विधेयक किसी व्यक्ति द्वारा पीएम केयर्स फंड को किये गए दान में कर योग्य आय में 100 प्रतिशत कटौती के लिए पात्र होने के लिए आईटी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता है।

विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है –

- विधेयक का खंड 4 आयकर अधिनियम, 1961 से संबंधित कुछ प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है।
- धारा 10 के खंड (4 डी) के प्रस्तावित संशोधन में निर्धारित तरीके से अनिवासी की आय की गणना के लिए प्रावधान है।
- धारा 10 के खंड (23 सी) का प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को धन या ट्रस्ट या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थानों या किसी भी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थानों के अनुमोदन के लिए आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र एवं तरीके का अधिकार देता है।
- नए पंजीकरण के लिए प्रक्रिया से संबंधित नए खंड 12AB का प्रस्तावित सम्मिलन बोर्ड को नियमों के अनुसार फार्म एवं उस उपधारा के तहत आदेश पारित करने के तरीके को प्रदान करने का अधिकार देता है।
- धारा 35 में प्रस्तावित संशोधन नई उपधारा को उपधारा में सम्मिलित करना चाहता है
  (1) जो बोर्ड को निर्धारित प्राधिकारी को अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, कॉलेज या कंपनी द्वारा सूचना देने के रूप एवं तरीके को नियम द्वारा प्रदान करने का अधिकार देता है।
- धारा 80 जी की उप–धारा (5) में प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को यह अधिकार देता है कि वह सूचना के विवरण में किसी भी गलती को सुधारने के लिए कथन के सत्यापन के विवरण, समय, प्रपत्र एवं सत्यापन के विवरण, विवरण एवं वितरण के तरीके प्रदान करेगा। यह आगे बोर्ड को दान के प्रमाण पत्र के तरीके, विवरण एवं समय के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है।
- धारा 115 क में उप–धारा (1 ए) का प्रस्तावित सम्मिलन आय की गणना के लिए प्रदान करता है जो निर्धारित तरीके से अनिवासी द्वारा आयोजित इकाइयों के लिए जिम्मेदार है।
- जिन नियमों के संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं, वे प्रक्रिया एवं प्रशासनिक विवरण के मामले हैं एवं विधेयक में उनके लिए यह सुविधा प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है।

अतिरिक्त जानकारी

विवाह सेवा योजना –

- यह व्यक्तियों एवं आयकर विभाग के बीच कर विवादों को निपटाने के लिए बजट 2020 में घोषित एक प्रत्यक्ष कर योजना है।
- इससे पहले, इस योजना का 31 मार्च, 2020 तक लाभ उठाने पर कर के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के साथ करदाताओं को ब्याज एवं जुर्माना पर छूट की पेशकश की गई थी।
- 31 मार्च, 2020 के बाद निपटान के लिए एक व्यक्ति को विवादित कर राशि पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत जुर्माना देना आवश्यक था।

विवाद से विश्वास योजना 2020 के उद्देश्य –

- आयकर लंबित मुकदमेबाजी को कम करें
- सरकार के लिए समय पर राजस्व उत्पन्न करना
- करदाताओं को विवादित कर का भुगतान करके विभाग के साथ अपने कर विवादों को समाप्त करने में मदद करें एवं ब्याज एवं जुर्माना के भुगतान से छूट प्राप्त करें। साथ ही अभियोजन से प्रतिरक्षा प्राप्त करें।

सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के अंर्तगत उत्पत्ति के नियमों के तहत प्रशासन) नियम, 2020

- सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के अंर्तगत उत्पत्ति के नियमों के तहत प्रशासन) नियम, 2020, सितंबर 21, 2020 से व्यवहार में आ गए।
- नियम भारत में माल के आयात के लिए जहां आयातक व्यापार समझौते के संदर्भ में शुल्क की अधिमान्य दर का दावा करता है, लागु होंगे।
- इस तरह के समझौतों के तहत, दो व्यापारिक साझेदार अपने बीच व्यापार किए गए माल की अधिकतम संख्या पर आयात / सीमा शुल्क को कम या समाप्त करते हैं।

मुख्य विचार –

- CAROTAR, 2020 घरेलू उद्योग को विदेशी व्यापार समझौतों के दुरुपयोग से बचाने में मदद करता है।
- CAROTAR, 2020 विभिन्न व्यापार समझौतों (एफटीए/पीटीए/सीईसीए/सीईपीए) के तहत निर्धारित मौजूदा परिचालन प्रमाणन प्रक्रियाओं के पूरक हैं।
- एक आयातक को अब यह सुनिश्चित करने के लिए माल आयात करने से पहले परिश्रम करना आवश्यक है कि वे निर्धारित मूल मानदंडों को पूरा करें।
- एक आयातक को अब बिल ऑफ एंट्री में कुछ मूल संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसा कि मूल प्रमाण पत्र में उपलब्ध है।
- नए नियम आयातक को मूल रूप से देश का पता लगाने में सहायता करेंगे, उचित रूप से रियायती शुल्क का दावा करेंगे एवं एफटीए के तहत वैध आयातों की सुगमता में सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता करेंगे।

ऐसे बदलावों की जरूरत क्यों? –

- मुक्त व्यापार समझौतों के दुरुपयोग से घरेलू उद्योग की रक्षा करने की आवश्यकता है।
- एफटीए के तहत आयात बढ़ रहे हैं एवं एफटीए लाभों के अनुचित दावों ने घरेलू उद्योग के लिए खतरा पैदा कर दिया है एवं ऐसे आयातों पर कड़े चेक की आवश्यकता है।

महत्व –

- नए नियम एफटीए के तहत ड्यूटी रियायतों के किसी भी प्रयास के दुरुपयोग की जांच करने में सीमा शुल्क के हाथों को मजबूत करेंगे।
- भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर एवं आसियान के सदस्यों सहित कई देशों के साथ एफटीए को शामिल किया है। इस तरह के समझौतों के तहत, दो व्यापारिक साझेदार अपने बीच व्यापार किए गए माल की अधिकतम संख्या पर आयात/सीमा शुल्क को कम या कम कर देते हैं।

अतिरिक्त जानकारी

मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)

- एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) या संधि सहयोगकारी राज्यों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार एक बहुराष्ट्रीय समझौता है।
- यह माल (जैसे कृषि या औद्योगिक उत्पादों) या सेवाओं में व्यापार (जैसे बैंकिंग, निर्माण, व्यापार आदि) में व्यापार को शामिल करता है।
- यह अन्य क्षेत्रों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), निवेश, सरकारी खरीद एवं प्रतिस्पर्धा नीति आदि को भी कवर करता है।

उत्पत्ति के नियम –

- 'उत्पत्ति के नियम' प्रावधान न्यूनतम प्रसंस्करण के लिए निर्धारित होते हैं जो एफटीए देश में होना चाहिए ताकि अंतिम निर्मित उत्पाद को उस देश में मूल माल कहा जा सके।
- इस प्रावधान के तहत, एक देश जिसने भारत के साथ एक एफटीए को शामिल किया है, केवल उस पर एक लेबल लगाकर भारतीय बाजार में कुछ तीसरे देश से माल नहीं डंप कर सकता है। उसे भारत को निर्यात करने के लिए उस उत्पाद में एक निर्धारित मूल्य वृद्धि करनी होगी। मूल मानदंडों के नियमों में माल के डंपिंग में मदद मिलती है।
- उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद की राष्ट्रीय उत्पत्ति को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मापदंड हैं।
- वे देश जो कुछ व्यापार साझेदारों से आयात करने के लिए शून्य या कम शुल्क पर पहुँच प्रदान करते हैं, वे अक्सर तरजीही पहुँच प्राप्त करने के लिए उत्पादों की पात्रता निर्धारित करने के लिए उत्पत्ति के अधिमान्य नियमों का एक सेट लागू करते हैं।

उत्पत्ति के प्रकार

(ए) अधिमान्य

– तरजीही मूल व्यापार समझौतों से संबंधित है जो सदस्यों को घरेलू बाजार में तरजीही शुल्क पर पहुंच प्रदान करते हैं।

– मूल के अधिमान्य नियमों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या समझौते के तहत प्रस्तावित अधिमान्य टैरिफ के लिए अच्छी योग्यता है।

– नियम एचएस वर्गीकरण पर आधारित हैं एवं ज्यादातर मामलों में, उत्पाद विशिष्ट हैं –एक व्यापार समझौते के तहत अधिमान्य टैरिफ के लिए योग्य प्रत्येक एचएस कोड की उत्पत्ति का एक नियम है।

(बी) गैर– अधिमानी

– गैर–तरजीही मूल किसी भी तरजीही व्यापार समझौते (किसी तरजीही समझौते की अनुपस्थिति में या जब माल मौजूदा एफटीए द्वारा कवर नहीं किया जाता है) से जुड़े देशों के बीच व्यापार किए गए माल पर लागू होता है।

– गैर–तरजीही मूल में टैरिफ में कमी नहीं होती है, लेकिन कई अन्य उद्देश्यों जैसे कि कोटा, एंटी–डंपिंग एवं काउंटरवेलिंग कर्तव्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग व्यापार आँकड़ों के लिए एवं लेबलिंग के उद्देश्य से भी किया जाता है।

– प्रत्येक देश द्वारा उत्पत्ति के गैर–अधिमान्य नियम तय किए जाते हैं।

हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) वर्गीकरण –

- HS नामकरण या वर्गीकरण, विश्व सीमा शुल्क संगठन की सामंजस्यपूर्ण कमोडिटी विवरण एवं कोडिंग प्रणाली है।
- यह एक अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क वर्गीकरण प्रणाली है जो उत्पादों के प्रत्येक समूह के लिए एक अद्वितीय 6 अंकों का एचएस कोड आवंटित करती है।
- इस प्रणाली को शुरू में 1983 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद द्वारा अपनाया गया था।
- एचएस कोड दुनिया भर के अधिकांश देशों में सामंजस्य में हैं लेकिन कुछ अपवाद मौजूद हैं।
- HS कोड कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।
- वे सीमा शुल्क अधिकारियों को उत्पाद की पहचान करने एवं उचित आयात शुल्क के साथ–साथ अन्य करों एवं व्यापार उपायों को लागू करने में सक्षम बनाते हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य की स्थिति संहिता, 2020

समाचार –

- श्रम मंत्री ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य की शर्तें अधिनियम, 2020, औद्योगिक संबंध अधिनियम, 2020 एवं सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2020 पेश किया।

विवरण –

- श्रम संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, संसद एवं राज्य दोनों विधायिका श्रम को विनियमित करने वाले कानून बना सकती हैं।
- केंद्र सरकार ने कहा है कि 100 से अधिक राज्य एवं 40 केंद्रीय कानून हैं जो श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे औद्योगिक विवादों के समाधान, कार्य की स्थिति, सामाजिक सुरक्षा एवं मजदूरी को विनियमित करते हैं।
- दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने मौजूदा कानून को, पुरातन प्रावधानों एवं असंगत परिभाषाओं के साथ जटिल माना।
- अनुपालन में आसानी में सुधार एवं श्रम कानूनों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, इसने केंद्रीय श्रम कानूनों को व्यापक समूहों में समेकित करने की सिफारिश की –
  (i) औद्योगिक संबंध, (ii) मजदूरी, (iii) सामाजिक सुरक्षा, (iv) सुरक्षा, एवं (v) कल्याणकारी कार्य एवं कार्य करने की स्थिति।

2020 श्रम संहिता –

- केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए उपयुक्त सरकार – विधेयक में कहा गया है कि केंद्रीय सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के लिए उपयुक्त सरकार बनी रहेगी, भले ही केंद्र सरकार की उस पीएसयू में हिस्सेदारी 50% से कम हो जाए।
- कुछ निर्दिष्ट उद्योगों के लिए उपयुक्त सरकार– विधेयकों के अनुसार केंद्र सरकार किसी भी 'नियंत्रित उद्योग' (जो सरकार निर्दिष्ट कर सकती है) के लिए भी उपयुक्त सरकार होगी। एक नियंत्रित उद्योग को (व्यावसायिक सुरक्षा एवं औद्योगिक संबंधों पर विधेयकों में) एक उद्योग के रूप में परिभाषित किया गया है, जिस पर किसी भी केंद्रीय अधिनियम द्वारा सार्वजनिक हित में संघ के नियंत्रण की घोषणा की गई है।
- कारावास के उपयुक्त दंडनीय अपराधों का समझौता – औद्योगिक संबंध एवं सामाजिक सुरक्षा पर बिल यह कहता है कि एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध संयोजनीय होंगे। जुर्माने के लिए अधिकतम, जुर्माने के 50% की राशि के संयोजन की अनुमति है। कारावास की सजा के लिए, 75% राशि के संयोजन की अनुमति है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पर बिल में, 50% संयोजन किया जा सकता है, जहाँ 'पेनल्टी' लगाई जाती है (जैसे, रजिस्टरों के रखरखाव के लिए) एवं 50% अपराधों के लिए (जैसे रिकॉर्ड्स को गलत नोट करना)।

प्रतिष्ठान –

- **कारखाना –** बिल ने एक कारखाने को किसी भी परिसर के रूप में परिभाषित किया है जहां विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है एवं जहाँ (i) परिसर जहां विनिर्माण प्रक्रिया का उपयोग बिजली से किया जाता है अधिक से अधिक 20 श्रमिक, एवं (ii) परिसर जहां बिजली का उपयोग किए बिना किया जाता है, अधिक से अधिक 40 श्रमिक कार्यरत होते हैं।

खतरनाक गतिविधियों में लगे प्रतिष्ठान –

- विधेयक में सभी प्रतिष्ठान (व्यापार या व्यवसाय) शामिल हैं जहां किसी भी खतरनाक गतिविधि को अंजाम दिया जाता है फिर चाहे वहाँ कितने भी श्रमिकों कार्य करते हो।
- संविदा श्रमिक – 50 या अधिक संविदा श्रमिकों (पिछले एक वर्ष में किसी भी दिन) को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान या ठेकेदारों पर लागू होने वाला बिल।
- बिल कोर गतिविधियों में संविदा श्रम को प्रतिबंधित करता है, जहां को छोड़कर – (i) स्थापना का सामान्य कामकाज ऐसा है कि गतिविधि सामान्य रूप से ठेकेदार के माध्यम से की जाती है, (ii) गतिविधियां ऐसी हैं कि उन्हें पूर्णकालिक श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है दिन का प्रमुख भाग, या (iii) मुख्य गतिविधि में कार्य की मात्रा में अचानक वृद्धि होती है जिसे एक निर्दिष्ट समय में पूरा करने की आवश्यकता होती है।
- विधेयक उचित सरकार को आपातकाल की स्थिति में ठेकेदारों को छूट देने की अनुमति देता है, जो आपात स्थिति के अधीन हो, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है।

काम के घंटे एवं रोजगार की स्थिति –

- बिल अधिकतम सीमा को आठ घंटे प्रति दिन तय करता है।
- विधेयक में यह प्रावधान है कि महिलाएं सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने की हकदार होंगी। यह भी प्रदान करता है कि यदि उन्हें खतरनाक कार्यों में काम करने की आवश्यकता होती है, तो सरकार को नियोक्ता को उनके रोजगार से पहले पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।

औद्योगिक संबंध कोड बिल, 2020

समाचार –

- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सितंबर 19, 2020 को लोकसभा में पेश किया गया था।
- उपयुक्त सरकार किसी भी नए औद्योगिक प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग को सार्वजनिक हित में संहिता के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

प्रमुख समाचार –

- बिल में यह प्रावधान किया गया है कि 300 श्रमिकों या अधिक के साथ सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान कोड की अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों पर स्थायी आदेश तैयार करें।
- श्रमिकों से संबंधित ये मामले हैं – (i) श्रमिकों का वर्गीकरण, (ii) श्रमिकों को काम के घंटों, छुट्टियों, दिनों एवं मजदूरी दरों के बारे में सूचित करने का तरीका, (iii) रोजगार की समाप्ति, एवं (iv) श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र।
- 2019 विधेयक ने प्रावधान किया कि केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से 100 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू स्थायी आदेश से संबंधित प्रावधान कर सकती है। 2020 का विधेयक इस प्रावधान को हटा देता है।
- 2019 विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि एक बार स्थापन आदेशों से संबंधित प्रावधानों के तहत एक बार कवर किए जाने के बाद, ये प्रावधान तब भी लागू होते रहेंगे, जब इसके कर्मचारी की संख्या किसी भी समय सीमा (100 श्रमिकों) से कम हो। 2020 का विधेयक इस आवश्यकता को दूर करता है।

वार्ता संघ एवं परिषद –

- **एकल वार्ता संघ –** 2019 विधेयक के तहत, यदि किसी प्रतिष्ठान में काम करने वाले श्रमिकों के एक से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियन होते हैं, तो ट्रेड यूनियन में 75% से अधिक श्रमिक होते हैं, क्योंकि सदस्यों को एकमात्र बातचीत यूनियन के रूप में मान्यता दी जाएगी। 2020 का बिल इस सीमा को कम करके 51% श्रमिकों तक ले जाता है।
- **वार्ता परिषद –** यदि कोई ट्रेड यूनियन एकमात्र बातचीत यूनियन के रूप में योग्य नहीं है, तो 2019 विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यूनियनों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक वार्ता परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें कम से कम 10% श्रमिक सदस्य हों। 2020 का बिल इस सीमा को बढ़ाकर 20% कर देता है।

विधेयक के तहत नया प्रावधान –

- **व्यक्तिगत कार्यकर्ता की समाप्ति से संबंधित विवाद –** विधेयक किसी भी कर्मचारी के निर्वहन, बर्खास्तगी, छंटनी, या अन्यथा किसी औद्योगिक कार्यकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के संबंध में किसी भी विवाद को वर्गीकृत करता है। श्रमिक विवाद के स्थगन के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकता है। विवाद के सुलह के लिए आवेदन किए जाने के 45 दिन बाद कार्यकर्ता ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकता है।

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2020

समाचार –

- केंद्रीय श्रम मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2020 लोकसभा में पेश किया, जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करेगा।
- गिग श्रमिक ऐसे श्रमिक होते हैं जोकि परंपरागत नियोक्ता–कर्मचारी संबंध से बाहर होते हैं (जैसे फ्रीलांसर्स)।
- प्लेटफॉर्म वर्कर्स ऐसे श्रमिक होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूसरे संगठनों या व्यक्तियों तक पहुंचते हैं और उन्हें विशिष्ट सेवाएं प्रदान करके धन अर्जित करते हैं। असंगठित श्रमिकों में गृह आधारित (घर पर रहकर काम करने वाले) या स्वरोजगार प्राप्त श्रमिक शामिल होते हैं।

सामाजिक सुरक्षा अधिकार –

- 2019 बिल ने कुछ प्रतिष्ठानों के लिए सामाजिक सुरक्षा को अनिवार्य कर दिया, जैसे कि थ्रेसहोल्ड पर आधारित स्थापना एवं आय सीमा का आकार। 2020 के विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार अधिसूचना के अनुसार, किसी भी प्रतिष्ठान के लिए यह नियम लागू कर सकती है (जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है)।

असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि –

- 2019 विधेयक ने केंद्र सरकार को असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का अधिकार दिया।
- 2020 विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस तरह का एक कोष स्थापित करेगी। इसके अलावा, राज्य सरकारें असंगठित श्रमिकों के लिए अलग से सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना एवं प्रशासन भी करेंगी।
- 2020 विधेयक में श्रमिकों की सभी तीन श्रेणियों – असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के पंजीकरण के लिए भी प्रावधान है।

गिग श्रमिकों एवं प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा –

- 2019 विधेयक। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए योजनाओं के संचालन के लिए एक राष्ट्रीय एवं विभिन्न राज्य स्तरीय बोर्डों की स्थापना के लिए लाया गया था।
- 2020 विधेयक में कहा गया है कि असंगठित श्रमिकों के अलावा, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड भी गिग श्रमिकों एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्यों के लिए बोर्ड के रूप में कार्य कर सकता है एवं गिग श्रमिकों एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए योजनाओं की सिफारिश एवं निगरानी कर सकता है।
- ऐसे मामलों में, बोर्ड में सदस्यों का एक अलग समूह शामिल होगा – (i) पांच एग्रीगेटरों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार द्वारा नामित, (ii) गिग वर्कर्स एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स के पांच प्रतिनिधि, केंद्र सरकार द्वारा नामित, (iii) ESIC के महानिदेशक, एवं (iv) राज्य सरकारों के पांच प्रतिनिधि।

एग्रीगेटर्स की भूमिका –

- 2020 के विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, एवं एग्रीगेटर्स के योगदान के माध्यम से गिग श्रमिकों एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए योजनाओं को वित्त पोषित किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, विधेयक अनुसूची 7 में एग्रीगेटर्स की एक सूची निर्दिष्ट करता है।
- इनमें राइड शेयरिंग सेवाओं, खाद्य एवं किराने की डिलीवरी सेवाओं, सामग्री एवं मीडिया सेवाओं एवं ई–मार्केटप्लेस सहित नौ श्रेणियों का उल्लेख है। इस तरह के एग्रीगेटर का कोई भी योगदान सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर हो सकता है जो एग्रीगेटर्स के सालाना टर्नओवर के 1–2% के बीच आता है। हालांकि, इस तरह के योगदान को एक एग्रीगेटर द्वारा गिग वर्कर्स एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स को दी जाने वाली या देय राशि का 5% से अधिक नहीं हो सकता है।

ग्रेच्युटी के लिए पात्रता की अवधि –

- 2019 विधेयक के तहत, रोजगार की समाप्ति पर ग्रेच्युटी देय थी, अगर कर्मचारी संगठन में कम से कम 10 साल से है। 2020 का विधेयक कामकाजी पत्रकारों के लिए ग्रेच्युटी की अवधि को पांच साल से घटाकर तीन साल कर देता है।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020

समाचार –

- लोकसभा ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया था जो केंद्र सरकार को कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को केवल असाधारण परिस्थितियों में नियंत्रित करने की अनुमति देता है जिसमें युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि एवं गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा शामिल हो सकती है।
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020, जो एक अध्यादेश का स्थान लेगा, के अनुसार यदि मूल्य वृद्धि त्रीव हो तोकृषि उपज पर स्टॉक सीमाएं लगाई जा सकती हैं।

खाद्य पदार्थों का विनियमन –

- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं (जैसे खाद्य पदार्थों, उर्वरकों एवं पेट्रोलियम उत्पादों) को आवश्यक वस्तुओं के रूप में नामित करने का अधिकार देता है। केंद्र सरकार ऐसे आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार एवं वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकती है।

- अध्यादेश के अनुसार केंद्र सरकार केवल असाधारण परिस्थितियों जैसे (i) युद्ध, (ii) अकाल, (iii) असाधारण मूल्य वृद्धि एवं (iv) गंभीर प्राकृतिक आपदा, में अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन एवं तेल सहित कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को विनियमित कर सकती है।

भंडारण की सीमा –

- अध्यादेश के लिए आवश्यक है कि कृषि उपज पर किसी भी भंडारण सीमा को लागू करना मूल्य वृद्धि पर आधारित होना चाहिए।
- स्टॉक सीमा केवल तभी लगाई जा सकती है जब –
  (i) बागवानी उपज के खुदरा मूल्य में 100% की वृद्धि, एवं
  (ii) गैर–खराब कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि हो।
- वृद्धि की गणना बारह महीने से पहले प्रचलित मूल्य से की जाएगी, या पिछले पांच वर्षों के औसत खुदरा मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाएगी।

किसानों का उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश, 2020

अध्यादेश की मुख्य विशेषताएं –

- किसान उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश, 2020 एपीएमसी बाजारों के भौतिक परिसर से परे किसानों की उपज के राज्यांतरिक एवं अंतर–राज्य व्यापार की अनुमति देता है।
- राज्य सरकारों को एपीएमसी क्षेत्रों के बाहर किसी भी बाजार शुल्क, उपकर या लेवी पर प्रतिबंध लगाने से मना किया गया है।
- किसान समझौते अध्यादेश किसी भी कृषि उपज के उत्पादन या पालन से पहले एक किसान एवं एक खरीदार के बीच एक समझौते के माध्यम से अनुबंध खेती के लिए एक रूपरेखा बनाते है।
- यह तीन–स्तरीय विवाद निपटान तंत्र प्रदान करता है – सुलह बोर्ड, उप–विभागीय मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय प्राधिकरण।
- किसानों की उपज के लिए खरीदारों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अध्यादेश, बिना किसी लाइसेंस या भंडारण सीमा के व्यापार करने की अनुमति देता है।
- अध्यादेश का उद्देश्य व्यापार को उदार बनाना एवं खरीदारों की संख्या में वृद्धि करना है, अधिक खरीदारों को आकर्षित करने के लिए अकेले अविनियमन पर्याप्त नहीं हो सकता है।

भारत–डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप

समाचार –

- वर्चुअल समिट में, भारत एवं डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों ने भारत–डेनमार्क संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की।
- भारत ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सबसे आगे रहने के लिए डेनमार्क के साथ पहली बार ग्रीन रणनीतिक साझेदारी शुरू की है।

ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप –

- हरित रणनीतिक साझेदारी राजनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने, आर्थिक संबंधों एवं हरित विकास का विस्तार करने, रोजगार सृजित करने एवं वैश्विक चुनौतियों एवं अवसरों के समाधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यवस्था है।
- यह पेरिस समझौते एवं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के एक महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन पर भी केंद्रित है।

समिट विवरण –

- दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत–डेनमार्क संबंधों को हरित सामरिक भागीदारी के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इस साझेदारी में राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र, विज्ञान एवं तकनीक, पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षा एवं संस्कृति, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी विकास, कृषि एवं पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, शिपिंग, श्रम गतिशीलता, डिजिटलीकरण तथा ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन, पर सहयोग की परिकल्पना की जाएगी।

ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन –

- दोनों भागीदारों ने हरित ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चुनौतियों एवं समाधानों को संबोधित करने पर सहमति व्यक्त की।
- अपतटीय पवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर सामरिक क्षेत्र सहयोग, क्षमता निर्माण पर भारत–डेनमार्क ऊर्जा भागीदारी (INDEP), पवन ऊर्जा पर ज्ञान–साझाकरण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ऊर्जा मॉडलिंग एवं नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण कुछ ऐसे मद्धे है जिन्हे हल कने के लिए दोनो पक्ष प्रतिबद्ध हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, हरित विकास एवं सतत विकास की दिशा में आम वैश्विक चुनौतियाँ।
- भारत एवं डेनमार्क जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सबसे आगे रहने के लिए सहमत हैं।

पर्यावरण/जल एवं परिपत्र अर्थव्यवस्था

- दोनों भागीदारों ने पर्यावरण/जल एवं परिपत्र अर्थव्यवस्था पर मौजूदा सरकार–से–सरकार सहयोग को ओर अधिक विस्तारित एवं मजबूत करने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की।
- वे जल दक्षता एवं गैर–राजस्व पानी (जल हानि) में सहयोग करने के लिए सहमत हुए। इस संदर्भ में, जल शक्ति के भारतीय मंत्रालय एवं डेनिश पर्यावरण संरक्षण एजेंसी एवं पर्यावरण एवं खाद्य मंत्रालय ने तीन वर्ष (2021–23) की प्रारंभिक अवधि के लिए एक कार्य योजना विकसित की है।
- दोनों राष्ट्रों ने जल क्षेत्र, जल वितरण, अपशिष्ट जल उपचार, सीवरेज सिस्टम, उपचारित अपशिष्ट जल का पुर्नपयोग, जल प्रबंधन एवं जल क्षेत्र में ऊर्जा अनुकूलन के विशिष्ट क्षेत्रों में इंडो–डेनिश वाटर टेक्नोलॉजी एलायंस के द्वारा सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी संयुक्त इच्छा व्यक्त की।

स्मार्ट शहरों सहित सतत शहरी विकास

- दोनों पक्ष गोवा में अर्बन लिविंग लैब के माध्यम से स्मार्ट शहरों सहित, स्थायी शहरी विकास में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए।
- दोनों पक्ष उदयपुर एवं आरहूस एवं तुमकुरु एवं अलबोर्ग के बीच मौजूदा सिटी–टू–सिटी सहयोग को मजबूत करने पर भी सहमत हुए।
- डेनिश कंपनियां भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को डिजाइन करने में योगदान दे रही हैं एवं सतत शहरी विकास के सभी क्षेत्रों में डेनिश पक्ष के अधिक से अधिक जुड़ाव का स्वागत करती हैं।

व्यापार, व्यवसाय एवं नौवहन

- दोनों भागीदारों ने हरित एवं जलवायु–अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान देने के साथ साझेदारी विकसित करने के विचार का स्वागत किया।
- दोनों नेताओं ने समुद्री मामलों पर गहन सहयोग की सराहना की एवं जहाज निर्माण एवं डिजाइन, समुद्री सेवाओं एवं ग्रीन शिपिंग में सहयोग बढ़ाने के साथ–साथ बंदरगाह विकास के लिए क्षमता का उल्लेख किया।
- दोनों राष्ट्र एसएमई के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडल, बाजार पहुंच गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे एवं व्यापार करने में आसानी बढ़ाएंगे।
- दोनों राष्ट्रों ने बौद्धिक संपदा अधिकारों में उभरते सहयोग की पुष्टि की, जो नवाचार, रचनात्मकता एवं तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अपनी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणालियों को आधुनिक बनाने एवं मजबूत करने में मदद करेगा।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं डिजिटलीकरण

- भारत एवं डेनमार्क मजबूत सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) में निवेश को बढ़ावा देने एवं सुविधाजनक बनाने के लिए सहमत हुए।
- यह प्रौद्योगिकी विकास एवं नए समाधानों के कार्यान्वयन में तेजी लाएगा।
- एसटीआई में सहयोग भारत एवं डेनमार्क में अधिकारियों, छोटी एवं बड़ी कंपनियों एवं अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने एवं मजबूत करने के द्वारा हरित रणनीतिक साझेदारी का समर्थन करता है।
- दोनों पक्ष ऊर्जा, जल, जैव–संसाधन एवं आईसीटी जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए संयुक्त कॉल के साथ मौजूदा मजबूत द्विपक्षीय एसटीआई साझेदारी बनाने पर सहमत हैं।
- दोनों नेताओं ने हरियाली बढ़ाने में डिजिटलीकरण एवं डिजिटल समाधान एवं व्यापार मॉडल में अपनी साझा रुचि को पहचाना एवं हरित स्थायी विकास का समर्थन करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विकास, नवाचार एवं प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सहयोग करने का फैसला किया।

खाद्य एवं कृषि –

- खाद्य प्रसंस्करण एवं खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ पशुपालन एवं डेयरी के क्षेत्र में दो प्रधानमंत्रियों के अनुसंधान संस्थानों ने अधिकारियों, व्यवसायों एवं स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान के बीच गहन एवं घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा दिया।
- दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में संवाद एवं सहयोग को मजबूत करने की क्षमता एवं उनकी सामान्य इच्छा पर जोर दिया।
- दोनों ने विशेष रूप से कोविड–19 एवं भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए महामारी एवं टीके सहित स्वास्थ्य नीति के मुद्दों पर सर्वोत्तम प्रथाओं के विस्तार एवं साझा करने में अपनी रुचि की पुष्टि की।
- वे अनुसंधान सहयोग सहित जीवन विज्ञान क्षेत्र के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाकर व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों के विस्तार पर काम करने के लिए सहमत हुए।

सांस्कृतिक सहयोग, लोगों से लोगों के संपर्क एवं श्रम गतिशीलता –

- दोनों प्रधान मंत्री सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से दोनों देशों के लोगों के बीच अधिक जागरूकता एवं आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए।
- दोनों पक्ष श्रम गतिशीलता की संभावनाओं की जांच करने के लिए सहमत हुए, साथ ही दोनों देशों के बीच यात्रा में आसानी पर विचार करने के लिए अधिक से अधिक लोगों से लोगों की बातचीत की सुविधा एवं पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

निष्कर्ष –

- दोनों नेताओं ने अपना विश्वास व्यक्त किया कि देशों के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने के निर्णय ने उनके बीच मैत्रीपूर्ण एवं सहकारी संबंधों में एक नया अध्याय खोला है।
- महत्वाकांक्षी लक्ष्यों एवं कार्यों को क्षेत्रों के भीतर पहचाना जाएगा एवं एक कार्य योजना में उल्लिखित किया जाएगा जिस पर शीघ्रताशीघ्र कार्य किया जाएगा।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

समाचार –

- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने कोविड–19 महामारी के बीच मांग बढ़ने के कारण कालाबाजारी एवं जमाखोरी को रोकने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर एवं मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में कटौती की।
- वर्तमान में, देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग 750 मीट्रिक टन प्रति दिन से बढ़कर 2,800 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है।

मुद्दा –

- कोविड–19 की वर्तमान स्थिति के कारण देश में मेडिकल ऑक्सीजन (एमओ) की मांग बढ़ी है।
- एमओ की मांग एक दिन में 750 मीट्रिक टन से 2,800 मीट्रिक टन अर्थात लगभग चार गुना बढ़ गई है।
- इससे उत्पादन एवं आपूर्ति की मूल्य श्रृंखला में सभी स्तरों पर तनाव पैदा हो गया है।
- लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पर प्राइस कैप नहीं होने के कारण देश में निर्माताओं ने फिलर्स की कीमतों में बढ़ोतरी की। यह चिकित्सा ऑक्सीजन की कीमतों के बढ़ने का मुख्य कारण है। इस प्रकार, एनपीपीए ने कीमतों को कैप किया है।

सीमा निर्धारण –

- एनपीपीए ने तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (LMO) के पूर्व कारखाने मूल्य को अनन्य पर निर्माताओं के छोर पर 15.22 रूपये/CUM (जीएसटी को छोड़कर) सीमित करने का फैसला किया है।
- इसने आगे तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (LMO) के पूर्व कारखाने मूल्य को, सिलेंडर भरने वाले व्यक्ति के छोर पर वर्तमान 17.49 रूपये/CUM से बढ़ाकर 25.71 रूपये/CUM (जीएसटी को छोड़कर) कर दिया है, जिसमें यातायात खर्च, छः माह के लिए राज्यों के हिस्से रहेगा।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

- राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) एक सरकारी नियामक एजेंसी है जो भारत में दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है।
- इसका गठन अगस्त 29, 1997 को किया गया था।
- एनपीपीए नियमित रूप से दवाओं की सूची एवं उनकी अधिकतम कीमतों को प्रकाशित करता है।

कार्य –

- इसके लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों को लागू करना।
- प्राधिकरण के निर्णयों से उत्पन्न सभी कानूनी मामलों से निपटने के लिए।
- दवाओं की उपलब्धता की निगरानी करने के लिए, कमी की पहचान करना एवं उपचारात्मक कदम उठाना।
- थोक दवाओं एवं योगों के लिए उत्पादन, निर्यात एवं आयात, व्यक्तिगत कंपनियों के बाजार हिस्सेदारी, कंपनियों की लाभप्रदता आदि पर डेटा एकत्र/बनाए रखने के लिए।
- दवाओं/फार्मास्यूटिकल्स के मूल्य निर्धारण के संबंध में प्रासंगिक अध्ययन शुरू करने एवं/या प्रायोजित करने के लिए।
- सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को भर्ती / नियुक्त करने के लिए।
- दवा नीति में बदलाव/संशोधन पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए।
- दवा से संबंधित मूल्य निर्धारण में संसदीय मामलों में केंद्र सरकार को सहायता प्रदान करना।

मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (पीएमआरयू)

- एनपीपीए ने 'उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार एवं मूल्य निगरानी' नामक अपने कार्यक्रम के तहत निर्धारित किया है।
- विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 12 मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाइयाँ।
- यह एनपीपीए एवं राज्य दवा नियंत्रक को सस्ती कीमतों पर दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
- पीएमआरयू सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत प्रत्यक्ष के तहत पंजीकृत सोसायटी हैं।
- राज्य दवा नियंत्रक की निगरानी अपने 'बोर्ड ऑफ गवर्नर्स' के साथ होती है जिसमें राज्य एवं केंद्र सरकार के नामिती अन्य हितधारकों के अलावा होते हैं।
- उन्हें एनपीपीए द्वारा उनके आवर्ती एवं गैर–आवर्ती खर्चों के लिए वित्त पोषित किया जाएगा।

सामान्य अध्ययन- III
प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव-विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन

भारत का जीडीपी विकास अनुबंध 23.9%

समाचार –

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की अप्रैल से जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अनुमान 23.9% कम हुआ है।
- 8 मुख्य क्षेत्रों के उत्पादन में संकुचन की गति में काफी कमी आई है।

जीडीपी के संकुचन के कारण

- निजी खपत, भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने वाले सबसे बड़े इंजन में 27% की गिरावट आई है।
- व्यवसायों द्वारा निवेश गिर गया है, यह पिछले साल की इसी तिमाही का आधा है।
- सरकार का खर्च 16% बढ़ गया।
- निर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं सेवाएँ जिनका अर्थव्यवस्था के 45% योगदान हैं भी जिम्मेदार हैं।
- विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 39.3% घट गया।
- निर्माण क्षेत्र का उत्पादन 50.3% गिर गया।
- खनन क्षेत्र में 23.3% की गिरावट देखी गई।
- इन सब के बावजूद, कृषि क्षेत्र 3.4% बढ़ा है।

CHART 2: PERCENTAGE CHANGE IN KEY INDICATORS

Indicator	Q1 2019-20	Q1 2020-21
Production of coal	2.6	-15.0
Production of cement	1.0	-38.3
Consumption of steel	5.0	-56.8
Total telephone subscribers	1.5	-2.0
Commercial vehicle sales	-9.5	-84.8
Cargo handled at major sea ports	1.7	-19.8
Cargo handled at airports	-6.5	-57.2
Passengers handled at airports	-0.6	-94.1
Railways, net tonne kilometres	0.7	-26.7

Source: Ministry of Statistics and Programme Implementation

बाहर निकलने की राह –

- यह तभी संभव हो सकता है जब सरकार या तो अधिक खर्च करे, सड़क/पुल का निर्माण करे, वेतन का भुगतान करे, सीधे पैसा दे।
- सरकारी खर्चों में वृद्धि के साथ, अर्थव्यवस्था लघु से मध्यम अवधि के लिए पुर्नजीवित हो जाती है।
- यदि सरकार पर्याप्त रूप से खर्च नहीं करती है तो अर्थव्यवस्था को ठीक होने में लंबा समय लगेगा।

सरकार इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पाई है?

- कोविड संकट से पहले भी, सरकार का वित्त पोषण हो चुका था।
- सरकार के पास जितना होना चाहिए था उससे अधिक उधार ले रही थी। परिणामस्वरूप, आज उसके पास उतना पैसा नहीं है।

सकल घरेलु उत्पाद

- जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का एक मौद्रिक उपाय है।

ध्यान दें –

- जनवरी 2015 में, सरकार राष्ट्रीय खातों के लिए 2004–05 के पहले आधार वर्ष से 2011–12 के नए आधार वर्ष में चली गई।
- नई श्रृंखला में, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को कारक लागत पर दूर किया एवं बुनियादी मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के रूप में उद्योग–वार अनुमानों के मूल्य निर्धारण के अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास को अपनाया।

समायोजित सकल राजस्व (AGR)

समाचार –

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को AGR (समायोजित सकल राजस्व) बकाया को समाप्त करने के लिए 10 वर्ष दिए हैं।
- इसने कंपनियों को 31 मार्च, 2021 तक 10% बकाया की पहली किस्त का भुगतान करने का निर्देश दिया।

एजीआर –

- समायोजित सकल राजस्व (AGR) दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा चार्ज किए जाने वाले उपयोग एवं लाइसेंस शुल्क है।
- AGR को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क एवं लाइसेंस शुल्क में विभाजित किया गया है जिसे क्रमशः 3–5 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत के बीच आंका गया है।
- DoT के अनुसार, शुल्क की गणना टेल्को द्वारा अर्जित सभी राजस्व के आधार पर की जाती है – जिसमें गैर–दूरसंचार संबंधित स्रोत जैसे जमा ब्याज एवं परिसंपत्ति बिक्री शामिल हैं।

पृष्ठभूमि –

- दूरसंचार क्षेत्र को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के तहत उदारीकृत किया गया था जिसके बाद एक निश्चित लाइसेंस शुल्क के बदले में कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए थे।
- स्थिर निर्धारित लाइसेंस शुल्क से राहत प्रदान करने के लिए, सरकार ने 1999 में लाइसेंसधारियों को राजस्व साझाकरण शुल्क मॉडल में स्थानांतरित करने का विकल्प दिया।
- इसके तहत, मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटरों को वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एलएफ) एवं स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) के रूप में सरकार के साथ अपने एजीआर का प्रतिशत साझा करना आवश्यक था।
- दूरसंचार विभाग (DoT) एवं दूरसंचार कंपनियों के बीच लाइसेंस समझौते बाद के सकल राजस्व को परिभाषित करते हैं।
- AGR को तब इन लाइसेंस समझौतों में वर्तनी में कुछ कटौती के लिए अनुमति देने के बाद गणना की जाती है।

विवाद –

- DoT एवं मोबाइल ऑपरेटरों के बीच विवाद मुख्य रूप से AGR की परिभाषा पर था।
- DoT ने तर्क दिया कि AGR में दूरसंचार एवं गैर–दूरसंचार दोनों सेवाओं से सभी राजस्व (छूट से पहले) शामिल हैं।
- कंपनियों ने दावा किया कि AGR में केवल कोर सेवाओं से प्राप्त राजस्व शामिल होना चाहिए एवं किसी निवेश या अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभांश, ब्याज आय या लाभ नहीं होना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय

- 2005 में, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने AGR गणना के लिए सरकार की परिभाषा को चुनौती दी।
- 2015 में, TDSAT (टेलीकॉम विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण) ने दूरसंचार कंपनियों के पक्ष में मामले को रखा एवं यह माना कि AGR में पूंजी प्राप्तियों एवं गैर–मुख्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व जैसे किराया, अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ, लाभांश, ब्याज एवं विविध आय इत्यादि को छोड़कर सभी रसीदें शामिल हैं।
- टीडीसैट के आदेश को दरकिनार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अक्टूबर, 2019 को DoR द्वारा निर्धारित AGR की परिभाषा को सही ठहराया।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- AGR की परिभाषा इस तरह का एक विवादास्पद मुद्दा रहा है क्योंकि इसमें टेलिफोन कंपनियों एवं सरकार दोनों के लिए भारी वित्तीय निहितार्थ हैं।
- सरकार के साथ टेल्कोस द्वारा साझा किया गया राजस्व भारत के समेकित कोष में चला जाता है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद यह अनुमान लगाया गया था कि दूरसंचार ऑपरेटरों को सरकार पर लगभग 92,000 करोड़ (नवंबर 2019 तक) बकाया शुल्क, ब्याज एवं दंड केवल लाइसेंस शुल्क पर देना है।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (वैष्विक नवाचार सूचकांक) 2020

समाचार –

- भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में 48 वीं रैंक हासिल की, जो मध्य एवं दक्षिणी एशिया में राष्ट्रों के बीच शीर्ष स्थान है।
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) सूची, 2020 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO), कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एवं INSEAD बिजनेस स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया।
- रैंकिंग में आने से पहले GII के तहत कुल 131 देशों का विश्लेषण किया गया था।
- मेट्रिक्स में संस्थान, मानव पूंजी एवं अनुसंधान, बुनियादी ढांचा, बाजार परिष्कार एवं व्यापार परिष्कार, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आउटपुट एवं रचनात्मक आउटपुट शामिल हैं।

प्रमुख झलकियाँ –

- भारत दुनिया में तीसरी सबसे नवीन निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बन गया है।
- भारत आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में स्नातक, एवं आर एंड डिटेंटिव वैश्विक कंपनियों जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 में आता है।
- भारत उच्चतम नवाचार गुणवत्ता के साथ निम्न–मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है।
- भारत ने तीन स्तंभों में सबसे अधिक वृद्धि की – संस्थान (61 वां), व्यावसायिक परिष्कार (55 वां), एवं रचनात्मक आउटपुट (64 वां)।
- चीन, भारत, फिलीपींस एवं वियतनाम जैसी एशियाई अर्थव्यवस्थाएं पिछले कुछ वर्षों में नवाचार रैंकिंग में काफी आगे बढ़ी हैं।
- चीन, जो शीर्ष 30 में एकमात्र मध्य–आय अर्थव्यवस्था है, अब 14 वां स्थान रखता है।
- स्विट्जरलैंड ने जीआईआई रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया, इसके बाद स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एवं नीदरलैंड शामिल हैं।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स –

- यह इनोवेशन, एवं इनोवेशन में अपनी क्षमता के अनुसार देशों की वार्षिक रैंकिंग है।
- सूचकांक 2007 में एक ब्रिटिश पत्रिका INSEAD एवं वर्ल्ड बिजनेस द्वारा शुरू किया गया था।
- जीआईआई का उपयोग आमतौर पर कॉर्पोरेट एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा नवाचार के स्तर द्वारा देशों की तुलना करने के लिए किया जाता है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) –

- WIPO बौद्धिक संपदा (IP) सेवाओं, नीति, सूचना एवं सहयोग के लिए वैश्विक मंच है। यह 193 सदस्य राष्ट्रों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक स्व–वित्त पोषण एजेंसी हैं।
- इसका मिशन एक संतुलित एवं प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय आईपी प्रणाली के विकास का नेतृत्व करना है जो सभी के लाभ के लिए नवाचार एवं रचनात्मकता को सक्षम बनाता है।

बौद्धिक सम्पदा –

- बौद्धिक संपदा (आईपी) से मस्तिष्क से उपजी रचनाओं से है, जैसे कि आविष्कार, साहित्यिक एवं कलात्मक कार्य, डिजाइन एवं प्रतीक, नाम एवं चित्र जो वाणिज्य में उपयोग किए जाते हैं।
- आईपी कानून द्वारा संरक्षित है, उदाहरण के लिए, पेटेंट, कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क, जो लोगों को वे जो भी आविष्कार करते हैं या बनाते हैं, उससे मान्यता या वित्तीय लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाते हैं।

यूएनईपी ने 'ग्रीन नज़ेस' कार्यक्रम शुरू किया

समाचार –

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने एक नया प्रकाशन, लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज़ेस' शुरू किया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल आदतों एवं हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए दुनिया भर के 200 मिलियन छात्रों को प्रेरित करना है।

नज़ेस क्या हैं?

- नज़ेस सकारात्मक एवं कोमल अनुशीलन हैं जो व्यवहार एवं निर्णय लेने को प्रभावित करने के लिए होती हैं। इस तरह के हस्तक्षेप में पसंद वास्तुकला, डिफॉल्ट सेटिंग, सामाजिक प्रभाव इत्यादि शामिल हैं।

लिटील बुक ऑफ ग्रीन नज़ेस क्या है?

- लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज़ेस एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रकाशन के रूप में व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से परिसर के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए एक त्वरित मार्गदर्शिका है।

विवरण –

- पुस्तक व्यवहार विज्ञान एवं नज़ेस सिद्धांत पर UNEP की पहली पुस्तक है।
- इसे द बिहेवियरल इनसाइट्स टीम एवं GRID–Arendal के साथ तैयार किया गया था।
- इसमें 40 तैयार नूडल्स शामिल हैं जो विश्वविद्यालय परिसरों में छात्रों एवं कर्मचारियों को ओर अधिक स्थायी व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तैनात कर सकते हैं।
- ये सरल उपाय हैं जो हरे रंग की पसंद को आसान बनाते हैं।
- द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन नज़ेस में नज़ेस को लागू करने, डिफॉल्ट विकल्पों को रीसेट करने, विकल्पों को तैयार करने एवं सामाजिक प्रभाव का दोहन करने जैसी तकनीकों पर केंद्रित होने के सबूत आधारित मार्गदर्शन शामिल हैं।
- इसमें थाईलैंड से लेकर केन्या, फिनलैंड एवं कोलम्बिया के विश्वविद्यालयों में हुई नज़िंग इंटरवेन्शन मामले का अध्ययन भी शामिल है।

पुस्तक में सुझाए गए नज़िंग उदाहरणों में शामिल हैं–

- **भोजन** – व्यंजनों के लिए आकर्षक विवरण का उपयोग करना, उदाहरण के लिए 'मसालेदार चना करी'। एक विश्वविद्यालय के कैफेटेरिया में एक अध्ययन में पाया गया कि सब्जियों के आकर्षक रूप में वर्णन करने के परिणामस्वरूप 25 प्रतिशत अधिक उन्हें खाने के लिउ चुनते हैं।
- **आकर्षक कचरा पेटी** –एक अध्ययन में पाया गया कि विशेष ढक्कन वाले आकर्षक कचरा कंटेनर जिनको उपयोग करना आसान होता है रीसाइक्लिंग दर में 34 प्रतिशत की वृद्धि करते हैं।
- **अपशिष्ट** – कैफेटेरिया में, भोजन की बर्बादी को हतोत्साहित करने के लिए छोटी प्लेटें ऑफर की जाए एवं ट्रे नहीं। विश्वविद्यालय के डाइनिंग हॉल में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि ट्रे का उपयोग बंद करने से ठोस अपशिष्ट में उल्लेखनीय कमी आई।
- **परिवहन** – साइकिल की पार्किंग को आसान बनाकर साइकिल चलाने को प्रोत्साहित करना जबकि उसी समय कारों को पार्क करना मुश्किल बनाना जैसे की कार पार्किंग परमिट के लिए पुर्नउपयोग के पुनः आवेदन करने की आवश्यकता इत्यादि को बढ़ाकर।
- **साझाकरण** – बैठकों या घटनाओं से बचे हुए भोजन को साझा करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना। एक विश्वविद्यालय में छात्रों के एक समूह ने एक भोजन–साझाकरण समूह की स्थापना की, जिसने 7,000 किलोग्राम से अधिक भोजन को बर्बाद होने से रोक दिया है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम –

- यूएनईपी एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है जो वैश्विक पर्यावरण एजेंडा सेट करता है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास के पर्यावरण आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है, एवं वैश्विक पर्यावरण के लिए एक आधिकारिक पक्षकार के रूप में कार्य करता है।
- UNEP की स्थापना 1972 में कनाडा के व्यवसायी एवं परोपकारी मौरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा की गई थी, जो इसके पहले मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (स्टॉकहोम सम्मेलन) के निदेशक थे।
- इसका जनादेश विस्तृत क्षेत्रों को शामिल करता है, जिसमें वायुमंडल, समुद्री एवं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण शासन एवं हरा आर्थिक विकास शामिल हैं।

भारत–जापान रसद समझौते पर हस्ताक्षर

समाचार –

- भारत एवं जापान ने 10 सितंबर, 2020 को एक लॉजिस्टिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 'पारस्परिक प्रावधान आपूर्ति एवं सेवाओं' पर समझौते से भारत एवं जापान की सशस्त्र सेनाओं को सेवाओं एवं आपूर्ति में निकटता से समन्वय स्थापित करने की अनुमति मिलेगी।

विवरण –

- यह समझौता घनिष्ठ सहयोग एवं अंतर के लिए एक ढांचा तैयार करने का प्रावधान करता है।
- यह दोनों देशों की सेनाओं को मरम्मत एवं पुनःपूर्ति के लिए एक–दूसरे के ठिकानों एवं सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है।
- भारत चार राष्ट्र गठबंधन 'क्वाड' के ढांचे के तहत भारत–प्रशांत क्षेत्र में जापान के साथ समग्र रणनीतिक सहयोग का विस्तार भी कर रहा है।

- दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक, मलक्का जलडमरूमध्य के आसपास समुद्री स्थान, चीन के समुद्री मार्गों से आपूर्ति श्रृंखला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
- यह समझौता द्विपक्षीय प्रशिक्षण गतिविधियों, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान, मानवीय अंतर्राष्ट्रीय राहत एवं अन्य पारस्परिक रूप से सहमत गतिविधियों में संलग्नताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।
- समझौता दोनों पक्षों को चिकित्सा आवश्यकताओं, आपूर्ति, रखरखाव, एयरलिफ्टिंग एवं संचार पर समन्वय करने में भी मदद करेगा।

पृष्ठभूमि –

- भारत एवं ऑस्ट्रेलिया ने अपने समग्र रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समान म्युचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट (MLSA) को सील कर दिया।
- भारत ने पहले ही अमेरिका, फ्रांस एवं सिंगापुर के साथ इसी तरह के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्व –

- भारत उन देशों के साथ एमएलएसए पर हस्ताक्षर कर रहा है जो मुख्य रूप से गहरे समुद्री सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो भारत–प्रशांत, हिंद महासागर एवं दक्षिण चीन सागर में चीन के तेजी से सैन्य विस्तार पर विचार कर रहा है।
- अमेरिका एवं फ्रांस के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौते में जिबूती, गुआम एवं रीयूनियन द्वीप समूह में भारतीय सेना द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण ठिकानों तक पहुंचने का प्रावधान है।

EASE 2.0 सूचकांक परिणाम

समाचार –

- केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) द्वारा डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं का उद्घाटन किया एवं EASE बैंकिंग सुधार सूचकांक पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार समारोह में भाग लिया।
- भारतीय बैंकिंग संघ (IBA) द्वारा EASE (एन्हांसड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस) बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स 2.0 तैयार किया गया है।
- EASE एजेंडा का उद्देश्य स्वच्छ एवं स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है।

प्रमुख झलकियाँ –

- EASE बैंकिंग सुधार इंडेक्स 2.0 के अनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा ने रैंकिंग सूची में शीर्ष स्थान पर चिह्नित किया है।
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने क्रमशः दूसरा एवं तीसरा रैंक प्राप्त किया है।
- अनुक्रमणिका को उन लोगों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने से PSB में सकारात्मक परिवर्तनों को प्राप्त करने एवं उनका विश्लेषण करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है ताकि वे एक–दूसरे से सीख सकें एवं सकारात्मक मूल्यों के अनुकूल हो सकें ताकि ग्राहक विश्वास बनाए रखें एवं शीर्ष स्थान पर रहें भरोसेमंद बैंक।
- मार्च–2019 एवं मार्च–2020 के बीच पीएसबी के कुल स्कोर में 37% की वृद्धि हुई, औसत ईएएसई सूचकांक स्कोर 100 में से 49.2 से 67.4 तक सुधरा है।
- सुधार एजेंडा के छह विषयों में महत्वपूर्ण प्रगति देखी जाती है, जिसमें 'उत्तरदायी बैंकिंग' के विषयों में सबसे अधिक सुधार शासन एवं मानव संसाधन – एमएसएमई के लिए उदयमित्र के रूप में पीएसबी, एवं 'क्रेडिट ऑफ–टेक' में देखा गया है।

मार्च 2018 से मार्च 2020 के बीच प्रमुख सुधार की उपलब्धियां

- अधिकांश पीएसबी ग्राहकों की अब आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, इंट्रा–बैंक ट्रांसफर, खाता विवरण, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग पर चेक बुक अनुरोध एवं चेकबुक जारी करने, चेक की स्थिति, कॉल सेंटर पर डेबिट कार्ड को ब्लॉक/सक्रिय करने, फॉर्म 16 ए जारी करने जैसी 35 सेवाओं तक पहुंच है।
- मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग पर लगभग 4 करोड़ सक्रिय ग्राहक मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वित्तीय लेनदेन में 140% की वृद्धि एवं डिजिटल चैनलों के माध्यम से लगभग 50% वित्तीय लेनदेन करते हैं।
- कॉल सेंटर अब तेलुगु, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, गुजराती, बंगाली, ओडिया जैसी 13 क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएं प्रदान करते हैं।

पेडा द्वारा चारा जलाने के विकल्प

समाचार –

- पंजाब सरकार की एजेंसियां, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (PEDA) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर धान के उपयोग के लिए विकल्प तैयार कर रही हैं।
- इसमें बायोमास बिजली संयंत्र स्थापित करना एवं धान के ठूंठ से बायोमास से बायो सीएनजी का उत्पादन शामिल है।

वर्तमान में PEDA इस संबंध में क्या कर रहा है?

- पेडा नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन एवं विकास की दिशा में काम कर रहा है।
- पिछले तीन दशकों में, च्क्व। ने 11 बायोमास बिजली संयंत्र स्थापित किए हैं जहाँ 97.50 मेगा वाट (MW) बिजली उत्पन्न होती है।
- इन संयंत्रों में, 8.80 लाख मीट्रिक टन धान के ठूंठ, जो कि पंजाब में उत्पन्न कुल 20 मिलियन टन धान के ठूंठ का 5 प्रतिशत से कम है, का उपयोग प्रतिवर्ष बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है।
- 14 मेगावाट क्षमता वाली दो एवं बायोमास बिजली परियोजनाएं निष्पादन के अधीन हैं एवं जून 2021 से चालू की जाएंगी।
- ये परियोजनाएं अपेक्षाकृत कम CO_2 एवं कण उत्सर्जन एवं कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन को विस्थापित करने के कारण पर्यावरण के अनुकूल हैं।

बायो सीएनजी –

- राज्य में बायो सीएनजी की आठ परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं 2021 एवं 2022 में चालू होंगी।
- इन्हें प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख मीट्रिक टन धान के स्टब की आवश्यकता होगी।
- भारत की सबसे बड़ी बायो सीएनजी परियोजना, जो प्रति दिन 8,000 मीटर क्यूब बायोगैस का उत्पादन करेगी (33.23 टन बायो सीएनजी प्रतिदिन के बराबर) संगरूर जिले की लेहरगागा तहसील में निष्पादन के अधीन है। मार्च 2021 तक इस परियोजना के चालू होने की उम्मीद है।

पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA)

- PEDA का गठन सितंबर 1991 में पंजाब राज्य में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों परियोजनाओं एवं ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के प्रचार एवं विकास के लिए एक राज्य नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था।
- PEDA को नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, पंजाब सरकार के तहत पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी सोसायटी के रूप में 1860 के सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है।

कृष्णा–गोदावरी (KG) बेसिन मीथेन के स्रोत के रूप में

समाचार –

- अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि कृष्णा–गोदावरी (KG) बेसिन में मिथेन हाइड्रेट का एक विशाल भंडार है, जो स्वच्छ ईंधन का एक समृद्ध स्रोत है।
- केजी बेसिन में मीथेन हाइड्रेट्स में मौजूद मीथेन दुनिया भर में उपलब्ध सभी जीवाश्म ईंधन भंडार से दोगुना है।
- टीम ने मिथेनोजेन्स की पहचान की है जो मिथेन हाइड्रेट के रूप में फंसे बायोजेनिक मीथेन का उत्पादन करते हैं, जो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है।
- केजी बेसिन हाइड्रोकार्बन का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है।

पृष्ठभूमि –

- अध्ययन को डीएसटी–एसआरबी (विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड) युवा वैज्ञानिक परियोजना के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था, जिसका शीर्षक 'मीथेन हाइड्रेट में मिथेनोजेनिक आर्किया की सामुदायिक संरचना को स्पष्ट करना' है।

मीथेन हाइड्रेट –

- मीथेन हाइड्रेट तब बनता है जब हाइड्रोजन–बंधुआ पानी एवं मीथेन गैस महासागरों में उच्च दबाव एवं कम तापमान के संपर्क में आते हैं।
- मीथेन हाइड्रेट एक 'बर्फ' है जो केवल स्वाभाविक रूप से उपसतह जमा में होता है जहां तापमान एवं दबाव की स्थिति इसके गठन के लिए अनुकूल होती है।
- दबाव कम करने या तापमान बढ़ाने से, हाइड्रेट बस पानी एवं मीथेन – बहुत अधिक मीथेन में टूट जाता है ।

स्वच्छ ईंधन

- मीथेन एक स्वच्छ एवं किफायती ईंधन है एवं यह अनुमान लगाया जाता है कि 'एक घन मीटर मीथेन हाइड्रेट में 160–180 घन मीटर मीथेन होता है'।
- मीथेन की स्वच्छ जलने की प्रक्रिया इसे एक बहुत ही आकर्षक ईंधन बनाती है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो इसका एक अणु पानी के दो अणु एवं एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है।
- मीथेन जमीन के नीचे एवं समुद्र के नीचे दोनों जगह पाया जाता है, एवं यह दोनों भूवैज्ञानिक एवं जैविक प्रक्रियाओं द्वारा बनता है। मीथेन का सबसे बड़ा जलाशय मीथेन क्लाथ्रेट्स के रूप में समुद्र तल के नीचे है।

उपयोग –

- मिथेन का उपयोग ओवन, घरों, वॉटर हीटर, भट्टों, ऑटोमोबाइल, टर्बाइन एवं अन्य चीजों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है।
- परिष्कृत तरल मीथेन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, जब तरल ऑक्सीजन के साथ संयुक्त रूप से बीई–4 एवं रैप्टर इंजन में किया जाता है।
- मीथेन का उपयोग औद्योगिक रासायनिक प्रक्रियाओं में किया जाता है एवं इसे प्रशीतित तरल (तरलीकृत प्राकृतिक गैस, या एलएनजी) के रूप में ले जाया जा सकता है।
- गैस टरबाइन या भाप जनरेटर में ईंधन के रूप में जलाकर बिजली उत्पादन के लिए मीथेन महत्वपूर्ण है।

केजी बेसिन

- कृष्णा गोदावरी बेसिन भारत में पेरी–क्रेटोनिक निष्क्रिय मार्जिन बेसिन है।
- यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी एवं गोदावरी नदी घाटियों में 50,000 से अधिक वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
- यह साइट डी–6 ब्लॉक के लिए जानी जाती है, जहां 2003 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार खोजा था।
- बेसिन में पहली गैस खोज 1983 में हुई थी, जब ओएनजीसी का राजमुंदरी एवं नरसापुर में एक छोटा कार्यालय था। उस खोज के बाद से रिलायंस एवं अन्य अन्वेषण के प्रयास में शामिल हो गए हैं।

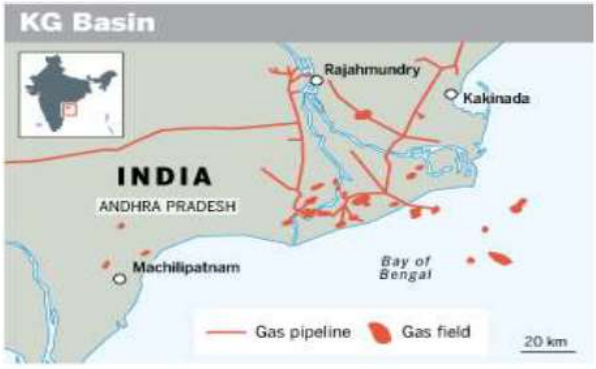

अघोरकर अनुसंधान संस्थान

- एआरआई पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है।
- यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का एक स्वायत्त, अनुदान प्राप्त अनुसंधान संस्थान है।
- इसकी स्थापना 1946 में महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ साइंस के एमएसीएस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में हुई थी एवं 1992 में इसके संस्थापक निदेशक, स्वर्गीय प्रोफेसर शंकर पुरुषोत्तम अग्रहर के सम्मान एवं स्मृति में एआरआई के रूप में इसका नाम बदल दिया गया था।

- यह पशु विज्ञान, माइक्रोबियल विज्ञान एवं पौधे विज्ञान में अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करता है।

इंडियन ब्रेन टेम्प्लेट्स

समाचार –

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज (NIMHANS) के न्यूरोसाइंटिस्ट्स की एक टीम ने इंडियन ब्रेन टेंपलेट्स (IBT) एवं एक मस्तिष्क एटलस विकसित किया है।
- NIMHANS बैंगलोर, कर्नाटक में स्थित एक चिकित्सा संस्थान है। यह देश में मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान शिक्षा का शीर्ष केंद्र है एवं स्वायत्तता से संचालित होता है।
- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से संचालित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। NIMHANS को भारत में 4 थे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान का दर्जा दिया गया है, जिसने 2020 के NIRF रैंकिंग में पहली बार आवेदन किया है।

विवरण –

- मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंडेक्स (एमएनआई) टेम्पलेट, जो भारत वर्तमान में उपयोग करता है वह कोकेशियान मस्तिष्क पर आधारित है, जो एशियाई मस्तिष्क से अलग हैं।
- MNI टेम्पलेट उत्तरी अमेरिका में शहर की आबादी के बस एक छोटे से स्लाइस से 152 स्वस्थ मस्तिष्क स्कैन द्वारा बनाया गया था।
- मस्तिष्क को मापने के लिए कुछ देशों के अपने पैमाने हैं, जबकि भारत अभी भी कोकेशियान मस्तिष्क के टेम्पलेट पर निर्भर है।

भारतीय ब्रेन टेम्प्लेट एवं एटलस का महत्व

- टेम्प्लेट एवं एटलस स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर एवं मनोभ्रंश जैसे न्यूरोलॉजिकल विकारों वाले व्यक्तिगत रोगियों में रुचि के क्षेत्रों के लिए अधिक सटीक संदर्भ मानचित्र प्रदान करेंगे।
- ये टेम्प्लेट एवं एटलस मानव मस्तिष्क एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों के समूह अध्ययन में अधिक जानकारी के लिए उपयोगी होंगे, मनोचिकित्सा संबंधी बीमारियों जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (एडीएचडी), ऑटिज्म, पदार्थ पर निर्भरता, सिजोफ्रेनिया एवं मूड विकारों के बारे में हमारी समझ को सहायता प्रदान करेंगे।

आगे का रास्ता –

- इससे पहले भारत में ब्रेन टेम्प्लेट विकसित करने के लिए कई बार इसी तरह के प्रयास किए गए हैं एवं आमतौर पर युवा वयस्कों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है एवं उनमें काफी कम संख्या में विषय होते हैं। NIMHANS के IBT एक व्यापक स्कैन पर आधारित हैं। इसे भारत में मस्तिष्क इमेजिंग के सामान्य प्रोटोकॉल में शामिल किया जा सकता है।

लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020

समाचार –

- WWF की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 में पाया गया है कि 1970 एवं 2016 के बीच वैश्विक वन्यजीवों की आबादी में 68% की कमी आई है।
- रिपोर्ट वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) एवं जूलॉजिकल सोसायटी ऑफ लंदन द्वारा प्रकाशित की गई है।

प्रमुख बिंदु –

- पृथ्वी की 75% बर्फ मुक्त भूमि की सतह में पहले ही काफी बदलाव हो चुके हैं, अधिकांश महासागर प्रदूषित हैं, एवं इस अवधि में आर्द्रभूमि के 85% से अधिक क्षेत्र खो गए हैं।
- पिछले कई दशकों में जैव विविधता के नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष चालक भू–उपयोग परिवर्तन रहा है, मुख्य रूप से प्राचीन निवास स्थान कृषि प्रणालियों में परिवर्तित हो गए हैं, जबकि अधिकांश महासागरों को खत्म कर दिया गया है।
- वैश्विक स्तर पर भू उपयोग परिवर्तन के कारण सबसे अधिक जैव विविधता का नुकसान यूरोप एवं मध्य एशिया में 57.9%, फिर उत्तरी अमेरिका में 52.5%, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन में 51.2%, अफ्रीका में 45.9% एवं फिर एशिया में 43% पर पाया गया है।
- लिविंग प्लेनेट इंडेक्स के अनुसार, सबसे बड़ा वन्यजीव जनसंख्या नुकसान लैटिन अमेरिका में 94% के खतरनाक स्तर पर है।
- विश्व स्तर पर सबसे अधिक खतरा जैव विविधता में से एक ताजे पानी की जैव विविधता है, जो महासागरों या जंगलों में तेजी से घट रही है।
- लगभग 90% वैश्विक आर्द्रभूमि 1700 के बाद से खो गई है एवं वैश्विक मानचित्रण ने हाल ही में पता लगाया है कि मनुष्यों ने लाखों किलोमीटर की नदियों को बदल दिया है।
- आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार, भारत, ष्मेगाडेवर्स देशष, जो दुनिया के केवल 2.4: भूमि क्षेत्र में 45,000 से अधिक पौधों की प्रजाति है, पहले ही छह पौधों की प्रजातियों को विलुप्त कर चुका है।
- मनुष्य अब कम से कम 56% पृथ्वी की जैव–क्षमता का उपयोग कर रहे हैं।
- हमारा महासागर गर्म पानी में भी है, जिसके साथ अत्यधिक प्रदूषण, तटीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन है, जिससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अतिरिक्त जानकारी

विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ)

- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ एक स्वतंत्र संरक्षण संगठन है, जिसके 30 मिलियन से अधिक अनुयायी हैं एवं लगभग 100 देशों में एक वैश्विक नेटवर्क सक्रिय है।
- मिशन ग्रह के प्राकृतिक वातावरण के क्षरण को रोकना एवं एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा सकें।

जूलॉजिकल सोसायटी ऑफ लंदन –

- ZSL (जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन) एक अंतरराष्ट्रीय संरक्षण चौरिटी है जो एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए काम कर रही है जहाँ वन्यजीव पनपते हैं।
- वे लोगों एवं वन्यजीवों को एक–दूसरे के साथ रहने में मदद करने के लिए जानवरों के सामने आने वाले स्वास्थ्य खतरों की जांच करते हैं, ZSL विलुप्त होने के कगार से वन्यजीवों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है

समाचार –

- डेनमार्क एवं ग्रीनलैंड के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड में आर्कटिक का के बचे हुई बर्फ का सबसे बड़ा हिस्सा, 79N (Nioghalvfjerdsbrae), लगातार दूसरे वर्ष 19 वर्ग मील से अधिक बर्फ खो चुका है।

विवरण –

- इस क्षेत्र में 1980 के बाद से औसत तापमान 5.4 डिग्री फारेनहाइट बढ़ गया है – 2019 एवं 2020 में रिकॉर्ड गर्म तापमान के साथ।
- पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड बर्फ की धारा 272 मील तक बर्फ की चादर के अंदरूनी हिस्से में फैली हुई है, जो Nioghalvfjerdsbrae एवं जाचरिया ग्लेशियर के माध्यम से गल रही है।
- Nioghalvfjerdsfjorden शेल्फ, जिसे 79 एन के रूप में भी जाना जाता है, 50 मील लंबा एवं 12 मील चौड़ा है – यह एक वार्मिंग जलवायु के परिणामस्वरूप छोटे टुकड़े में बिखर सकता है।

Nioghalvfjerdsbrae

- Nioghalvfjerdsbrae, जिसे कभी–कभी '79 एन ग्लेशियर' के रूप में संदर्भित किया जाता है, किंग फ्रेडरिक VIII लैंड, पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड में स्थित एक बड़ा ग्लेशियर है।
- यह 1996 के लिए 14.3 किमी 3 प्रति वर्ष फ्लक्स के साथ ग्रीनलैंड आइस शीट के 103,314 किमी 2 के क्षेत्र को प्रवाहित करता है (बर्फ की मात्रा भूमि से समुद्र की एवं चली जाती है)।
- ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप, 2020 में ग्लेशियर 113 वर्ग किमी का क्षेत्र डिसइंटीग्रेशन प्रक्रिया में अलग हो गया है।

ग्लेशियर क्यों महत्वपूर्ण हैं?

- बर्फ पृथ्वी एवं महासागरों पर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये चमकीले सफेद धब्बे अतिरिक्त गर्मी को अंतरिक्ष में परावर्तित करते हैं एवं ग्रह को ठंडा रखते हैं।
- सिद्धांत रूप में, आर्कटिक भूमध्य रेखा की तुलना में ठंडा रहता है क्योंकि सूर्य से अधिक गर्मी बर्फ से परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में आ जाती है।
- विश्व भर के ग्लेशियरों में जमा बर्फ कई सौ से लेकर कई हजार साल पुरानी हैं एवं समय के साथ जलवायु कैसे बदली है इसका वैज्ञानिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराती हैं।
- आज, पृथ्वी पर लगभग 10% भूमि क्षेत्र हिमनदों से ढका हुआ है। लगभग 90% अंटार्कटिका में है, जबकि शेष 10% ग्रीनलैंड आइस कैप में है।
- अंटार्कटिका एवं ग्रीनलैंड में तेजी से हिमनदों का पिघलना भी समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में बहुत ही ठंडा हिमनद पिघलकर गर्म पानी सागर में प्रवेश करता है, जो समुद्री धाराओं को धीमा कर रहा है। जैसे–जैसे बर्फ पिघलती है, समुद्र का स्तर बढ़ता है।

समुद्री बर्फ एवं ग्लेशियरों के बीच अंतर क्या है?

- समुद्री बर्फ समुद्र में बनती है जबकि ग्लेशियर भूमि पर बनते हैं। हिमखंड हिमनद बर्फ के वे टुकड़े हैं जो ग्लेशियरों को तोड़कर समुद्र में गिरते हैं।
- जब ग्लेशियर पिघलते हैं, तो पानी जमीन पर इकट्ठा हो जाता है, उसके समुद्र की ओर अपवाह से समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वैश्विक समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है।

ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं?

- मानवीय गतिविधियाँ इस घटना के मूल में हैं।
- चूंकि औद्योगिक क्रांति, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ने ध्रुवों में तापमान बढ़ा दिया है, एवं इसके परिणामस्वरूप, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र स्तर बढ़ रहे हैं एवं भूमि कम हो रही हैं।

समुद्र तल पर ग्लेशियरों के पिघलने के प्रभाव क्या हैं?

- पिघलते ग्लेशियर बढ़ते समुद्र के स्तर का कारण, जिससे तटीय क्षरण बढ़ता है एवं तूफानों के आने की प्राकिता बढ़ती है क्योंकि गर्म हवा एवं समुद्र का तापमान हरिकेन एवं टाइफून जैसे अधिक तीव्र तटीय तूफान पैदा करते हैं।
- विशेष रूप से, ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिक बर्फ की चादरें वैश्विक समुद्र के स्तर में वृद्धि का सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैं। अब, ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर 2003 की तुलना में चार गुना तेजी से गायब हो रही है एवं पहले से ही समुद्र के मौजूदा स्तर में 20% का योगदान दे चुकी है।

आरटी– पीसीआर परीक्षण

समाचार –

- सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आवागमन की सुविधा के लिए हवाई–अड्डों के प्रवेश स्थानों पर पायलट स्तर पर RT-PCR परीक्षण की अनुमति दी है।
- निर्देशों के अनुसार, हवाई अड्डा संचालक को सेम्पल कलेक्शन सह वेटिंग लाऊँज सुविधा तैयार रखने के लिए कहा गया है।
- परीक्षण के परिणाम आने तक यात्रियों के पासपोर्ट सेम्पल कलेक्शन सह वेटिंग लाऊँज में अधिकारियों द्वारा रख लिए जाएंगे।

रियल टाईम पोलीमरेज चेन रिएक्शन (आरटी–पीसीआर) परीक्षण

- RT-PCR कोविड–19 के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला परीक्षण है। यह मुख्य रूप से पीसीआर पर आधारित है, एक प्रक्रिया जो यह सुनिश्चित करती है कि विश्लेषण के संचालन के लिए नमूने पर्याप्त हो, बार–बार वायरस के विशिष्ट आनुवंशिक टुकड़ों को कॉपी एवं प्रवर्धित करती है।
- आरटी–पीसीआर परीक्षण एक व्यक्ति के गले या नाक के अंदर से ली गई एक साधारण स्वाब से शुरू होता है। कोरोनावायरस में उनके आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। हालांकि, रोगियों से स्वाब केवल आरएनए की एक छोटी मात्रा प्राप्त करते हैं, जो परीक्षण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त नहीं है।
- इस समस्या को दूर करने के लिए, आरएनए – एक स्ट्रैंड अणु – एक एंजाइम का उपयोग करके दो–स्ट्रैंड डीएनए में परिवर्तित हो जाता है। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है।
- शोधकर्ता जीनोम में विशिष्ट क्षेत्रों का चयन करते हैं जो वायरस विकसित होने पर तेजी से उत्परिवर्तन नहीं करते हैं, एवं पीसीआर प्रक्रिया का उपयोग करके इनमें से प्रतियां बनाते हैं।

- अगला चरण प्राइमरों का उपयोग है। ये डीएनए के छोटे टुकड़े हैं जिन्हें केवल SARS-CoV-2 के वायरल जीनोम के चयनित डीएनए अनुक्रम से बाँधने के लिए डिजाइन किया गया है। प्राइमरों के साथ, प्रक्रिया एक फ्लोरोसेंट डाई का उपयोग करती है, जो जांच के रूप में कार्य करती है।
- मरीज का नमूना, प्राइमर एवं जांच एक साथ होने वाली बाइंडिंग प्रक्रिया के लिए पीसीआर मशीन में छोड़ दी जाती है। एक फ्लोरोसेंट सिग्नल वायरस की उपस्थिति को चिह्नित करता है।
- परीक्षण प्रक्रिया के लिए समय अवधि लगभग चार से आठ घंटे है।

अतिरिक्त जानकारी

प्रतिजन परीक्षण

- भारत में कोविद –19 निदान के लिए अनुमोदित किए गए नए प्रतिजन परीक्षण 30 मिनट में परिणाम देते हैं।
- ये परीक्षण वायरस में एक विशिष्ट प्रोटीन का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। कोविड–19 के मामले में, यह कोरोनवायरस की सतह पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन है जो मानव कोशिका में इसके प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है।
- इस परीक्षण के लिए, पेशेवर नाक से स्वाब एकत्र करते हैं, जिसे एक मिश्रण में डूबाया जाता है जो अततः वायरस को निष्क्रिय कर देता है।
- इस घोल की कुछ बूंदों को फिर एक परीक्षण पट्टी पर रखा जाता है। यह परीक्षण घोल में स्वैब के विसर्जन के एक घंटे के भीतर किया जाना होता है।
- परीक्षण स्ट्रिप्स में कोरोनोवायरस प्रोटीन को बांधने के लिए डिजाइन किए गए कृत्रिम एंटीबॉडी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोरोनोवायरस से संक्रमित है, तो परीक्षण लाइनें 15 मिनट के भीतर पेपर स्ट्रिप्स पर दिखाई देंगी।
- चूंकि प्रतिजन परीक्षण में किसी भी प्रवर्धन प्रक्रिया को शामिल नहीं किया जाता है, स्वैब के नमूनों में पता लगाने योग्य पर्याप्त प्रतिजन सामग्री की कमी हो सकती है। इससे गलत नकारात्मक परीक्षण हो सकते हैं।
- इस कारण से, यदि कोई व्यक्ति प्रतिजन परीक्षण के माध्यम से नकारात्मक परीक्षण करता है, तो उन्हें अभी भी पुष्टि के लिए आरटी–पीसीआर परीक्षण करवाना होगा। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक परीक्षण करता है, एक पुष्टिकरण आरटी–पीसीआर की आवश्यकता नहीं है।
- इस परीक्षण का उपयोग करने का लाभ यह है कि यह कोविड–19 रोगियों की पहचान करने के लिए सिर्फ RT–PCR परीक्षणों पर निर्भर होने के बोझ को कम करता है।
- एंटीजन परीक्षण उपयोगी है क्योंकि भले ही यह कम संवेदनशील है, लेकिन ये तेजी से होते है एवं जो परिणाम सकारात्मक हैं वे सकारात्मक ही होंगे। तो, सकारात्मक पाए गए मरीजों को जल्दी से संगरोध में किया जा सकता हैं।

बहु–आयामी गरीबी सूचकांक 2020

समाचार –

- यूनिसेफ एवं बाल अधिकार संगठन सेव द चिल्ड्रन द्वारा किए गए एक नए विश्लेषण के अनुसार, यह पता चलता है कि कोविड–19 महामारी की शुरुआत के बाद से बहु–आयामी गरीबी – शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, स्वच्छता, या पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले बच्चों संख्या – 15 प्रतिशत से बढ़ गई है।
- विश्व स्तर पर 150 मिलियन अतिरिक्त बच्चों को कोविड–19 महामारी के बाद से गरीबी में डाल दिया है।
- कोविड–19 महामारी के कारण बहु–आयामी गरीबी में रहने वाले बच्चों की संख्या लगभग 1.2 बिलियन हो गई है।

विवरण –

- बहुआयामी गरीबी विश्लेषण 70 से अधिक देशों के शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, स्वच्छता एवं पानी तक पहुंच पर आँकड़ों का उपयोग करता है।
- महामारी से पहले विश्लेषण किए गए देशों में लगभग 45 प्रतिशत बच्चे कम से कम इन गंभीर जरूरतों से वंचित थे।
- यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में स्थिति ओर खराब होगी।
- विश्लेषण के अनुसार, यूनिसेफ ने कहा कि सबसे गरीब बच्चे और अधिक गरीब हो रहे हैं।
- महामारी से पहले, प्रति बच्चे गंभीर अभावों की औसत संख्या लगभग 0.7 थी एवं अब यह 15 प्रतिशत बढ़कर लगभग 0.85 हो गई है।
- कोविड–19 एवं इसके प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन उपायों ने लाखों बच्चों को गरीबी में धकेल दिया है।
- यूनिसेफ ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा, समावेशी राजकोषीय नीतियां, सामाजिक सेवाओं में निवेश एवं परिवारों को समर्थन देने के लिए रोजगार एवं श्रम बाजार में हस्तक्षेप बच्चों को गरीबी से बाहर निकालने एवं आगे की तबाही को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- इसमें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का विस्तार करना एवं बच्चों को दूरस्थ रूप से शिक्षा जारी रखने के लिए आवश्यक उपकरण एवं तकनीक प्रदान करना तथा सशुल्क छुट्टी एवं बच्चे की देखभाल जैसी परिवार के अनुकूल नीतियों में निवेश करना शामिल है।
- जो बच्चे शिक्षा से बाहर हो जाते हैं, उनसे बाल श्रम करवाने या जल्दी विवाह कर देने से आने वाले वर्षों में उनके गरीबी के चक्र में फंसने की संभावना होती है।

आगे की राह –

- अतिरिक्त बच्चों को स्कूल, चिकित्सा, भोजन, पानी एवं आश्रय जैसे बुनियादी जीवन की जरूरतों से वंचित होने से बचाने के लिए राष्ट्रों को अब कार्य करना चाहिए।
- सरकारों को नकदी हस्तांतरण एवं बाल लाभ, दूरस्थ शिक्षा के अवसर, स्वास्थ्य सेवा एवं स्कूल फीडिंग सहित सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के तेजी से विस्तार के माध्यम से सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले बच्चों एवं उनके परिवारों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- अब इन महत्वपूर्ण निवेशों को करने से देशों को भविष्य के लिए तैयार करने में मदद मिल सकती है।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ)

- यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय एवं विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
- यूनिसेफ की गतिविधियों में टीकाकरण एवं रोग की रोकथाम, एचआईवी पीड़ित बच्चों एवं माताओं के लिए उपचार, बचपन एवं मातृत्व पोषण को बढ़ाने, स्वच्छता में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आपदाओं के जवाब में आपातकालीन राहत प्रदान करना शामिल है।
- यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (ICEF) का उत्तराधिकारी है, जिसे 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों एवं माताओं को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा बनाया गया था।
- यूनिसेफ पूर्णतः सरकारों एवं निजी दाताओं के योगदान पर निर्भर करता है।

सौर चक्र 25

समाचार –

- नासा एवं नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) के वैज्ञानिकों ने सौर चक्र 25 नामक नए सौर चक्र जो उन्हें विश्वास है कि शुरू हो गया है, के बारे में भविष्यवाणियों की घोषणा की।

सौर चक्र

- चुँकि सूर्य की सतह एक अत्यंत गतिशील, विद्युत चार्ज से भरी गैसें इसकी सतह पर शक्तिशाली चुंबकीय बल उत्पन्न करती है जिन्हें चुबंकीय क्षेत्र कहा जाता है।
- चुँकि सूर्य की सतह पर गैसे तेजी से घुम रही होती हैं ये चुबंकीय क्षेत्र तनते, घुमतें एवं उलझते हैं, जिन्हें सौर गतिविधि कहा जाता है।
- सौर गतिविधि, सौर चक्र के अनुसार बदलती है तथा सौर चक्रों का पृथ्वी पर जीवन एवं प्रौद्योगिकी के साथ–साथ अंतरिक्ष यात्रियों के लिए निहितार्थ है।

वैज्ञानिक सौर गतिविधि को कैसे ट्रैक करते हैं?

- वैज्ञानिक सूर्य के धब्बों – जो सूर्य पर अंधेरे धब्बे हैं तथा सौर गतिविधि से जुड़े हैं, का अध्ययन करके सौर चक्र को ट्रैक करते हैं।
- सूर्य के धब्बे, सौर विस्फोटों जैसे विशाल विस्फोटों की उत्पत्ति के रूप में जुड़े हुए हैं जो अंतरिक्ष में प्रकाश, ऊर्जा एवं सौर सामग्री को फैला सकते हैं।

सूर्य के धब्बे (सनस्पॉट) क्या हैं?

- सूर्य के धब्बे, सूर्य पर एक क्षेत्र है जो सतह पर अंधेरा दिखाई देता है एवं आसपास के हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत ठंडा है।
- ये धब्बे, लगभग 50,000 किमी व्यास के बड़े, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के दृश्य मार्कर हैं, जो एक कंबल बनाते हैं जो सौर प्रणाली को हानिकारक ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाता है।
- जब एक सनस्पॉट व्यास में 50,000 किमी तक पहुंचता है, तो यह बड़ी मात्रा में ऊर्जा जारी कर सकता है जिससे सौर तेजाग्नि (सोलर फ्लेयर्स) निकल सकती है।
- सौर चक्र की शुरुआत में आमतौर पर केवल कुछ सनस्पॉट होते है इसलिए इसे सौर न्यूनतम कहा जाता है।
- विशेषज्ञों ने घोषणा की कि सौर चक्र 25 के लिए सौर न्यूनतम दिसंबर 2019 में हुआ।
- वैज्ञानिकों ने एक अनुसार सौर अधिकतम जुलाई 2025 तक होगा एवं यह पिछले सौर चक्र की तरह मजबूत होगा, जो कि 'औसत से नीचे' था, लेकिन बिना जोखिम का नहीं।

वैज्ञानिक सौर गतिविधि को क्यों ट्रैक करते हैं?

- वैज्ञानिक सौर गतिविधि को ट्रैक करते हैं क्योंकि इसका पृथ्वी पर प्रभाव हो सकता है।
- उदाहरण के लिए, जब कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) से आवेशित कण पृथ्वी के पास के क्षेत्रों में पहुँचते हैं, तो वे आकाश में तीव्र बिजली को ट्रिगर कर सकते हैं जिसे ऑरोरास कहा जाता है।
- जब सीएमई विशेष रूप से मजबूत होते हैं, तो वे बिजली ग्रिड में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे बिजली की कमी हो सकती है।
- (सोलर फ्लेयर्स) का रेडियो संचार, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) कनेक्टिविटी, पावर ग्रिड एवं उपग्रहों पर बड़ा असर पड़ सकता है।

आगे की राह –

- वैज्ञानिकों ने एक नया मॉडल विकसित किया है जो नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी की मदद से नौ सौर तेजाग्नियों के सेट में से सात का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकता है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणन

समाचार –

- हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (HOCL), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत एक PSU को अपने सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स – BIS प्रमाणन प्रदान किया गया है।

विवरण –

- एचओसीएल रसायन के निर्माण में अग्रणी रहा है।
- कंपनी मेक इन इंडिया पहल का समर्थन एवं कार्यान्वयन कर रही है।
- कंपनी के सभी उत्पादों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, खासकर फार्मास्युटिकल उद्योग में।

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड –

- HOCL भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है जो मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है।
- यह मूल रसायनों के निर्माण को स्वदेशी बनाने एवं महत्वपूर्ण जैविक रसायनों के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए 1960 में स्थापित किया गया था।
- एचओसीएल एक आईएसओ 9001 एवं आईएसओ 14001 प्रमाणित संगठन भी है।
- HOCL, रासायनिक उद्योग में एक नेता केरल में कोच्चि में विनिर्माण इकाई है।
- इसके उत्पादों में फिनोल, एसीटोन, नाइट्रोबेंजीन, अनिलीन, नाइट्रोटोलुएंस, क्लोरोबेनजेन एवं नाइट्रोक्लोरोबेनजेन हैं।
- बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स में पेस्टीसाइड्स, ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स, डाइस एंड डाइस्टफ्स, प्लास्टिक, रेजिन एंड लैमिनेट्स, रबर केमिकल्स, पेंट्स, टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज एंड एक्सप्लोसिव्स शामिल हैं।

BIS प्रमाणन –

- BIS का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जिसे BIS अधिनियम 2016 के तहत स्थापित किया गया है –
- मानकीकरण की गतिविधियों का सामंजस्यपूर्ण विकास
- वस्तुओं का अंकन एवं गुणवत्ता प्रमाणन एवं उनसे जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए।

बीआईएस राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कई तरह से लाभ प्रदान कर रहा है –

- सुरक्षित विश्वसनीय गुणवत्ता के सामान उपलब्ध कराना
- उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करना
- निर्यात एवं आयात को बढ़ावा देना
- मानकीकरण, प्रमाणीकरण एवं परीक्षण के माध्यम से किस्मों आदि के प्रसार पर नियंत्रण।

BIS विभिन्न गतिविधियों में शामिल है जैसे –

- मानक निर्माण उत्पाद प्रमाणन योजना
- अनिवार्य पंजीकरण योजना
- विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना
- हॉल मार्किंग योजना
- प्रयोगशाला सेवाएं
- प्रयोगशाला मान्यता योजना
- भारतीय मानकों की बिक्री
- उपभोक्ता मामले की गतिविधियाँ
- प्रचार गतिविधियां
- प्रशिक्षण सेवाएँ, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर
- जानकारी सेवाएँ

बीआईएस प्रमाणन योजनाओं के प्रकार –

- घरेलू निर्माताओं के लिए सामान्य प्रक्रिया
- घरेलू निर्माताओं के लिए सरलीकृत प्रक्रिया
- तत्काल योजना
- ईसीओ मार्क योजना
- विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना

BIS उत्पाद प्रमाणन योजना दुनिया में सबसे बड़ी है। बीआईएस प्रमाणन लाइसेंसधारियों को उनके उत्पाद पर लोकप्रिय आईएसआई चिह्न का उपयोग करने की अनुमति देता है, जो गुणवत्ता वाले उत्पादों का पर्याय है।

फेलुदा

समाचार –

- ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने हाल ही में फेलुदा नामक जीन–आधारित कोविड–19 परीक्षण को मंजूरी दी है।
- परीक्षण स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था एवं कोविड–19 वायरस का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक CRISPR जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग करता है।
- FELUDA FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे का संक्षिप्त नाम है। यह 30 मिनट से कम समय में कोविड–19 का पता लगाने के लिए एक सटीक एवं लोकोस्ट पेपर–आधारित टेस्ट स्ट्रिप है।
- फेलूदा, वायरस का सफलतापूर्वक पता लगाने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित Cas9 प्रोटीन को तैनात करने वाला दुनिया का पहला नैदानिक परीक्षण है।

नया फेलूदा कोविद–19 परीक्षण क्या है?

- यह SARS-COV2, जो वायरस कोविड–19 का कारण बनता है, की आनुवंशिक सामग्री को पहचानने एवं लक्षित करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित CRISPR (क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर्सेस्ड शॉर्ट पालिंड्रोमिक रिपीट) जीन–एडिटिंग तकनीक का उपयोग करता है।
- परीक्षण आरटी–पीसीआर परीक्षणों के सटीकता स्तरों से मेल खाता है, इसमें जल्दी बदलाव का समय है एवं इसके लिए कम महंगे उपकरण की आवश्यकता होती है।
- CSIR-IGIB (इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी) FELUDA द्वारा संचालित टाटा CRISPR टेस्ट में 96 प्रतिशत संवेदनशीलता एवं उपन्यास कोरोनरी वायरस का पता लगाने के लिए 98 प्रतिशत विशिष्टता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बेंचमार्क मिले हैं।

CRISPR तकनीक क्या है?

- क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर्सेप्ड शॉर्ट पालिंड्रोमिक रिपीट (CRISPR) एक जीन एडिटिंग तकनीक है एवं इसका उपयोग आनुवांशिक दोषों को ठीक करने एवं रोगों के प्रसार को रोकने एवं उपचार करने में होता है।
- CRISPR तकनीक एक जीन के भीतर डीएनए के विशिष्ट अनुक्रमों का पता लगा सकती है एवं इसे नष्ट करने के लिए आणविक कैंची के रूप में कार्य करने वाले एंजाइम का उपयोग करती है।
- यह शोधकर्ताओं को डीएनए अनुक्रमों को आसानी से बदलने एवं जीन फंक्शन को संशोधित करने की भी अनुमति देता है।

फेलुदा कोविड–19 परीक्षण कैसे काम करता है?

- फेलुदा परीक्षण एक गर्भावस्था परीक्षण पट्टी के समान है जो वायरस का पता लगाने पर सिर्फ रंग बदल देगा एवं एक साधारण पैथोलॉजिकल लैब में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- Cas9 प्रोटीन को रोगी की आनुवंशिक सामग्री में SARS-CoV2 अनुक्रम के साथ बातचीत करने के लिए बारकोड किया गया है।
- Cas9-SARS-CoV2 कॉम्प्लेक्स को फिर पेपर स्ट्रिप पर रखा जाता है, जहां दो लाइनों (एक नियंत्रण, एक परीक्षण) का उपयोग करके यह निर्धारित करना संभव हो जाता है कि परीक्षण नमूना कोविड–19 से संक्रमित था या नहीं।

FinCEN

समाचार –

- 2010 एवं 2017 के बीच, कई लेन–देन भारतीय बैंकों के माध्यम से किए गए थे, जिन्हें अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) द्वारा संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ड्रग डीलिंग एवं वित्तीय अपराध के लिए शीर्ष–गुप्त 'संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट' या SAR के रूप में चिह्नित किया गया था।
- इस तरह के लेनदेन FinCEN सूची में शीर्ष अमेरिकी प्राधिकरण द्वारा ध्वजांकित $2 ट्रिलियन संदिग्ध हस्तांतरण का हिस्सा थे।
- इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिज्म (ICIJ) इन वैश्विक लेनदेन का पता लगाता है।

SAR या संदेहास्पद गतिविधि रिपोर्ट –

- एसएआर एक दस्तावेज है जो बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा अमेरिका अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए दायर किया जाता है।
- ये गोपनीय हैं, कि बैंक या खाताधारक का अपने अस्तित्व की पुष्टि करना आवश्यक नही है/है।

- एसएआर को एक निर्धारित प्रारूप में FinCEN के साथ दायर किया जाता है, एवं लेनदेन की घटना के 30 दिनों के भीतर रेड फ्लेग किया जाना होता है – आपराधिक या काले धन का कोई भी रूप, इनसाइडर ट्रेडिंग, संभावित धन शोधन, आतंकी वित्तपोषण, कोई भी लेन–देन जो संदेह पैदा करता है।
- FinCEN एफएआर, यूएस इमिग्रेशन एवं सीमा शुल्क सहित कानून–प्रवर्तन अधिकारियों के साथ एसएआरएस साझा करता है।

SAR कौन दर्ज कर सकता है?

- बैंक, मुद्रा विनिमय, प्रतिभूति दलाल, केसिनो।
- SAR दर्ज करने के लिए क्रेडिट कार्ड सिस्टम की आवश्यकता नहीं है।

एफआईयू–आईएनडी

- फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट–इंडिया (FIU–IND) अमेरिका में FinCEN के समान कार्य करता है।
- इसे 2004 में वित्त मंत्रालय के तहत संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, विश्लेषण एवं प्रसार के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।
- एजेंसी नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) एवं संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) प्राप्त करने के लिए अधिकृत है।
- एजेंसी हर महीने निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकती है।
- भारत में बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वे 10 लाख रुपये से अधिक के सभी लेन–देन पर एफआईयू को मासिक सीटीआर या विदेशी मुद्रा में इसके समकक्ष या एकीकृत रूप से जुड़े लेन–देन की एक श्रृंखला प्रदान करें, जो 10 लाख रुपये से अधिक या विदेशी में इसके बराबर हो।
- एफआईयू द्वारा एसटीआर एवं सीटीआर का विश्लेषण किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी एवं आतंक के वित्तपोषण के संभावित मामलों की जांच के उद्देश्य से किसी भी संदिग्ध या संदिग्ध लेनदेन को प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं आयकर के साथ साझा किया जाता है।
- FIU की 2017–2018 की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि इसने 14 लाख एसटीआर प्राप्त किये था, जो पिछले साल दर्ज किए गए एसटीआर की संख्या का तीन गुना था।
- अब तक, ICJI ने इन भारतीय बैंकों को संदिग्ध लेनदेन में नामित किया है – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करूर वैश्य बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (इंडिया ऑपरेशंस), बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, ड्यूश बैंक (इंडिया ऑपरेशंस), यूको बैंक, कर्नाटक बैंक, आरबीएस, आंध्रा बैंक एवं विजया बैंक।

आगे की राह

- एसएआर ने भारतीय संस्थाओं एवं व्यक्तियों के कई मामलों में कथित अनियमितताओं के अपने वित्तीय इतिहास का उल्लेख किया है।
- भारत में एजेंसियों के लिए स्पष्ट संदेश यह है कि वित्तीय धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के उनके मामलों को FinCEN द्वारा हरी झंडी दिखाई जा रही है।
- मनी लॉन्ड्रिंग के प्रयासों को ट्रैक करने एवं इसे कम करने के लिए वित्तीय नियामकों के बीच नियमित रूप से सूचना का आदान–प्रदान करने की आवश्यकता है।

अतिरिक्त जानकारी

वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क –

- FinCEN की स्थापना 25 अप्रैल, 1990 को हुई थी।
- फिनकेन संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग का एक ब्यूरो है जो घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण, एवं अन्य वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी एकत्र करता है एवं उसका विश्लेषण करता है।

इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव पत्रकारों

- ICIJ 70 से अधिक देशों में खोजी पत्रकारों एवं मीडिया संगठनों का एक स्वतंत्र, वाशिंगटन, डी.सी.–आधारित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है।
- इसे 1997 में सेंटर फॉर पब्लिक इंटीग्रिटी द्वारा लॉन्च किया गया था।
- ICIJ 'क्रॉसबॉर्ड अपराध, भ्रष्टाचार एवं सत्ता की जवाबदेही' जैसे मुद्दों पर काम कर रहा है।

2025 तक क्षय रोग (टीबी) का अंत

समाचार –

- स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि भारत ने 2025 तक तपेदिक को समाप्त करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी है, जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से पांच साल आगे है।

विवरण –

- भारत ने 2016 में लापता टीबी रोगियों की संख्या को 2019 में एक मिलियन से घटाकर 0.5 मिलियन से कम कर दिया है, इस वर्ष के दौरान 2.4 मिलियन मामलों को अधिसूचित किया गया है।
- टीबी एक प्रमुख वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या एवं दुनिया भर में प्रमुख संक्रामक जानलेवा बीमारी बनी हुई है।
- टीबी से संबंधित मौतों में 2010 की तुलना में 2018 में 82% की गिरावट आई है।
- भारत पहली पंक्ति टीबी के लिए निर्धारित खुराक संयोजनों (एफडीसी) के पैमाने, सक्रिय मामले की खोज, निवारक चिकित्सा के पैमाने सहित सभी सकारात्मक कदम उठा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी टीबी के सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ को कम करना है।
- सरकार ने पूरे देश में एक सभी मौखिक मल्टीड्रग प्रतिरोधी रेजिमेंट को रोल आउट करने की भी योजना बनाई है।
- अप्रैल 2018 में, सरकार ने टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए, निक्षय पोषण योजना, एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना शुरू की।
- सरकार ने राष्ट्रीय टीबी प्रसार सर्वेक्षण, टीबी के लिए कार्य–स्थान नीति, एक उच्च डेसीबल मीडिया अभियान एवं बहु–दवा प्रतिरोधी टीबी रोगियों के लिए सभी मौखिक आहार का भी शुभारंभ किया।
- टीबी मौत के शीर्ष 10 कारणों में से एक है एवं एक संक्रामक एजेंट के रूप में (एचआईवी/एड्स से ऊपर) मौतों का सबसे प्रमुख कारण है।
- दुनिया की लगभग एक–चौथाई आबादी में अव्यक्त टीबी है, जिसका अर्थ है कि लोग टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित हुए हैं, लेकिन बीमारी से बीमार (अभी तक) नहीं हैं एवं बीमारी को प्रसारित नहीं कर सकते हैं।

यक्ष्मा

- तपेदिक (टीबी) बैक्टीरिया (माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस) के कारण होता है जो अक्सर फेफड़ों को प्रभावित करते हैं।
- क्षय रोग (टीबी) इलाज योग्य एवं रोके जाने योग्य है।
- टीबी हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
- तपेदिक ज्यादातर वयस्कों को उनके सबसे उत्पादक वर्षों में प्रभावित करता है।
- जो लोग एचआईवी से संक्रमित हैं, उनमें सक्रिय टीबी विकसित होने की संभावना 19 गुना अधिक है।
- शराब का उपयोग विकार एवं तम्बाकू धूम्रपान से क्रमशः 3.3 एवं 1.6 के कारक टीबी रोग का खतरा बढ़ जाता है।
- सक्रिय टीबी का जोखिम अन्य स्थितियों से पीड़ित व्यक्तियों में भी अधिक होता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को खराब करते हैं।
- कुपोषण से पीड़ित लोगों में जोखिम 3 गुना अधिक हैं।
- सक्रिय फेफड़े के टीबी के सामान्य लक्षण कई बार बलगम एवं रक्त के साथ खांसी, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन में कमी, बुखार एवं रात को पसीना होता है।

टीबी का प्रभाव –

- 2018 में, दक्षिण–पूर्व एशियाई क्षेत्र में सबसे अधिक नए टीबी के मामले हुए, जिसमें 44% नए मामले थे, उसके बाद अफ्रीकी क्षेत्र में 24% नए मामले थे एवं पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 18% थे।
- 2018 में, 30 उच्च टीबी बोझ वाले देशों में 87% नए टीबी मामले सामने आए। भारत के चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एवं दक्षिण अफ्रीका – आठ देशों ने टीबी के नए मामलों में दो तिहाई हिस्सा लिया।

मल्टीड्रग–प्रतिरोधी टीबी

- मल्टीड्रग–प्रतिरोधी तपेदिक (एमडीआर–टीबी) टीबी का एक रूप है जो बैक्टीरिया के कारण होता है जो आइसोनियाजिड एवं रिफैम्पिसिन, 2 सबसे शक्तिशाली प्रथम–पंक्ति टीबी विरोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है।
- एमडीआर–टीबी दूसरी पंक्ति की दवाओं का उपयोग करके उपचार योग्य एवं इलाज योग्य है। हालांकि, दूसरी पंक्ति के उपचार के विकल्प सीमित हैं एवं दवाओं के साथ व्यापक कीमोथेरेपी (उपचार के 2 साल तक) की आवश्यकता होती है जो महंगी एवं विषाक्त हैं।
- कुछ मामलों में, अधिक गंभीर दवा प्रतिरोध विकसित हो सकता है। व्यापक रूप से दवा–प्रतिरोधी टीबी (एक्सडीआर–टीबी) एमडीआर–टीबी का एक और अधिक गंभीर रूप है जो बैक्टीरिया के कारण होता है जो सबसे प्रभावी दूसरी पंक्ति की एंटी–टीबी दवाओं के प्रतिरोधी हो जाते हैं, अक्सर रोगियों के पास कोई और उपचार के विकल्प नही होते हैं।

वैश्विक प्रतिबद्धताओं एवं डब्ल्यूएचओ की प्रतिक्रिया

- एसडीजी लक्ष्य 3.3 में 2030 तक टीबी की महामारी को समाप्त करना शामिल है।
- टीबी मामलों एवं मौतों में कमी के लिए एंड टीबी रणनीति मील के पत्थर (2020 एवं 2025 के लिए) एवं लक्ष्य (2030 एवं 2035 के लिए) को परिभाषित करती है।
- 2030 के लक्ष्य 2015 के स्तर की तुलना में टीबी से होने वाली मौतों की संख्या में 90% की कमी एवं टीबी की घटना दर में 80% की कमी (प्रति वर्ष 1000 की आबादी पर नए मामले) हैं।
- 2020 के लिए मील के पत्थर टीबी से होने वाली मौतों की संख्या में 35% की कमी एवं टीबी की घटना दर में 20% की कमी है।

संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में चार नए वैश्विक लक्ष्य शामिल थे –

- 5 वर्ष की अवधि 2018–20 में टीबी रोग के लिए 40 मिलियन लोगों का इलाज करें।
- 5 वर्ष की अवधि 2018–20 में एक अव्यक्त टीबी संक्रमण के लिए टीबी निवारक उपचार के साथ कम से कम 30 मिलियन लोगों तक पहुंचें।
- 2022 तक टीबी निदान, उपचार एवं देखभाल के लिए सार्वभौमिक पहुंच के लिए कम से कम US $ 13 बिलियन का सालाना उपयोग करना।
- टीबी अनुसंधान के लिए सालाना कम से कम 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाएं।

दुसरा सीरो सर्वेक्षण रिपोर्ट

समाचार –

- कोविड–19 वायरस को भारतीय आबादी के वास्तविक जोखिम का आकलन करने के लिए ICMR (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) द्वारा किए गए दूसरे सीरो सर्वेक्षण से पता चला है कि 10 वर्ष से ऊपर प्रत्येक 15 में से 1 अर्थात 6.6% से अधिक व्यक्ति अगस्त तक कोविड–19 के संपर्क में आए थे।
- शहरी स्लम एवं शहरी गैर–स्लम क्षेत्रों में SARSCoV–2 संक्रमण का प्रसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक था।
- 17 अगस्त से 22 सितंबर तक 29,082 लोगों ने सर्वेक्षण किया, 6.6 प्रतिशत अतीत में कोविड–19 से संपर्क में आए थे।
- मई की तुलना में अगस्त में केस अनुपात में कमी, संक्रमण, परीक्षण, पहचान में पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है।
- वयस्क आबादी के 7.1 प्रतिशत ने अतीत में कोविड–19 से संपर्क में आने के लक्षण दिखाए।
- आगामी त्यौहारों, सर्दियों के मौसम एवं सामूहिक सभा के मद्देनजर, राज्यों द्वारा आविष्कार संबंधी रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकता है।
- पहले सर्वेक्षण के दौरान कवर किए गए 21 राज्यों के 70 जिलों के 700 गांवों/वार्डों (शहरी में) में सर्वेक्षण किया गया था।
- चूंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अतिसंवेदनशील–रोकथाम थकान से बचने के लिए एवं 5T रणनीति (टेस्ट, ट्रेस, उपचार, प्रौद्योगिकी) का पालन किया जाना है।

सीरो सर्वे क्या है?

- किसी विशिष्ट संक्रामक रोगजनक के संक्रमण का पता लगाने के लिए निर्धारित अवधि में परिभाषित जनसंख्या से सीरम (या मौखिक तरल पदार्थ जैसे प्रॉक्सी) का संग्रह एवं परीक्षण।
- सर्वे का संचालन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एवं राष्ट्रीय रोग केंद्र द्वारा किया जाएगा।

- प्रमुख हितधारकों एवं राज्य के स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से नियंत्रण।

सीरो–परीक्षण क्यों?

- चुनिंदा जिलों में उच्च एवं निम्न–जोखिम वाले समूहों का अधिक केंद्रित जनसंख्या–आधारित सीरो–सर्वेक्षण नियमित परीक्षण के अतिरिक्त होगा।
- यह कदम न केवल सरकार एवं उसकी एजेंसियों को कोविड–19 रुझानों की निगरानी करने में मदद करेगा, बल्कि देश के किसी भी हिस्से में सामुदायिक प्रसारण के लिए भी जाँच करेगा।

इसका संचालन कैसे किया जाएगा?

- सीरो–सर्वेक्षण के लिए, जनसंख्या समूहों में निम्न के साथ–साथ उच्च जोखिम वाली आबादी भी शामिल होगी।
- कम जोखिम वाले समूह में आउट पेशेंट उपस्थित (गैर–आईएलआई रोगी) एवं गर्भवती महिलाएं शामिल होंगी, जबकि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का उच्च जोखिम वाली आबादी के बीच सर्वेक्षण किया जाएगा।

रक्षा अधिग्रहण परिषद

समाचार –

- रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक विभिन्न हथियारों एवं उपकरणों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।

विवरण –

- DAC ने बाय इंडियन (IDDM) श्रेणी के तहत, स्टेटिक एचएफ ट्रांस–रिसीवर सेट्स एवं स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन (SAAW) की खरीद को मंजूरी दे दी।
- एचएफ रेडियो सेट सेना एवं वायु सेना की क्षेत्र इकाइयों के लिए निर्बाध संचार को सक्षम करेगा।
- स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन नेवी एवं एयरफोर्स की शक्ति में वृद्धि करेगा।
- DAC ने SIG SAUER असॉल्ट राइफल्स की खरीद के लिए मंजूरी भी दी।

बाय इंडियन (IDDM) श्रेणी –

- 'बाय इंडियन (आईडीडीएम)' श्रेणी में भारतीय विक्रेता से मिलने वाले उत्पादों जिनमें निम्न दो में से एक शर्त का की उल्लेख हो–
  - (i) उत्पाद जो कुल अनुबंध मूल्य के आधार पर न्यूनतम 40% स्वदेशी सामग्री (आईसी) के साथ स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित एवं निर्मित किए गए हैं।
  - (ii) कुल अनुबंध मूल्य की लागत के आधार पर 60% स्वदेशी वस्तुओं वाले उत्पाद, जो शायद स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित नहीं किए गए हैं।
- समग्र स्वदेशी वस्तुओं के अलावा, स्वदेशी वस्तुओं के समान प्रतिशत की भी आवश्यकता निम्न में होगी –
  - (i) उपकरण की मूल लागत
  - (ii) विनिर्माताओं की अनुशंसित सूची की लागत (MRLS)
  - (iii) FET चरण सहित सभी चरणों में एक साथ लिए गए विशेष रखरखाव उपकरण (SMT) एवं विशेष परीक्षण उपकरण (STE) की लागत।

DRDO स्मार्ट एंटी–एयरफील्ड हथियार

- DRDO स्मार्ट एंटी–एयरफील्ड वेपन (SAAW) भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की सटीक–निर्देशित एंटी–एयरफील्ड हथियार है।
- इसे 100 किलोमीटर की रेंज तक उच्च परिशुद्धता के साथ जमीनी लक्ष्यों को उलझाने में सक्षम बनाया गया है।
- यह एक हल्का उच्च परिशुद्धता निर्देशित बम है, जिसे रनवे, बंकर, विमान हैंगर एवं अन्य प्रबलित संरचनाओं जैसे जमीनी लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी एंटी–एयरफील्ड हथियार है।
- SAAW परियोजना को 2013 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। हथियार का पहला सफल परीक्षण मई 2016 में किया गया था।

वर्तमान परिदृश्य –

- हमारे रक्षा बलों द्वारा आवश्यक अधिकांश सिस्टम अभी भी आयात किए जा रहे हैं।
- ध्यान अब निजी क्षेत्र में स्थानांतरित हो रहा है जिसे एक स्तर का खेल क्षेत्र प्रदान किया जा रहा है, हालाँकि, किसी भी सार्थक डिजाइन एवं विकास गतिविधि को करने के लिए उन्हें आकार लेने में समय लगेगा।
- परिस्थितियों में 'बाय इंडियन (आईडीडीएम)' समग्र राष्ट्रीय हित में एक अच्छा इरादा है जिसके सभी संबंधित हितधारकों द्वारा धैर्यपूर्वक पोषण करने की आवश्यकता है।

अतिरिक्त जानकारी

रक्षा अधिग्रहण परिषद

- रक्षा अधिग्रहण परिषद तीन सेवाओं (सेना, नौसेना एवं वायु सेना) एवं भारतीय तटरक्षक के लिए नई नीतियों एवं पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिए रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। रक्षा मंत्री परिषद का अध्यक्ष होते है।
- 2001 में, कारगिल युद्ध (1999) के बाद 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली सुधार' पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के बाद इसका गठन किया गया था।
- DAC दीर्घकालिक खरीद योजनाओं के आधार पर अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देश देने के लिए जिम्मेदार है।
- यह सभी अधिग्रहणों को भी करता है, जिसमें आयातित एवं स्वदेशी या विदेशी लाइसेंस दोनो के तहत हैं।

DAC के कार्यों में शामिल हैं –

(i) रक्षा बलों के लिए 15 वर्षीय दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना का सैद्धांतिक अनुमोदन।
(ii) अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति के समझौते।
(iii) संबंधित अधिग्रहण प्रस्तावों का 'बाय', 'बाय एंड मेक' एवं 'मेक' श्रेणीयों में वर्गीकरण
(iv) एकल विक्रेता निकासी से संबंधित मुद्दे,
(v) 300 करोड़ रुपये से ऊपर अधिग्रहण प्रस्तावों के संबंध में 'ऑफसेट' प्रावधानों के संबंध में निर्णय।
(vi) अधिग्रहण प्रस्तावों के ' बाय एंड मेक' श्रेणी के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बारे में निर्णय, तथा
(vii) फील्ड ट्रायल मूल्यांकन।

चंदन स्पाइक रोग (सैंडलवुड स्पाइक डिज़ीज–SSD)

समाचार –

- सैंडलवुड स्पाइक डिजीज (SSD) ने कर्नाटक एवं केरल में कई सुगंधित चंदन के पेड़ों को संक्रमित किया है।
- यह लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साईंस एवं टेक्नोलॉजी) द्वारा अध्ययन के आधार पर स्थापित किया गया था।

- वर्तमान में, इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए, बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित पेड़ को काटने एवं हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

विवरण

- एसएसडी फाइटोप्लाज्मा – पौधे के ऊतकों के जीवाणु परजीवी – जो कीट वैक्टर द्वारा प्रेषित होते हैं, के कारण होता है।
- यह बीमारी सबसे पहले 1899 में कोडागु में रिपोर्ट की गई थी।
- 1903 एवं 1916 के बीच कोडागु एवं मैसूरु क्षेत्र में एक मिलियन से अधिक चंदन के पेड़ इस बिमारी के कारण काट दिए गए थे।
- इंटरनेशनल युनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर ने 1998 में प्राकृतिक आवासों में विनाशकारी प्रभाव के कारण चंदन को 'वल्नरेबल' श्रेणी में वर्गीकृत किया था।
- वर्तमान में, चंदन की प्राकृतिक आबादी केरल के मरयूर में उपलब्ध है एवं कर्नाटक में रिजर्व फॉरेस्ट एवं आसपास के क्षेत्रों के कुछ पैच – ये दोनों स्थान अब एसएसडी से बहुत अधिक संक्रमित हैं।
- संक्रमण का वर्तमान तेजी से प्रसार काफी हद तक जंगलों में पैड़ों की कटाई पर प्रतिबंध के कारण है, जिससे वैक्टर को बीमारी को स्वस्थ पेड़ों तक फैलाने की अनुमति मिली है।

उठाए गए कदम –

- बीमारी का मुकाबला करने के लिए, IWST (इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी), पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज के साथ मिलकर तीन वर्ष के अध्ययन की शुरूआत करेगा जो केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अंर्तगत है।
- अध्ययन एसएसडी को संचारित करने वाले वैक्टरों की पहचान करने एवं कीट–प्रबंधन के गैर–रासायनिक तरीकों के अनुकूलन के अलावा वैकल्पिक संयंत्र मेजबान, उनके पारिस्थितिक एवं महामारी विज्ञान मानचित्रण की पहचान करने की कोशिश करेगा।

चिंताएँ –

- SSD देश में एक सदी से अधिक समय से चंदन के उत्पादन में गिरावट का एक प्रमुख कारण रहा है।
- लगभग 1 से 5% चंदन के पेड़ हर साल बीमारी के कारण खो जाते हैं, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर इसके प्रसार को रोकने के लिए उपाय नहीं किए गए तो यह पूरी प्राकृतिक आबादी का सफाया कर सकता है।

चंदन का महत्व –

- भारत इत्र एवं फार्मास्यूटिकल्स के लिए चंदन के तेल उत्पादन का पारंपरिक प्रमुख उत्पादनकर्ता रहा है।
- 1792 की शुरुआत में, टीपू सुल्तान ने इसे मैसूर का 'रॉयल ट्री' घोषित किया था।
- उत्पादन में कमी के कारण मुख्य रूप से 20% की दर से 1995 से भारतीय चंदन एवं उसके तेल की कीमत में काफी वृद्धि हुई है।

लाल सौंदर/लाल चंदन –

- दक्षिण भारत के दक्षिणी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है।
- यह पेड़ अपनी लकड़ी के समृद्ध लाल रंग के लिए मूल्यवान है। लकड़ी सुगंधित नहीं है।
- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) ने इसे रेड लिस्ट में पहले से लुप्तप्राय प्रजातियों से खतरे की श्रेणी में डाल दिया है।
- यह वन्य जीवों एवं वनस्पतियों (CITES) की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट II में सूचीबद्ध है।
- दक्षिण भारत में मूल रूप से उगने वाले सुगंधित संताल को भ्रमित हो चंदन के वृक्ष नहीं समझना चाहिए।
- लाल चंदन का उपयोग पुल बनाने के लिए किया गया है एवं जापानी वाद्ययंत्र शमीसेन की गर्दन एवं चीन में फर्नीचर में इसकी छिद्रपूर्ण उपस्थिति के लिए भी इस्तेमाल किया गया है।

लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

- IWST एक शोध संस्थान है जो कर्नाटक के बैंगलोर में स्थित है।
- यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) के तहत काम करता है।
- इसे चंदन अनुसंधान एवं लकड़ी विज्ञान के लिए उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है।

सामान्य अध्ययन- IV
नैतिकता, अखंडता एवं योग्यता

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नैतिक संहिता

समाचार –

- हाल ही में, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) से केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के प्रोग्राम कोड में अपना नैतिक कोड शामिल करने को कहा है।
- सभी समाचार चैनल, चाहे वे एनबीए सदस्य हों या नहीं, को तब प्रस्तावित संशोधन वाले कार्यक्रम कोड का पालन करना होगा।
- नैतिक संहिता दुर्भावनापूर्ण, पक्षपाती एवं प्रतिगामी सामग्री को प्रसारित करने के विरुद्ध है।
- एनबीए भारत में समाचार एवं वर्तमान मामलों के प्रसारकों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। यह पूरी तरह से अपने सदस्यों द्वारा वित्त पोषित एक संगठन है।

पृष्ठभूमि –

- सुदर्शन टीवी पर एक कार्यक्रम 'बिंदास बोल' के प्रसारण को रोकने के लिए एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मुस्लिम सेवाओं में मुस्लिम प्रविष्टियों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री थी।
- अदालत ने कहा कि सामग्री प्रथम दृष्टया 'स्पष्ट रूप से आहत' करने वाली थी। यह समुदाय की गरिमा के लिए अपमानजनक है।

एनबीए के सुझाव –

- समाचार ब्रॉडकास्टर्स सर्विसेज अथॉरिटी (NBSA) को शिकायतों को प्राप्त करने एवं उनसे निपटने के लिए "स्वतंत्र स्व–नियामक तंत्र" के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।
- एनबीएसए एनबीए द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है।
- एनबीएसए द्वारा पारित आदेशों को चैनलों पर बाध्यकारी एवं लागू किया जाना चाहिए।

कुरुक्षेत्र पत्रिका का सारांश (अक्टूबर 2020)

जल संरक्षण – पहल एवं भविष्य की रणनीतियाँ

- भारत में दुनिया की आबादी का 18% है एवं दुनिया के केवल 4% जल संसाधन हैं, जो तेजी से घट रहे हैं।
- 2025 में पानी की माँग वर्तमान के 40 बिलियन क्यूबिक मीटर (bcm) से बढ़कर 220 bcm तक बढ़ने की उम्मीद है।
- पानी फसलों के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण आदानों में से एक है। इसकी कमी एवं अधिकता दोनो पौधों की पैदावार एवं विकास, उपज की गुणवत्ता एवं विकास को प्रभावित करती है।
- इस तरह के नुकसान को कम करने एवं मिट्टी की नमी में सुधार करने के लिए कई तरीके हैं। ये मल्चिंग, क्रॉपिंग, पेड़ों की कटाई, कोहरे या ओस का उपयोग नेट–सरफेसिंग ट्रैप या पॉलिथीन शीट द्वारा किया जाता है, समोच्च खेती, नहरों के माध्यम से इंटर–लिंकिंग वॉटर सिस्टम द्वारा अधिशेष क्षेत्रों से घाटे वाले क्षेत्रों में पानी का स्थानांतरण, डिस्टिलेशन के रूप में डिसेलिनेशन तकनीकें, इलेक्ट्रो–डायलिसिस एवं रिवर्स ऑस्मोसिस, कुशल सिंचाई प्रणाली जैसे ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर का उपयोग पौधों के साथ पानी की खपत को कम करेगा।
- पानी एवं पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों का समाधान खोजने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम लोगों के दृष्टिकोण एवं आदतों को बदलना है, इसमें हममें से प्रत्येक शामिल है।
- असुरक्षित जल एवं स्वच्छता के कारण प्रति व्यक्ति रोग का बोझ भारत में चीन की तुलना में 40 गुना एवं 2016 में श्रीलंका की तुलना में 12 गुना अधिक था।
- पानी एवं स्वच्छता परियोजनाओं की योजना एवं कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार के पास है।
- केंद्र सरकार ने एक सलाहकार की भूमिका निभाते हुए, कई नीतियों एवं प्रोजेक्ट को विकसितएवं प्रबंधित करने तथा आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग के लिए मॉडल बिल तैयार किया है।
- इन हस्तक्षेपों ने देश में पानी एवं स्वच्छता के समग्र परिदृश्य में अभूतपूर्व परिवर्तन लाए हैं एवं साथ ही उन जरूरतों के बारे में एक रास्ता प्रदान करते हैं जिनका भविष्य में भारत को पानी को सुरक्षित एवं स्वच्छ देश बनाने के लिए पूरा करना है।
- भारत अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहां पानी की कमी एवं खराब स्वच्छता सुविधाएं आर्थिक विकास से बड़ी चुनौती हैं। प्रतिवर्ष 140 बीसीएम अपशिष्ट जल उत्पन्न करने वाले देश के साथ, अपशिष्ट जल का कुप्रबंधन जो भूजल को भी दूषित करता है, तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कमी, खराब स्वच्छता की स्थिति एवं खराब स्वच्छता की आदतों ने जल जनित बीमारियों से पीड़ित आबादी के एक बड़े हिस्से में योगदान दिया है।

सरकार की पहल

जल जीवन मिशन

- 15 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया।
- जेजेएम की दृष्टि 'ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार के लिए अग्रणी सस्ती सेवा वितरण शुल्कों पर नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता में पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की आपूर्ति है।'
- जल जीवन मिशन पानी के लिए एक सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है एवं इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक आईईसी शामिल होगा।

जल शक्ति अभियान

- 1 जुलाई 2019 को जल शाक्ति मंत्रालय द्वारा देश भर के 256 पानी वाले जिलों में लॉन्च किया गया।
- जल संरक्षण अभियान के एक हिस्से के तहत सभी हितधारकों को लाने के लिए यह अभियान एक जन आंदोलन है।
- 75 लाख से अधिक पारंपरिक एवं अन्य जल निकायों एवं टैंकों का नवीनीकरण किया गया एवं लगभग एक करोड़ जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाई गईं।
- नीति आयोग ने भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में, विभिन्न राज्यों के प्रयासों की तुलना करने के लिए एक तंत्र भी विकसित किया है।
- प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद की खोज में एवं जीवन के लिए पानी की महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने एक समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI) विकसित किया है। जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन एवं सुधार करने के लिए वार्षिक अभ्यास के रूप में CWMI एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

राज्य स्तरीय योजनाएँ/अधिनियम/पहल –

- महाराष्ट्र में जलयुक्त शिविर
- राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राज्य में स्थायी जल प्रबंधन के व्यापक लक्ष्य को लक्षित करता है।
- महाराष्ट्र सरकार ने ड्राफ्ट महाराष्ट्र जल संसाधन नियामक प्राधिकरण जल प्रवेश हस्तांतरण (WET) एवं अपशिष्ट जल पुर्नपयोग प्रमाण पत्र (WRC) प्लेटफॉर्म विनियम, 2019 को लॉन्च करके एक अभिनव कदम उठाया है। विनियमों का मुख्य उद्देश्य बड़े जल खपत वाले औद्योगिक एवं शहरी केंद्रों में जो निर्धारित पानी के पुर्नपयोग के लक्ष्य से परे हैं, अपशिष्ट जल रीसायकल एवं पुर्नपयोग को प्रोत्साहित करना है।

आगे की राह –

- देश में सतत विकास को प्राप्त करने के लिए, हमें उन समाधानों की तलाश करनी होगी, जिनके परिणामस्वरूप जल क्षेत्र में परिचालन के वर्तमान तरीके को पूर्णतः ठीक किया जा सकता है – सुझाए गए कुछ परिवर्तन निम्नानुसार हैं –
- पानी को आर्थिक विकास का हिस्सा बनाना।
- बड़े पैमाने पर जल बाजार का परिचय।
- जल निकायों में प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय के रूप में प्रदूषण कर।
- जल क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी का समर्थन करने के लिए नई रणनीतियाँ।

नमामि गंगे कार्यक्रम

- 'नमामि गंगे कार्यक्रम', एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण, संरक्षण एवं कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप प्रोग्राम 'के रूप में अनुमोदित किया गया है।
- नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं –
  – सीवरेज ट्रीटमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर
  – रिवर–फ्रंट डेवलपमेंट
  – रिवर–सरफेस क्लीनिंग
  – जैव–विविधता
  – वनीकरण
  – जन जागरूकता
  – औद्योगिक प्रयास निगरानी
  – गंगा ग्राम
- इसके कार्यान्वयन को एंट्री–लेवल एक्टिविटीज (तत्काल दृश्य प्रभाव के लिए), मिडियम टर्म एक्टिविटीज (5 साल की समय सीमा के भीतर लागू की जानी हैं) एवं लॉन्ग–टर्म एक्टिविटीज (10 साल के भीतर लागू की जानी हैं), में विभाजित किया गया है।

प्रदूषण उन्मूलन (निर्मल गंगा)

- प्रदूषण उन्मूलन के उपाय प्रदूषण के सभी स्रोतों जैसे कि नगरपालिका मल, औद्योगिक अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, ग्रामीण स्वच्छता, प्रदूषण के गैर–बिंदु स्रोत जैसे कृषि अपवाह, खुले में शौच, बिना जले हुए शव आदि से व्यापक रूप से निपटते हैं।

पारिस्थितिकी एवं प्रवाह (अविरल गंगा) –

- नदी के प्रवाह में भारी कमी से दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव के साथ एक विशाल पारिस्थितिक लागत होती है। एक नदी अच्छे प्रवाह के बिना एक नदी नहीं है। एनएमसीजी आपूर्ति के मिश्रण के साथ–साथ पानी के मांग प्रबंधन के माध्यम से प्रवाह एवं समग्र पारिस्थितिकी में सुधार पर काम कर रहा है।

  (ए) पारिस्थितिक प्रवाह – पहली बार अक्टूबर 2018 में गंगा नदी के लिए पारिस्थितिक प्रवाह को अधिसूचित किया गया था, जो नदी के स्वास्थ्य के लिए निहितार्थों तक पहुंचने के साथ औपचारिक रूप से अपने स्वयं के पानी पर नदी का अधिकार स्थापित करता है।

  यह नदी कायाकल्प अध्ययन का एक प्रमुख घटक बन गया है एवं यमुना, रामगंगा आदि जैसी अन्य नदियों के लिए अध्ययन जारी है।

  (बी) वेटलैंड संरक्षण – वेटलैंड निर्मलता, अविरलता के लिए एवं अर्थव्यवस्था, इकोटूरिज्म, भूजल पुनर्भरण एवं जैव विविधता का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मिशन उनके संरक्षण एवं बेसिन स्तर तक एकीकृत करने के लिए काम कर रहा है। शहरी आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए टूलकिट भी बाढ़ के मैदानों पर विशेष ध्यान देने के साथ विकसित किए जा रहे हैं।

  (सी) वनीकरण – पहली बार, मिशन को वन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित गंगा की पूरी लंबाई के साथ वनीकरण के लिए एक वैज्ञानिक योजना मिली एवं इसके कार्यान्वयन की शुरुआत हुई। प्राकृतिक, शहरी एवं कृषि नदियाँ इस योजना में शामिल हैं।

  (डी) जैव विविधता संरक्षण – गंगा की संपूर्ण लंबाई पर प्रजातियों एवं उनके आवासों के संरक्षण के उद्धेश्य से जैव विविधता हॉटस्पॉट का नक्शा बनाने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के साथ एक व्यापक परियोजना चल रही है। एनएमसीजी ने गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अभियान चलाया, जो राष्ट्रीय जलीय पशु परियोजना डॉल्फिन की घोषणा के लिए अग्रणी है। मत्स्य संसाधन एवं उनके संरक्षण के लिए एक व्यापक वैज्ञानिक कार्यक्रम केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CIFRI) के सहयोग से लिया गया है।

  (ई) सतत कृषि – एनएमसीजी जैविक खेती, इको कृषि एवं औषधीय वृक्षारोपण के माध्यम से इसे बढ़ावा देता है।

  सतत विकास के लिए राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में गंगा के साथ जैविक खेती गलियारे का प्रस्ताव किया गया है। यूपी के 10 जिलों में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया गया है। आयुष मंत्रालय एवं राष्ट्रीय औषधीय वृक्षारोपण बोर्ड गंगा के किनारे हर्बल कॉरिडोर के विकास का समर्थन कर रहा है। कृषि में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, जागरूकता अभियान के माध्यम से, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना, फसल के पैटर्न के लिए नीतिगत हस्तक्षेप आदि को बढ़ावा देना इसमें शामिल है।

  (एफ) लघु नदी कायाकल्प – मनरेगा के साथ अभिसरण के साथ जिला स्तर पर हस्तक्षेप के साथ छोटी नदियों की जीआईएस आधारित जिलेवार सूची बनाई जा रही है। छोटी नदियों का कायाकल्प अविरल एवं निर्मल गंगा की कुंजी है।

पीपल रिवर कनेक्ट (जन गंगा)

नदी कायाकल्प एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है। लोगों को नदी से जोड़ने की जरूरत है ताकि उन्हें इन प्रयासों में शामिल होने की जरूरत महसूस हो एवं वे अपने वैभव एवं स्वच्छता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हों। नमामि गंगे मिशन इसके लिए प्रमुख महत्व देता है एवं इसे लोगों का आंदोलन बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है।

(ए) घाट एवं श्मशान – वे गंगा नदी के साथ लोगों के संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एवं इसलिए सुविधाओं एवं स्वच्छता में सुधार करने का प्रयास किया जाता है। पटना एवं हरिद्वार में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के साथ 138 घाट एवं 38 श्मशान बनाए गए हैं, जो उन्हें महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान बनाते हैं।

(बी) जन भागदारी – समुदाय एवं हितधारक समूह विकसित किए गए हैं जैसे गंगा विचार मंच, गंगा प्रहरियां, NYK गंगा डोट्स, गंगा मित्र, पूर्व सैनिक, एनसीसी, एनएसएस आदि के साथ गंगा टास्क फोर्स आदि। वे लोगों को जोड़ने के लिए लगातार कई गतिविधियां करते हैं।

(सी) गंगा अमंत्रण अभियान – यह पिछले साल 35 दिन के राफ्टिंग अभियान इत्यादि साहसिक खेलों के माध्यम से लोगों को देवप्रयाग से गंगा सागर तक जोड़ने वाला सबसे बड़ा सामाजिक आउटरीच कार्यक्रम था। हरिद्वार से पटना तक एक समान सफल अभियान का नेतृत्व 2018 में पर्वतारोही बछेंद्री पाल ने किया था।

(डी) NMCG नियमित रूप से युवाओं एवं अन्य लोगों को जोड़ने के लिए कई गतिविधियों का आयोजन करती है जैसे कि ग्रेट गंगा रन', एक मैराथन जिसमें लगभग 20,000 लोग एवं नदी तटों पर नियमित स्वच्छ मैराथन में भाग लेते थे।

(ई) गंगा क्वेस्ट – तालाबंदी के दौरान, स्कूल / कॉलेज के छात्रों को जोड़ने के लिए गंगा पर एक अभिनव ऑनलाइन राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी ने 11.5 लाख प्रतिभागियों के साथ जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। गंगा उत्सव, गंगा बाल मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियाँ उपयुक्त रूप से लोगों के विभिन्न समूहों को जोड़ते हुए आयोजित की जाती हैं।

(एफ) स्वच्छ गंगा कोष लोगों एवं कॉरपोरेटों के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए दान करने एवं के लिए विशिष्ट परियोजनाओं को अपनाने की दिशा में एक अभिनव कदम है।

अनुसंधान, नीति एवं ज्ञान प्रबंधन (ज्ञान गंगा)

मिशन ने साक्ष्य–आधारित नीति निर्णयों को प्राथमिकता दी है एवं वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा समर्थित प्रामाणिक डेटा एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसकी शुरुआत आईआईटी के कंसोर्टियम द्वारा तैयार एक व्यापक बेसिन प्रबंधन योजना के साथ हुई, जिसके बाद आईआईटी, कानपुर में गंगा प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र (गंगा) की स्थापना की गई। कुछ पहलों को रेखांकित किया गया है।

(ए) **एलआईडीआरआर मैपिंग** – भारत के सर्वेक्षण के साथ एक लैंडमार्क परियोजना गंगा के दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर के लिए उच्च संकल्प डेम एवं जीआईएस तैयार डेटाबेस की पीढ़ी के लिए प्रगति कर रही है जो पहली बार जल निकासी, बाढ़ के मैदान आदि पर डेटा प्रदान करेगी। यह बेहतर परियोजना निर्माण, निगरानी, विनियमन एवं संरक्षण को सक्षम करेगा।

(बी) **माइक्रोबियल डाइवर्सिटी मैपिंग**– CSIR–NEERI के साथ साझेदारी में नमामि गंगे गंगा नदी की विशेष संपत्ति को समझने के लिए जल गुणवत्ता एवं तलछट विश्लेषण का अध्ययन कर रहा है एवं माइक्रोबियल विविधता पर मानव हस्तक्षेप का प्रभाव भी है।

(सी) INTACH के माध्यम से प्राकृतिक, निर्मित एवं अमूर्त विरासत के लिए गंगा की संपूर्ण लंबाई की सांस्कृतिक मानचित्रण, समृद्ध विरासत के संरक्षण एवं पर्यटन एवं पारंपरिक आजीविका के अवसरों के विकास की क्षमता है।

(डी) **जलवायु परिदृश्य मानचित्रण**– आईआईटी, दिल्ली के साथ साझेदारी, उच्च संकल्प दीर्घकालिक जलवायु परिदृश्यों को समझने एवं वैज्ञानिक रूप से बेहतर बनाने के लिए बेसिन–स्केल जल प्रबंधन के लिए भारत–गंगा के मैदान में जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए।

(ई) **स्प्रिंग कायाकल्प** – नमामी गंगे आईआईटी, रुड़की एवं सर्वे ऑफ इंडिया के साथ वसंत कायाकल्प परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहा है ताकि भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रभाव या प्राकृतिक या मानवजनित वर्षा परिवर्तनशीलता के प्रभाव का आकलन किया जा सके एवं उनके लिए स्प्रिंग्स के स्रोतों की मैपिंग की जा सके। नीति आयोग द्वारा इपके हिमालयन स्प्रिंग कायाकल्प के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम के लिए आधार होने की संभावना है।

(एफ) कौशांबी–कानपुर खंड में गंगा–यमुना दोआब के कुछ हिस्सों में पेलियो–चैनलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक्वीफायर मैपिंग के लिए CGWB एवं राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (NGRI) के साथ मिलकर एक परियोजना शुरू की गई है। गंगा नदी के प्रवाह कम होने के मौसम के दौरान गंगा नदी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए संभावित एक्वीफायर रिचार्ज की योजना बनाने में मदद करेगा।

(जी) नदी नगरों की योजना के नए प्रतिमान को शहरी नियोजन में नदी के स्वास्थ्य की मुख्यधारा में लाने एवं एकीकृत शहरी जल प्रबंधन (IUWM) के लिए राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ ढांचा विकसित करने की पहल की गई है। नवीन शहरी नदी प्रबंधन योजना (यूआरएमपी) ढांचा कानपुर के लिए एक खाके के रूप में विकसित की गई है।

(एच) नमामि गंगे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे कि भारत–यूरोपीय संघ जल साझेदारी एवं जर्मन के साथ सहयोग कर रहा है एवं रिवर बेसिन प्रबंधन के लिए तकनीक एवं ज्ञान हस्तांतरण, ई–फ्लो मूल्यांकन एवं उपचार के लिए नीति का पुर्नउपयोग कर रहा है।

(आई) अर्थ गंगा – नमामि गंगे अब गंगा बेसिन के आर्थिक विकास को पारिस्थितिक सुधार एवं गंगा कायाकल्प के साथ जोड़ने वाले आर्थ गंगा मॉडल के विकास की ओर अग्रसर है।

आगे की राह –

- लोगों की भागीदारी परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। सतत विकास तेजी से शहरी विकास एवं जल संसाधनों के सफल प्रबंधन पर निर्भर करता है। गंगा कायाकल्प सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।
- नमामि गंगे ने नदी के कायाकल्प के लिए एक रूपरेखा विकसित की है जिसका अब गंगा बेसिन से परे कई नदियों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

हर घर जल –

- हर घर जल (हर घर तक पानी) 2019 में भारत सरकार द्वारा 2024 तक हर ग्रामीण को नल का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई एक योजना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की।

पृष्ठभूमि –

- 2018 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) Aayog की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 'अपने इतिहास के सबसे खराब जल संकट' का सामना करना पड़ रहा है, जिससे 'लाखों लोगों को आजीविका' का खतरा है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग साठ करोड़ भारतीय "अत्यधिक पानी के तनाव का सामना करते हैं एवं हर साल लगभग दो लाख लोग सुरक्षित पानी की अपर्याप्त पहुंच के कारण मर जाते हैं"।
- इसके अनुसार संकट केवल बदतर होने वाला है एवं 2030 तक देश की पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दुगुनी होने का अनुमान है।
- इससे करोड़ों लोगों के लिए गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है एवं इसके बाद जीडीपी में 6 प्रतिशत की कमी हो सकती है।
- नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) 76 'राउंड, जुलाई–दिसंबर 2018, सूचित करता है कि भारत में हर पांच (21.4 प्रतिशत) घरों में से एक में पीने के पानी के कनेक्शन हैं।
- ग्रामीण भारत में, सिर्फ 11.3 प्रतिशत परिवारों को घरों में सीधे पीने योग्य पानी प्राप्त होता है, जबकि ग्रामीण इलाकों में लगभग 42.9 प्रतिशत घरों में क्षेत्रों के प्रमुख स्रोत के रूप में हैंडपंप है।
- शहरी भारत में, 40.9 प्रतिशत परिवारों के घरों में पानी का मुख्य स्रोत के रूप में पाइप्ड पानी आता है।

जल एवं सरकारी पहल

- सरकार ने 2019 में एक छत के नीचे जल संसाधनों एवं पानी की आपूर्ति से निपटने वाले विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों को एकीकृत करने के लिए एक नया मंत्रालय – जल शक्ति मंत्रालय बनाया है।

- नए बनाए गए मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य "सभी के लिए पीने योग्य पानी की उपलब्धता" को सुनिश्चित करना है।
- पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 को दिल्ली के लाल किले से जल जीवन मिशन–हर घर जल की घोषणा की।
- यह योजना 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घरों में पाइप किए गए पानी का वादा करती है एवं इसका उद्देश्य प्रति दिन 55 लीटर प्रति व्यक्ति पीने का पानी प्रदान करना है, जैसा कि नियमित रूप से, प्रत्येक घर में एक कार्यात्मक घरेलू नल के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।
- मिशन को केंद्र एवं राज्य सरकारों की साझेदारी में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य 2024 तक हर घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है।

मिशन की मुख्यविशेषताएं

(ए) ग्राम पंचायत एवं/या इसकी उपसमिति, अर्थात ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) / पाणि समिति या उपयोगकर्ता समूह को अपने स्वयं के जल आपूर्ति प्रणाली की योजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन एवं रखरखाव करने के लिए जोर बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के बजाय 'सेवा वितरण' पर है।

(बी) SHM/समुदाय–आधारित संगठन / NGO, जो JM बनाने वाले मिशन को लागू करने के लिए समुदाय की क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों के रूप में शामिल हैं, सही मायने में एक 'लोगों का आंदोलन' है।

(सी) प्राथमिकता पर जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पानी सुनिश्चित किया जाना। अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पानी की कमी वाले क्षेत्र, आकांक्षात्मक जिले, एससी/एसटी बहुसंख्यक गाँव/बस्तियाँ, संसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) एवं PVTG बस्तियाँ हैं।

(डी) ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति प्रणालियों के दीर्घकालिक रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए राजमिस्त्री, प्लंबर, बिजली, फिटर आदि के रूप में कुशल होना चाहिए।

(ई) समुदाय के बीच स्वामित्व की भावना को स्थापित करने के लिए, समुदायों को पहाड़ी एवं वनाच्छादित क्षेत्रों/पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के गांवों पचास प्रतिशत से अधिक अजा एवं/या अजजा आबादी वाले गाँव में पूंजीगत लागत का पांच प्रतिशत योगदान नकद, अन्य क्षेत्रों के लिए, सामुदायिक योगदान पूंजीगत लागत का दस प्रतिशत है।

(एफ) योजना /ओ एंड एम के सफल प्रदर्शन के बाद जीपी / वीडब्ल्यूएससी / पैनी समितियों को प्रदर्शन प्रोत्साहन के रूप में–इन–विलेज बुनियादी ढांचे की लागत का दस प्रतिशत प्रदान किया जाता है।

(जी) पानी की आपूर्ति की गुणवत्ता की निगरानी एवं जनता के लिए खोलने के लिए राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की सुदृढ़ीकरण एवं स्थापना।

(ज) सरल रेडी–टू–यूज टेस्ट किट का उपयोग करके पानी की आपूर्ति की गुणवत्ता की जांच करने के लिए प्रत्येक गाँव में पाँच व्यक्ति, अधिमानतः महिलाएँ।

(प) सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का उपयोग सभी वित्तीय लेनदेन के लिए किया जाता है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ–साथ धन की ट्रैकिंग भी हो सके।

(र) जल शक्ति मंत्रालय ने भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (IMIS) की स्थापना की है एवं इसे डैश बोर्ड के साथ जोड़ा गया है।

(ा) राष्ट्रीय जल जीवन कोष (RJJK) को JJM के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोतों से योगदान/दान को जुटाने एवं स्वीकार करने के लिए स्थापित किया गया है।

ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी चिंताएँ

- ग्रामीण महिलाओं को भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है क्योंकि वे अपने घरों के साथ–साथ कृषि–खेतों एवं पशुधन के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- महिलाओं को, जिन्हें सुरक्षित स्वच्छता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, अक्सर घरों में स्वच्छता से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों से बची रहती हैं।
- महिलाओं को स्वच्छता, जो उनके स्वास्थ्य, गतिशीलता एवं स्वतंत्रता से समझौता करती है, के लिए खराब पहुंच के मामले में पुरुषों की तुलना में अधिक पीड़ित हैं।
- चूंकि खुले में शौच करने जाते हुए यौन उत्पीड़न या उत्पीड़न होने की संभावना होती है, मूत्र त्याग से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीने से संकोच करते हैं, जिससे वे मूत्र पथ के संक्रमण, गर्मी स्ट्रोक, गुर्दे के संक्रमण आदि जैसे विभिन्न रोगों से घिर जाती हैं। उनमें से कुछ भोजन कम ग्रहण करने से, उन्हें कुपोषण का खतरा होता है।
- मासिक धर्म स्वच्छता की कमी से श्रोणि सूजन संबंधी बीमारियां एवं प्रजनन पथ के संक्रमण प्रचलित हैं।
- भारतीय महिलाओं का स्वास्थ्य एवं कल्याण समाज में उनकी स्थिति से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है।
- महिलाओं की स्थिति से संबंधित अनुसंधान अध्ययनों ने बताया है कि परिवार के कल्याण के लिए भारतीय महिलाओं द्वारा किए गए योगदान की अक्सर अनदेखी की जाती है, एवं इसके बजाय, हर उम्र में महिला लिंग को घर के आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाता है।
- हमारे देश में, वर्तमान परिदृश्य में भी, बेटों के लिए एक मजबूत प्राथमिकता है क्योंकि उनके बुढ़ापे के दौरान माता–पिता की देखभाल करने की उम्मीद है। बेटियों के लिए दहेज के खर्च में वृद्धि के कारण बच्चों के साथ होने वाले इस लैंगिक भेदभाव के कारण कभी–कभी लड़की के साथ दुर्व्यवहार होता है।
- आगे, लड़कियों एवं महिलाओं में अक्सर निम्न स्तर की शिक्षा, खराब व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण, जागरूकता की कमी एवं खराब प्रदर्शन के साथ–साथ संगठित क्षेत्र / औपचारिक कार्य बल में खराब भागीदारी होती है एवं वह भी बहुत कम वेतन या बिना वेतन के।
- उन्हें आमतौर पर स्वायत्तता की कमी होती है, सबसे पहले उनके पिता / भाइयों के नियंत्रण में, उसके बाद उनके पति एवं अंत में उनके पुत्र। ये सभी कारक उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
- महिलाओं के खराब स्वास्थ्य में न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए भी नतीजे हैं। बीमार स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्या जटिल, बहुआयामी एवं प्रकृति में बहुत बार अंतर–पीढ़ीगत है।
- कुपोषित एवं कुपोषित महिलाओं में कम जन्म के वजन (LBW) / छोटे–से–गर्भकालीन उम्र (SFGA) / पूर्व–अवधि के बच्चों को सहन करने की अधिक संभावना होती है।
- यदि कोई कुपोषित महिला गर्भवती हो जाती है, तो उसके साथ–साथ नवजात को भी कुपोषण का खतरा होता है।

स्वास्थ्य –

- जैसा कि डब्ल्यूएचओ द्वारा परिभाषित किया गया है – स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की अवस्था है एवं किसी बीमारी या दुर्बलता का अभाव नहीं है।'

- स्वास्थ्य एक बहुआयामी पहलू है, अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए, इसके आयामों जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक एवं राजनीतिक के बीच निरंतर संपर्क बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
- महिलाओं के स्वास्थ्य का तात्पर्य चिकित्सा की उस शाखा से है, जो ऐसी बीमारियों या स्थितियों के उपचार / निदान पर केंद्रित है जो किसी महिला की शारीरिक एवं भावनात्मक सेहत को प्रभावित करती हैं।

सतत विकास लक्ष्य –3 (SDG-3)

- सतत विकास लक्ष्य–3 (SDG–3) स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करने एवं सभी उम्र के लोगों के लिए भलाई को बढ़ावा देने के लिए है।
- स्वास्थ्य का उच्चतम प्राप्य मानक हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है।
- स्वास्थ्य के अधिकार को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को महिलाओं/लड़कियों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी बनने की आवश्यकता होती है, जो उच्च गुणवत्ता, व्यापक एवं आसानी से सुलभ सेवाओं की पेशकश करती है।
- बड़े पैमाने पर समाजों को उन प्रथाओं को समाप्त करना चाहिए जो गंभीर रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य को खतरे में डालती हैं एवं लिंग आधारित हिंसा के सभी रूपों को शामिल करती हैं।

'बेहतर' स्वच्छता सुविधा

- एक 'बेहतर' स्वच्छता सुविधा की वैश्विक परिभाषा वह है जो मानव संपर्क से मानव उत्सर्जन को अलग करती है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 2018 से 2028 की अवधि की घोषणा करता है, जिसमें महत्वाकांक्षी 2030 एजेंडा के जवाब में सहयोग, साझेदारी एवं क्षमता विकास को एवं बेहतर बनाने के लिए 'सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्णय' की घोषणा की गई है।

स्वच्छता –

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, स्वच्छता उन स्थितियों एवं प्रथाओं को संदर्भित करती है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने एवं रोगों के प्रसार को रोकने में मदद करती हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता का तात्पर्य शरीर की स्वच्छता को बनाए रखना है।
- स्वच्छ पीने योग्य पानी अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, एवं इसकी अनुपस्थिति या अपर्याप्तता दुनिया भर में परिवारों के स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। जबकि पानी महत्वपूर्ण है, स्वच्छता प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करके मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय सुरक्षा दोनों को बचाने में मदद करता है।
- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को ध्यान में रखते हुए, वैश्विक समुदाय पानी एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियों / कार्यक्रमों के साथ–साथ पानी एवं स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं क्षमता निर्माण का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। लक्ष्य–6 प्राप्त करने के लिए, सभी राष्ट्रों ने वर्ष 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित पेयजल एवं पर्याप्त स्वच्छता / स्वच्छता के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने का संकल्प लिया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति –

- एनएचपी को 1983 में शुरू किया गया था, 2017 में इसे सुधारने, स्पष्ट करने, मजबूत करने एवं स्वास्थ्य प्रणालियों को समग्र रूप से अपने सभी आयामों – स्वास्थ्य संबंधी निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन, रोग की रोकथाम एवं अच्छे को बढ़ावा देना, उपयुक्त अंतर–क्षेत्रीय समन्वय के माध्यम से स्वास्थ्य, अद्यतन प्रौद्योगिकियों का उपयोग, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली एवं स्वास्थ्य आश्वासन को मजबूत करना इत्यादि को कवर करने में सरकार की भूमिका को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से संशोधित किया गया था।
- इसके अलावा, एनएचपी ने समन्वित कार्रवाई के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें शामिल हैं –
  - स्वच्छ भारत अभियान
  - संतुलित, स्वस्थ आहार एवं नियमित व्यायाम
  - तंबाकू, शराब एवं मादक द्रव्यों के सेवन को संबोधित करना
  - निर्भया – लिंग हिंसा के खिलाफ कार्रवाई
  - कार्यस्थल में तनाव एवं बेहतर सुरक्षा में कमी
  - इनडोर एवं बाहरी वायु प्रदूषण को कम करना

स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने वाले कार्यक्रमों में शामिल हैं–

- **आयुष्मान भारत योजना –** आयुष्मान भारत देखभाल के दृष्टिकोण को जारी रखता है, जिसमें दो अंतर–संबंधित घटक शामिल हैं– 'प्रधानमंत्री जन आरोग्ययोग (प्रधानमंत्री–जेएवाई)' एवं स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी)
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)
- LaQshya कार्यक्रम (लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सार्वभौमिक स्वच्छता
- सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए, प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था।
- इस मिशन के तहत, ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, एवं सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने 2 अक्टूबर 2019 तक, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती, खुद को 'खुले में शौच मुक्त' (ओडीएफ) घोषित किया।
- आगे, निरंतर खुले में शौच मुक्त व्यवहारों को बढ़ाने के लिए, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने के साथ–साथ आसानी से सुलभ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं प्रदान करने के लिए, मिशन ने स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBMG / ODF प्लस) के चरण II में प्रवेश किया है।
- इसके तहत, ओडीएफ व्यवहारों को मजबूत करने के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए हस्तक्षेप के प्रावधान पर एक उचित ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। समुचित अपशिष्ट निपटान सुनिश्चित करने के लिए, डस्टबिन को समुदाय की आवश्यकता के अनुसार हर सुविधाजनक एवं आसानी से सुलभ स्थान पर रखा जा रहा है।

कई कार्यक्रम –

- **स्वच्छ भारत अभियान**
  खुले में शौच को समाप्त करने एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए 2014 में सरकार द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियानय मिशन 1 का चरण 1 अक्टूबर 2019 तक चला, एवं चरण 2 को 2020–21 एवं 2024–25 के बीच लागू किया जा रहा है।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम**
  इसका उद्देश्य देश की ग्रामीण आबादी को पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल के कवरेज में सुधार करना है।

- **नमामि गंगे**
  इसका उद्देश्य पवित्र नदी गंगा के प्रदूषण, संरक्षण एवं कायाकल्प पर प्रभावी रोक लगाना है।

- **जल जीवन मिशन**
  JJM को ग्रामीण भारत के प्रत्येक घर में वर्ष 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू स्तर के नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की कल्पना की गई है। कार्यक्रम अपने पुर्नउपयोग/पुनर्चक्रण के माध्यम से जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल के पुनर्भरण एवं कुशल जल प्रबंधन जैसे विभिन्न स्रोत स्थिरता उपायों को लागू करने के लिए भी प्रमुख महत्व देगा।

किशोरियों एवं महिलाओं

- किशोर लड़कियों एवं महिलाओं के संदर्भ में, मासिक धर्म के दौरान उनकी स्वच्छता एवं स्वच्छता संबंधी प्रथाओं का मुख्य महत्व है।
- हमारे देश के कई ग्रामीण/दूरदराज के हिस्सों में, लड़कियों को न तो पता है एवं न ही वे मासिक धर्म का सामना करने के लिए तैयार है– एवं इसलिए, वे घर, स्कूल एवं कार्यस्थल पर कई कठिनाइयों / चुनौतियों का सामना करती हैं।
- 2019 की एक रिपोर्ट में यह पाया गया है कि लगभग 23 मिलियन लड़कियाँ मासिक धर्म की उचित स्वच्छता प्रबंधन सुविधाओं की कमी के कारण सालाना स्कूल छोड़ देती हैं।
- मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सतत विकास लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, विशेष रूप से एसडीजी 6.2 जिसका उद्देश्य सभी महिलाओं के लिए पर्याप्त एवं समान स्वच्छता एवं स्वच्छता तक पहुंच प्राप्त करना है एवं महिलाओं एवं लड़कियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने एवं असुरक्षित स्थितियों के साथ खुले में शौच को समाप्त करना है।
- इसके अलावा, केले के फाइबर, बांस फाइबर, समुद्री स्पंज एवं पानी की जलकुंभी जैसी सामग्री से बने बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी उत्पादों के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।

मासिक धर्म स्वच्छता योजना

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर लड़कियों (10–19 वर्ष की आयु के बीच) में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एमएचएस की शुरुआत की गई थी, पहुंच में सुधार एवं उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन के उपयोग में वृद्धि, एवं उनकी सुरक्षित एवं साथ ही पर्यावरण के अनुकूल निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ में, 2011 में, यह योजना 17 राज्यों (107 चुनिंदा जिलों को शामिल करते हुए) में लागू की गई थी एवं ग्रामीण किशोरियों को 6 सैनिटरी नैपकिन (फ्री– डेज) का एक पैकेट 6 /– रुपये प्रति पैक दिया गया था।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन –

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को सैनिटरी नैपकिन की विकेन्द्रीकृत खरीद के लिए धनराशि अनुदानित दरों पर ग्रामीण किशोरावस्था की लड़कियों को प्रदान की जाती है (रुपये 6/पैक जिसमें 6 नैपकिन हैं)।
- आशा कार्यकर्ताओं को एक छोटे से प्रोत्साहन पर वितरण की जिम्मेदारी दी जाती है (1 रूपया/पैक + 1 मुफ्त पैक/महीना व्यक्तिगत उपयोग के लिए)।
- इसके अलावा, उन्हें किशोर लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता के मुद्दे के साथ–साथ अन्य प्रासंगिक यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मासिक बैठकें (आंगनवाड़ी केंद्रों / अन्य ऐसे प्लेटफार्मों पर) करने की आवश्यकता होती है।
- किशोरावस्था की लड़कियों के बीच सुरक्षित एवं स्वच्छ मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सामग्री (ऑडियो, वीडियो एवं प्रिंट सामग्री) की एक श्रृंखला विकसित की गई है, एवं प्रभावी संचार के लिए, आशा कार्यकर्ता / अन्य क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के लिए आवश्यक नौकरी–सहायक तैयार किए गए हैं।
- साथ ही, सैनिटरी नैपकिन बनाने में स्वयं–सहायता सर्मथक को प्रशिक्षित किया जाता है।
- आगे, छात्राओं के लिए, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान हर स्कूल में उचित स्वच्छता ध निपटान सुविधाएं (स्थान बदलने, साबुन एवं पानी की उपलब्धता एवं उचित निपटान) सुनिश्चित करता है।
- SABLA कार्यक्रम महिलाओं के बीच स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में जागरूकता पर भी जोर देता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के प्रमुख घटकों में शामिल हैं –

- एनीमिया मुक्त भारत
- ग्राम स्वास्थ्य शिविर संगठन
- पोषण दिवस एवं स्वच्छता दिवस
- आयरन एवं फोलिक एसिड (IFA) पूरकता
- कैल्शियम सप्लीमेंट एवं आयोडीन युक्त नमक का प्रचार

जननी सुरक्षा योजना

जेएसवाई को कम–विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों से संबंधित गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए लागू किया जा रहा है।

मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम

एमसीटीएस गर्भवती महिलाओं, नर्सिंग माताओं एवं बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति को ट्रैक करने में मदद करता है – एवं इसका उद्देश्य महिला द्वारा प्राप्त सभी घटनाओं / सेवाओं की निगरानी के माध्यम से व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं (विशेष रूप से एएनसी एवं टीकाकरण) एवं / या स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत बच्चे के बारे में जानकारी प्रदान करना है।

महिलाओं, किशोरियों एवं अन्य सभी उम्र एवं लिंग समूहों एवं इस प्रकार, एक पूरे के रूप में परिवार की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए गए हैं।

प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम में शामिल हैं –

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम (JSSK)
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यकम (RKSK)
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम (RBSK)
- मिशन इन्द्रधनुष
- जननी सुरक्षा योजना (JSY)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा अभियान मातृ अभियान (PMSMA)
- नवजात शिशु सुरक्षा कार्यकम (NSSK)

संचारी रोगों से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल हैं –

- एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP)
- संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP)
- राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP)
- राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP)
- पल्स पोलियो कार्यक्रम
- राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम
- एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) के कंटेनर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम।

गैर–संचारी रोगों से संबंधित कार्यक्रम शामिल –

- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP)
- कैंसर मधुमेह, हृदय रोगों एवं स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS)
- व्यावसायिक रोगों के नियंत्रण उपचार के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
- बधिरता की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीपीसीडी)
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
- दृष्टिहीनता के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
- बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE)
- जलने से आई चोटों की रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीपीएमबीआई) स्वच्छ नागरिक अभियान

स्वास्थ्य नागरिक अभियान

- यह स्वास्थ्य के लिए एक सामाजिक आंदोलन है, पहले से बताए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए संकेतक एवं उनके लक्ष्य के साथ–साथ तंत्र स्थापित करने की सिफारिश करता है। नीति पहचानती है एवं उपचारात्मक देखभाल के साथ–साथ निवारक एवं प्रचारक देखभाल को उचित महत्व देती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति – लक्ष्य

जीवन प्रत्याशा एवं स्वस्थ जीवन –

- 2025 तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर 70 करें।
- बीमारी के बोझ एवं 2022 तक प्रमुख श्रेणियों द्वारा इसके रुझानों के उपाय के रूप में विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (DALYs) सूचकांक की नियमित ट्रैकिंग स्थापित करें।
- 2025 तक राष्ट्रीय एवं उप–राष्ट्रीय स्तर पर 2.4 कुल प्रजनन दर (टीएफआर) में कमी।

आयु एवं/या कारण से मृत्यु दर –

- 2020 तक मातृ मृत्यु दर को मौजूदा स्तरों से घटाकर 100 कर दिया जाए।
- 2019 तक शिशु मृत्यु दर को 28 तक कम करना।
- नव–नवजात मृत्यु दर को 16 तक कम करना एवं फिर भी जन्म दर 2025 तक एक अंक।

रोग के प्रसार / घटना में कमी

- 2020 तक एचआईवी / एड्स के लिए 90:90:90 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करें (एचआईवी के साथ रहने वाले सभी लोगों में से 90% लोग अपने एचआईवी की स्थितिय एचआईवी संक्रमण के निदान वाले सभी लोगों में से 90% निरंतर एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी प्राप्त करते हैंय एवं सभी का 90%, वायरल दमन प्राप्त करने के लिए एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी प्राप्त करने वाले लोग।
- 2025 तक हृदय रोगों, कैंसर, मधुमेह या पुराने श्वसन रोगों से समय से पहले मृत्यु दर को कम करने के लिए।
- टीबी के नए थूक के सकारात्मक रोगियों के लिए 85: इलाज दर को प्राप्त करने एवं बनाए रखने के लिए एवं 2025 तक उन्मूलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए नए मामलों की घटनाओं को कम करना।
- 2018 तक कुष्ठ रोग, 2017 तक कामा–अजार एवं लाईफेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए लक्ष्य को हासिल करना एवं उसे बनाए रखना।
- 2025 तक अंधापन के प्रचलन को 0.25/1000 तक कम करना। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत स्वास्थ्य प्रणाली का प्रदर्शन/कवरेज
- 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग को मौजूदा स्तरों से 50% बढ़ाएँ।
- 90% से ऊपर निरंतर प्रसवपूर्व देखभाल कवरेजय एवं 2025 तक 90% से ऊपर जन्म के समय कुशल उपस्थिति।
- 2025 तक राष्ट्रीय/उप राष्ट्रीय स्तर पर 90% से ऊपर परिवार नियोजन की जरूरतों को पूरा करना।
- 2025 तक घरेलू देखभाल के तहत 80% ज्ञात उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह रोगी जंजने नियंत्रित रोग की स्थिति 'बनाए रखते हैं।

योजना पत्रिका का सारांश (अक्टूबर 2020)

भारत के व्यापार वार्ता का विकास

- भारत के व्यापार वार्ता–दृष्टिकोण को भविष्य में आने वाली चीजों के बारे में व्यापक रूप से देखने की आवश्यकता होगी। व्यापार की बढ़ती मात्रा व्यापार घाटे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापार को एक शून्य खेल नहीं होना चाहिए। गुणवत्ता एवं कीमत का संयोजन बाजार में किसी उत्पाद की शक्ति को निर्धारित करता है। भारत को सचेत रूप से विकसित वैश्विक व्यापार की गतिशीलता के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए।

गैट के तहत बहुपक्षीय व्यापार –

- बहुपक्षीय व्यापार वार्ता (एमटीएन) शब्द शुरू में गैट के तत्वावधान में आयोजित टैरिफ एंड ट्रेड (जीएटीटी) के सदस्य देशों के बीच सामान्य समझौते पर बातचीत के लिए लागू किया गया था एवं इसका उद्देश्य टैरिफ एवं नॉनटेरिफ व्यापार बाधाओं को कम करना था।
- 1995 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने GATT को प्रशासनिक निकाय के रूप में प्रतिस्थापित किया।
- 1948 के टैरिफ एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) संयुक्त राष्ट्र के तहत पहला बहुपक्षीय समझौता था जिसका उद्देश्य व्यापार में बाधाओं को कम करके आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था।
- भारत GATT के 28 संस्थापक सदस्यों में से एक था।

- दोहा विकास एजेंडा दौर में बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का एक मौजूदा दौर आयोजित किया गया था।
- दोहा विकास दौर से पहले, आठ गैट सत्र हुए –
  पहला दौर – जिनेवा दौर, 1947
  दूसरा दौर – एनेसी राउंड, 1949
  तीसरा दौर – टॉर्के राउंड, 1950–51
  चौथा दौर – जिनेवा राउंड, 1955–56
  5 वां दौर – डिलन राउंड, 1960–61
  6 ठां दौर – कैनेडी राउंड, 1963–67
  7 वां दौर – टोक्यो राउंड, 1973–79
  8 वां दौर – उरुग्वे राउंड, 1986–94

- 20 वीं सदी के उत्तरार्ध में आयोजित आठ गैट राउंड में, भारत एवं विकासशील देश मुख्य रूप से विकसित देशों की बड़े पैमाने पर कृषि सब्सिडी के खिलाफ अपने कृषि हितों की रक्षा के बारे में चिंतित थे। उन्होंने आशंका जताई कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कृषि उपज की डंपिंग से बाजार में विकृतियां आएंगी।

विश्व व्यापार संगठन –

- भारत, 76 देशों के साथ, 1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का एक संस्थापक सदस्य था, जिसने 1986–1994 तक उरुग्वे दौर की गैट वार्ता की सदस्यता ली।
- भारत का मानना है कि विश्व व्यापार संगठन में न्यायसंगत, न्यायसंगत, न्यायोचित एवं पूर्वानुमेय नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली विकासशील एवं कम से कम विकसित देशों (एलडीसी) के सर्वोत्तम हित में है।
- भारत ने कृषि पर समझौते (AoA) के तहत अत्यधिक असंतुलित व्यापार वार्ता में सुधार की मांग की।
- एओए के तहत, घरेलू समर्थन नीतियां, कमी प्रतिबद्धताओं के अधीन, 1986–88 के आधार वर्षों में कुल एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट (एएमएस) द्वारा गणना की गई थीं।
- तदनुसार, 'एम्बर बॉक्स' के रूप में जाना जाने वाला इनपुट सब्सिडी की गणना विकसित देशों के उत्पादन के मूल्य में 5: से कम कटौती एवं विकासशील देशों के लिए 10% से कम पर बहिष्करण के लिए की गई है।
- भारत एवं अन्य विकासशील देशों ने तर्क दिया है कि विकसित देशों ने अन्य बक्सों के तहत उपलब्ध कराए गए विशाल घरेलू समर्थन का अनुचित लाभ उठाया है, जैसे कि 'ग्रीन' एवं 'ब्लू' जो कि कमी प्रतिबद्धताओं के बाहर शांति से रखे गए हैं। एओए वार्ता में संतुलन लाने के प्रयास आज तक असफल रहे।

व्यापार एवं विकास –

- यह 21 वीं सदी की शुरुआत तक नहीं था जब डब्ल्यूटीओ ने व्यापार एवं विकास के बीच कारण लिंक को मान्यता दी थी। इस मान्यता का नेतृत्व किया (1948 का जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (जीएटीटी) संयुक्त राष्ट्र के तहत पहला बहुपक्षीय समझौता था, जिसका उद्देश्य व्यापार में बाधाओं को कम करके आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था। भले ही भारत जीएसटी के 28 संस्थापक सदस्यों में से एक था। बहुपक्षीय व्यापार वार्ता में एक गंभीर हितधारक।) 2001 में 'दोहा विकास दौर' के शुभारंभ के लिए 'विकास' को वैश्विक व्यापार के केंद्र में रखा गया।
- भारत ने विकासशील एवं LDC में लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए लोकप्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित किया, एवं व्यापार विकास के लिए एक प्रभावी उत्प्रेरक हो सकता है।
- भारत ने 2013 में बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक बड़ी जीत हासिल की, जब उसने व्यापार सुविधा पर डब्ल्यूटीओ समझौते पर सहमति के लिए व्यापार के रूप में कृषि के लिए घरेलू समर्थन पर एक स्थायी शांति के समझौते पर सफलतापूर्वक बातचीत की।
- स्थायी शांति का खंड भारत डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय में चुनौती दिए बिना अपने कृषि घरेलू समर्थन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है, जब तक कि इस मुद्दे को सभी सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से हल नहीं किया जाता है।
- अप्रैल 2017 में डब्ल्यूटीओ व्यापार सुविधा समझौते के लिए भारत का परिग्रहण भी इसके लिए फायदेमंद साबित हुआ, जो रसद क्षमता में सुधार एवं निर्यात के लिए व्यापार लागत में कमी ला रहा है।

टैरिफ एवं गैर–टैरिफ बाधाएं –

- उच्च टैरिफ के लिए तर्क घरेलू उद्योग को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाने एवं राज्य के लिए राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए है।
- विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों ने उत्पाद की प्रत्येक पंक्ति के लिए अपनी टैरिफ दरों को बाध्य किया थाय विकसित देशों ने अपनी टैरिफ लाइनों के 99% को 5% दरों से नीचे एवं विकासशील देशों ने अपनी दरों को 99% तक सीमित कर दिया, लेकिन अलग–अलग शिखर दर के साथ, जिसके भीतर वे लचीली लागू दरों को बनाए रख सकते हैं।
- सदस्य देश अपनी अनुसूची में अपनी प्रतिबद्धताओं को सूचीबद्ध करते हैं एवं उन्हें GATT अनुच्छेद 1 के रूप में मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) के आधार पर प्रदान करते हैं, अर्थात, 'सभी सदस्यों को गैर–भेदभावपूर्ण तरीके से समान आधार पर पेश की जाने वाली प्राथमिकताएं'।
- कुछ उत्पादों के आयात में अचानक वृद्धि के कारण वैश्विक व्यापार विकृतियों का सामना करने के लिए विकासशील एवं एलडीसी के लिए यह लचीलापन आवश्यक माना गया था।
- विश्व सेवाओं के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.6: है, जो ज्यादातर आईटी एवं आईटी–सक्षम सेवाओं में केंद्रित है। सेवा व्यापार में विविधता लाने के उद्देश्य से, भारतीय ने रोजगार सृजन के लिए अपनी क्षमता को साकार करने पर जोर देने के साथ 12 चौंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की।
- वर्तमान में, माल एवं सेवाओं सहित भारत का कुल व्यापार $ 1129 बिलियन है, जो जीडीपी का लगभग 42% है।
- व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गहरी बाहरी संलग्नक एक आवश्यक शर्त है एवं, इस संबंध में, ग्लोबल वैल्यू चेन (जीवीसी) एवं मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) महत्वपूर्ण उपकरण हैं।

मुक्त व्यापार समझौता –

- मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) कुशलता से संचालित करने के लिए जीवीसी के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। भागीदार देश तैयार उत्पादों के लिए आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क (जीवीसी) के हिस्से के रूप में उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने के लिए एफटीएएस के तहत उदारीकृत निवेश जलवायु का लाभ उठाते हैं।
- एक सफल एफटीए दोनों पार्टनर काउंटियों के लिए एक सर्वदा जीत की स्थिति पैदा करता है, न केवल बाजार पहुंच प्रदान करने के मामले में, बल्कि निवेश, प्रौद्योगिकी एवं सेवाओं के माध्यम से गहन जुड़ाव को भी सक्षम बनाता है।

- डब्ल्यूटीओ का जीएटीटी अनुच्छेद 24 सदस्य देशों को द्विपक्षीय / क्षेत्रीय अधिमान्य व्यापार व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति देता है ताकि उच्च स्तर के व्यापार उदारीकरण को प्राप्त किया जा सके, इस बात के बावजूद कि यह प्रावधान गैट मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) को समाप्त करने के लिए है जो गैर–भेदभावपूर्ण उपचार को निर्धारित करता है।
- पिछले दो दशकों में लगभग 450 एफटीए / पीटीए के साथ वैश्विक व्यापार मुक्त समझौतों का प्रसार हुआ है एवं अन्य 180 एफटीए / पीटीए या तो बातचीत या समीक्षा के तहत शामिल हैं, जिसमें लगभग 2/3 सदस्य शामिल हैं (भारत का विश्व में माल निर्यात में हिस्सा) 1947 में हमारी आजादी का समय 2.2% था, यह 1983 में 0.5% तक गिर गया एवं 2000 में मामूली रूप से 0.7% हो गया। वर्तमान में, वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा 1.7% है। विशेषज्ञ भारत की आर्थिक नीतियों के दशकों के दौरान भारत की कम हिस्सेदारी का श्रेय देते हैं लेकिन 1991 के आर्थिक सुधारों के साथ, विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकरण के लिए अग्रणी, भारत का हिस्सा उठा।) विश्व व्यापार संगठन के देश।
- भारत ने लगभग 16 एफटीए/पीटीए का समापन किया एवं उनमें से 20 अन्य वार्ता या समीक्षा के तहत हैं, भारत के सबसे उल्लेखनीय द्विपक्षीय एफटीए जापान, कोरिया, चिली, सिंगापुर एवं क्षेत्रीय एफटीए के साथ हैं, SAFTA, ASEAN, मेसकोसुर, APTA, आदि।
- परंपरागत रूप से, भारत घरेलू उद्योग को बाहरी प्रतिस्पर्धा के सामने लाने के डर से मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए रूढ़िवादी रहा है।
- हालाँकि, पिछले 10 वर्षों के व्यापार डेटा से पता चलता है कि भारत के अपने एफटीए भागीदार देशों के साथ व्यापार की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है एवं व्यापार घाटा या तो स्थिर या व्यापक रूप से बना रहा।

निष्कर्ष –

- भारत के व्यापार वार्ता दृष्टिकोण को भविष्य में आने वाली चीजों के लिए व्यापक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी।
- व्यापार घाटे की तुलना में व्यापार की बढ़ती मात्रा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापार को शून्य–राशि का खेल नहीं होना चाहिए।
- अंततः, गुणवत्ता एवं कीमत का संयोजन बाजार में किसी उत्पाद की शक्ति को निर्धारित करता है।
- व्यापार, निवेश, सेवाओं एवं प्रौद्योगिकी के बीच विकसित संबंधों को समझना, महत्वपूर्ण है।
- निवेश प्रौद्योगिकी लाता है जो प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सस्ती गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
- विनिर्माण की सेवा की उम्र में, गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करने पर जोर देने से व्यापार की समग्र मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा।
- प्रौद्योगिकी निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर व्यापार को प्रभावित करेगी एवं आला तकनीकों में रहना जैसे मशीन लर्निंग, 3 डी प्रिंटिंग, रोबोट इंजीनियरिंग, इंटरनेट–आधारित उत्पादन, ई–कॉमर्स, आदि सभी वैश्विक व्यापार को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेंगे।
- भारत को सचेत रूप से इन विकसित वैश्विक व्यापार गतिकी के लिए एक विस्तृत कोण दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए।

पूर्व की ओर देखो नीति

- चीन ने आक्रामक एवं मुखर पृष्ठभूमि में अपने दोनों महासागरीय एवं भूमि पड़ोसियों को अयोग्य कर दिया है। वुहान में कोविड–19 की उत्पत्ति रणनीतिक, आर्थिक राजनीतिक या राजनयिक संबंधों को फिर से परिभाषित करने में एक ओर गेम चेंजर रही है।
- एलएसी के साथ चीन ने अपने आक्रामक व्यवहार के चलते द्विपक्षीय संबंधों जटिल रहे हैं, लेकिन इससे भारत को चीन के साथ संबंधों के भविष्य पर अपने विचारों को मजबूत करने के लिए मजबुर किया है।

एक संकट से बाहर अवसर –

- चीन की गैर–जिम्मेदाराना कार्रवाइयों ने भारत के सामरिक आर्थिक एवं सैन्य विकल्पों के मूल्यांकन के लिए अवसर की एक खिड़की प्रदान की, जो भारत के प्रशांत क्षेत्र में कार्रवाई करते हैं, जो भारत के 'पूर्व की एवं देखो नीति' के हित वाले देश हैं।
- इस घटनाक्रम से प्रतीत होता है कि मलक्का जलडमरूमध्य से परे शक्तियों से जुड़ने के लिए एक उत्साह दिया गया है।
- हाल ही के कुछ कोविड–19 के बाद के घटनाक्रम जैसे गलवान ने यह देखने के लिए की गई घुसपैठ की कि कैसे वे पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों एवं गठजोड़ के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में भारत के प्रक्षेपवक्र को प्रभावित करने की संभावना रखते हैं।
- यह तथ्य कि चीन ने स्पष्ट रूप से वायरस के प्रकोप को छिपाया है, दुनिया भर के देशों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया गया है एवं विशेष रूप से भारत, अमेरिका, यूरोप, ब्राजील आदि से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है।
- जबकि भारत कोविड–19 खतरे एवं आर्थिक मंदी का मुकाबला करने में व्यस्त था। 1993 तक चले समझौतों के बावजूद चीन LAC पर अनैतिक घुसपैठ में उलझा रहा।
- चीन ने भूमि एवं समुद्र दोनों पर भारत के पड़ोस में भी प्रवेश किया है। इसने भूटान क्षेत्र के अपने दावे को नहीं छोड़ा है एवं भारत के खिलाफ नेपाल का प्रचार भी कर रहा है।
- इसने चीन PoK आर्थिक गलियारे (CPEC के रूप में गलत तरीके से लिखा गया जिसके स्वामित्व की वैधता भारत के पक्ष में है) में भारी निवेश किया है।
- भारत ने बीआरआई का विरोध किया है एवं इस कार्य की एकपक्षीय प्रकृति के बारे में अपनी चिंताओं को आवाज दी है जिससे प्राप्तकर्ता देशों को लाभ नहीं होता है।

गलवान एवं उसके बाद

- गलवान घुसपैठ भारत एवं चीन के द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
- भारत ने चीन के खिलाफ कई उपायों की शुरुआत की है, जो न केवल द्विपक्षीय संबंधों पर, बल्कि भारत के 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' पर भी दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा।
- चीन के साथ जुड़ाव भारत की 'पूर्व की एवं देखो नीति' का हिस्सा रहा है एवं पिछले तीन दशकों के उदारीकरण ने पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं एवं चीन के साथ व्यापार एवं वाणिज्य का दायरा बढ़ाया है।
- हालांकि, बढ़े हुए जुड़ाव से केवल चीन के लिए सर्वदा जीत की स्थिति पैदा हुई, जो भारत के बाजार पहुंच का उपयोग अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए कर रहा था एवं धीरे–धीरे कई आला क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा था।

- इसने न केवल व्यापार घाटे को लगभग US $ 60 बिलियन तक बढ़ा दिया, बल्कि धीरे–धीरे चीनी फंडों एवं प्रौद्योगिकी पर भारतीय उद्यम की निर्भरता को बढ़ा दिया, जो भारत के दीर्घकालिक हितों के लिए बहुत अधिक था। यह भी सही ढंग से देखा गया कि व्यापार घाटा वह है जो भारत की लागत पर सैन्य आधुनिकीकरण के अलावा पाकिस्तान में चीन की कई आर्थिक पहलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

साउथ चाइना सी एवं नियर सीज में कार्रवाई

- दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाइयों ने समुद्री पड़ोसियों को भी नाराज कर दिया है जो चीन की आर्थिक एवं सैन्य ताकत से निपट नही सकते हैं।
- क्लासिक उदाहरण फिलीपींस का है जिसने 2016 में मध्यस्थता के स्थायी में एक अनुकूल फैसले के साथ मध्यस्थता जीती, धन शक्ति एवं जबरदस्ती के उपयोग का उदाहरण है जिसने चीन को अस्थायी रूप से फिलीपींस को अपनी तरफ करने की अनुमति दी है।
- वियतनामी मछली पकड़ने के जहाज के डूबने की घटना, विशेष क्षेत्रों के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में उड़ान भरने, चट्टानों को कृत्रिम द्वीपों में बदलने, सैन्य घाटियों की स्थापना ने स्पष्ट रूप से चीन को अपनी भूमि एवं समुद्री पड़ोसियों के लिए प्रिय नहीं बनाया है।
- दूसरा लक्ष्य ताइवान है जिसने एकीकरण के बात को खारिज कर दिया है एवं आखिरी दम तक लड़ने की कसम खाई है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल के दिनों में उन्नत सैन्य हार्डवेयर प्रदान करने के लिए समझौते किए हैं एवं इसने भी चीन को गुस्सा दिलाया है।

ग्लोबल रिस्पांस

- यह स्पष्ट है कि विश्व भर में कोविड–19 संकट की अवधि में ओवरलैंड एवं समुद्र दोनों में कार्टोग्राफिक आक्रामकता दिखाने के कारण, चीन के खिलाफ नाराजगी है ।
- यूएसए ने चीन को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है एवं चीन को चोट पहुंचाने के लिए कई उपायों की शुरुआत की है।
- इससे सभी मोर्चे पर एक युद्ध हुआ है जो पर्यवेक्षकों को एक शीत युद्ध की याद दिलाता है जो अब गति में स्थापित हो गया है।

चीन की घुसपैठ की पृष्ठभूमि में अभिनय पूर्व

- रणनीतिक एवं आर्थिक दोनों स्तरों पर पूर्वी एशियाई देशों के साथ जुड़ाव की लगातार समीक्षा की जा रही थी एवं आपसी निवेश एवं सहयोग की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कुछ पाठ्यक्रम सुधार लागू किए गए थे।
- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) की प्रमुख पहल ने एशिया से अफ्रीका तक यूरोप के लिए चीन के पैसे को गंतव्यों तक पहुंचाया।
- जबकि शुरू में श्रीलंका एवं अन्य छोटे राष्ट्रों द्वारा सबूत के रूप में स्थानीय विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उपयोग करने के अवसर के बारे में बहुत उत्साह था, यह स्पष्ट था कि उन देशों के लिए एक बड़ा ऋण जाल पड़ा हुआ था।
- यह आसियान देशों के कई देशों में भी हुआ, जिन्होंने बीआरआई परियोजनाओं एवं पुनर्निवेशों से कुछ निकासी देखी।
- अन्य देशों को इस तथ्य की लगातार याद दिलाई गई कि श्रीलंका द्वारा लिए गए कुछ ऋणों को चुकाने के लिए श्रीलंका में हंबनटोटा को एक गहरे पानी के बंदरगाह, 99 वर्षों के लंबे पट्टे पर दिया जाना था।

निष्कर्ष

- हाल के घटनाक्रम द्विपक्षीय संबंधों के पिछले भाग प्रथाओं से दूर होने की आवश्यकता के संकेत हैं जिन्होंने वांछित परिणाम नहीं दिए हैं।
- हालिया घटनाक्रम स्पष्ट रूप से यह सामने लाते हैं कि वैश्विक पुनर्मूल्यांकन होगा, चाहे वह डिकॉयिंग की अवधि में हो या चीन पर नए गठबंधन करने के लिए हो, जिसने यूएसए को बदलने के इच्छुक राष्ट्र की परिपक्वता के साथ व्यवहार नहीं किया है।
- इसे भारत के लिए अन्य देशों एवं संस्थानों के साथ अपने जुड़ाव की रूपरेखा को फिर से विकसित करने एवं स्वतंत्र प्रक्षेपवक्र के रूप में देखा जा सकता है जो इसकी वृद्धि समृद्धि एवं विकास में मदद करेगा।

भारतीय प्रवासी – प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ

- प्रवासी लोग ऐसे लोगों के समूह को शामिल करते हैं जो या तो भारत में अपनी उत्पत्ति का पता लगा सकते हैं या जो विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक हैं, या तो अस्थायी या स्थायी रूप से। इसमें गैर–निवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) एवं भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) शामिल हैं।
- 25 मिलियन से अधिक ऊर्जावान एवं आश्वस्त भारतीय प्रवासी है।
- प्रवासी भारतीयों द्वारा निभाई गई भूमिका भारत की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण है एवं भारत की विदेश नीति में भारतीय प्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भारतीय प्रवासियों का शीर्ष गंतव्य था, जो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार अमेरिका, सऊदी अरब, पाकिस्तान एवं ओमान के बाद था।

प्रवासी भारतीयों के मुद्दों को संभालने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम

- प्रवासियों एवं व्यापक, मिशनों, भर्ती एजेंटों, विदेशी नियोक्ता, बीमा एजेंसियों का एक ऑनलाइन डेटाबेस संपूर्ण उत्प्रवास प्रक्रिया को तेज एवं पारदर्शी बनाने के लिए। यह सभी हितधारकों के क्रेडेंशियल के ऑनलाइन प्रमाणीकरण /सत्यापन की अनुमति देता है।
- भारत सरकार ने छह खाड़ी देशों, जॉर्डन एवं मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका प्रमुख उद्धेश्य संरक्षण एवं कल्याण कार्यों में द्विपक्षीय सहयोग एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है।
- सरकार–उनके प्रवासियों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए 'मदद' पोर्टल भी जारी किया गया, जो प्राथमिकता के आधार पर भाग लेता है।
- सरकार ने हाल ही में पीआईओ कार्ड योजना के नियमों में संशोधन किया है ताकि पीआईओ कार्ड के नए प्राप्तकर्ता कार्ड प्राप्त करेंगे जो उनके जीवन की अवधि के लिए मान्य होंगे।
- प्रवासी भारतीयों की मदद के लिए लैटिन अमेरिकी एवं एड्रियन देश में नए दूतावास।
- कुशल श्रम की चिंता को दूर करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय जुड़ाव।

- विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत के बारे में जानने में मदद करने के लिए 'भारत को जानिए' जैसे कार्यक्रम एवं भारत आने का अवसर भी।

महत्व एवं योगदान

- यह ज्ञान संसाधन विशेषज्ञता के हस्तांतरण में मदद करता है एवं मूल देश एवं दुनिया के बाकी हिस्सों के विकास के लिए बाजारों को भी पुल करता है।
- भारत–अमेरिका परमाणु समझौते की सफलता के लिए भारतीय प्रवासियों द्वारा निभाई गई नरम कूटनीति–एक महत्वपूर्ण भूमिका महत्वपूर्ण है।
- इन प्रवासियों के कारण उनके निवास का देश भी विकसित हुआ है। उदाहरण के लिए, सिलिकॉन वैली अमेरिका में भारतीयों की सफलता का प्रतिनिधित्व करती है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास ज्यादातर भारतीय डायस्पोरा द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण है।
- प्रवासी भारत में व्यापार निवेश का प्रमुख स्रोत है।

सरकारी पहल

- 'प्रवासी भारतीय दिवस' भारत के विकास में विदेशों में भारत समुदाय के योगदान को चिह्नित करने के लिए 2003 में शुरू की गई एक पहल है।
- प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय को विदेश मंत्रालय के साथ मिला दिया गया है एवं यह विलय इंडियन ओवरसीज को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की भूमिका में एक बड़ी पहल है।
- वीजा ऑन अराइवल एक ऐसी सुविधा है जिसे भारत ने स्वीकृत एवं अनुमति दी है। अब लगभग 43 देशों को भारत सरकार द्वारा आगमन पर वीजा की अनुमति दी गई है। इन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं फिजी शामिल हैं। इस प्रक्रिया ने प्रवासी भारतीयों की यात्रा एवं प्रसार को बहुत आसान बना दिया है।
- भारत के साथ भारतीयों के आर्थिक एवं जुड़ाव को प्रवासी भारतीय सत्कार केंद्र द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है जिसे भारत सरकार द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के साथ स्थापित किया गया था। इस साझेदारी एवं सत्कार ने भारत के साथ भारतीयों के आर्थिक जुड़ाव के विकास को बढ़ावा दिया है।
- भारत सरकार ने ऑपरेशन 'राहत' एवं दक्षिण सूडान से ऑपरेशन ष्संकट मोचनष् के माध्यम से 2015 में यमन में भारतीय प्रवासियों को हटा दिया।
- 'प्रवासी कौशल विकास योजना' भारत सरकार द्वारा लिया गया एक एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो विदेशों में रोजगार का लक्ष्य रखने वाले युवाओं की वृद्धि एवं सहभागिता को बढ़ावा देता है।
- भारत सरकार को अब विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों एवं समस्याओं का जवाब देने की बहुत जल्दी है क्योंकि सरकार सोशल मीडिया में अधिक डिजिटल एवं सक्रिय हो गई है। इस प्रकार, विदेशों में भारतीयों की विभिन्न समस्याओं को इस शो सोशल मीडिया एवं डिजिटलाइजेशन के उपयोग के कारण बहुत तेजी से एवं प्रतिक्रिया समय में हल किया गया है। भारतीय प्रवासी पश्चिम एशिया के मुद्दों का सामना करते हैं
- तेल की कम कीमतों के कारण शेल गैस में उछाल एवं धीमी वैश्विक वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीयों के लिए नौकरी में कटौती हुई है।
- भारतीयों की सुरक्षा के लिए सबसे प्रत्यक्ष खतरों में से एक शिया–सुन्नी संघर्ष एवं कट्टरपंथी इस्लामवाद के कारण बढ़ती संघर्ष एवं अस्थिरता है।
- फिलीपींस से कुशल श्रम एवं नेपाल से सस्ते श्रम से भयंकर प्रतिस्पर्धा।
- नियोक्ताओं की तरह प्रतिगामी एवं मीडियाविहीन नीतियों को 'काफला' श्रम प्रणाली के रूप में ज्ञात आगमन पर यात्रा दस्तावेजों को जब्त करना शोषणकारी है।

अमेरिका, कनाडा एवं ब्रिटेन

(ए) एक नस्लवादी, औपनिवेशिकता के लिए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार जारी हैं।

(बी) अमेरिकी कांग्रेस में कठोर H-IB वीजा मानदंड।

(सी) अमेरिकियों को अधिक रोजगार देने के लिए राष्ट्रपति–चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प का आह्वान।

(डी) यूके पोस्ट–ब्रेक्सिट में वीजा मानदंडों में संशोधन से भारतीय प्रवासी, विशेष रूप से आईटी पेशेवरों को मुश्किल हो सकती है।

(ई) आतंकवादी ब्रांडिंग के कारण नौकरियों एवं नस्लीय दुर्व्यवहार में असमानता।

(एफ) विभिन्न खाने की वरीयताओं, उपभोक्तावाद एवं न्यक्लियर समाज के कारण सांस्कृतिक एकीकरण।

दोहरी नागरिकता

- अधिकांश भारतीय प्रवासी अपने भारतीय नागरिकता को अपने निवास स्थान की नागरिकता के साथ बनाए रखना चाहते हैं।

भारतीय प्रवासी – कोविड–19 के दौरान

- कोविड–19 महामारी ने भारतीय प्रवासियों के जीवन कहर ढाया है। कुछ ने अपनी नौकरी खो दी है जबकि अन्य को उन्हें खोने का डर है। ऐसे लोगों की संख्या पहले से ही है जो वित्तीय अस्थिरता के कारण भारत लौटने की मांग कर रहे हैं।
- ऐसे लोगों के सवाल है जो प्रवासी भारतीय हैं जिन्हें स्थायी निवासी का दर्जा नहीं मिला है अगर वे नौकरी खोने के बाद अपने देशों में रह सकते हैं, जबकि जिन लोगों ने अपनी नागरिकता बदल ली है, उन्हें डर है कि उन्हें किसी भी समय भारत की यात्रा करने से रोका जा सकता है।
- बहुत से लोगों ने अच्छे एवं बुरे समय के दौरान पारिवारिकता, मित्रों की हानि, परिवार के साथ रहने में असमर्थता, स्वतंत्र रूप से रहने, प्रामाणिक भारतीय भोजन की कम उपलब्धता, छोटे सामाजिक चक्र के कारण मनोवैज्ञानिक मुद्दों, कार्यालय का माहौल, छुट्टियों की संख्या बहुत कम होना एवं रहने की उच्च लागत की सूचना दी है।
- उनके संघर्ष के बावजूद, प्रवासी समुदाय 25 मिलियन से अधिक ऊर्जावान एवं आत्मविश्वास से भरे प्रवासी बन गए हैं। प्रवासी भारतीयों की भूमिका भारत की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एवं भारत की विदेश नीति का भारतीय प्रवासियों के लिए मजबूत समर्थन है। ज्ञान हस्तांतरण एवं निवेश में कई योगदानों को कम करके नहीं आंका जा सकता है।
- स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, पहली पीढ़ी के एनआरआई कई वर्षों से अपने नए देशों में स्वाभाविक रूप से जमा होने के बाद भारत वापस आने पर चुनौतियों का सामना करते हैं। वे स्वच्छता के मुद्दों, बिजली की खराबी, सुरक्षा के मुद्दों, भीड़ के साथ फिटिंग, बड़े शहरों में भारी हवा में साँस लेना, केवल बोतलबंद पानी पीना, कारों का सम्मान, एक अराजक यातायात में चलने की हताशा के कारण बीमार पड़ने से डरते हैं।

- 'वंदे भारत' अभी तक सरकार की एक ओर पहल थी जो प्रवासी भारतीयों को विशेष रूप से दोहा, कुवैत, दम्मम एवं रियाद से वापस लाने के लिए प्रत्यावर्तन उड़ानों को आयोजित करने के लिए आयोजित कर रहीथी जहाँ अधिक भारतीय पलायन कर गए थे एवं इस संकट के कारण घर वापस आना चाहते थे।
- प्रवासी श्रमिकों की बुनियादी जरूरतें जैसे कि खाद्य आश्रय स्वास्थ्य देखभाल, बीमारी की खरीद या इसे फैलाने का डर, मजदूरी का नुकसान, परिवार के बारे में चिंता एवं चिंताएं अधिक हैं। कुछ को स्थानीय समुदाय के उत्पीड़न एवं नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का भी सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- पहले से ही प्रभावित प्रवासियों एवं प्रवासी को आने पर घर वापस आने का स्वागत करने के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं आव्रजन एवं सीमा शुल्क निकासी की एक आसान प्रक्रिया होनी चाहिए।
- सरकार को विदेशों में काम करने वाले ब्लू–कॉलर श्रमिकों की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है –
  - (ए) मेजबान देशों के साथ एक मानक श्रम निर्यात समझौते पर बातचीत।
  - (बी) हमारे मिशनों द्वारा विदेशी श्रमिकों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण।
  - (सी) विदेशी श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों को कवर करने वाली अनिवार्य बीमा योजनाएं।
- दूसरी पीढ़ी के पीआईओ के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने एवं इन पीआईओ की बारंबारता पर अधिक ध्यान देने एवं अपने गृह राज्य में लगातार यात्रा करने एवं रिश्तेदारों एवं परिवार का दौरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- एनआरआई/पीआईओ से विवाहित भारतीय महिलाओं का कल्याण
- आर्थिक विकास
  - (ए) विनिर्माण उद्योग में वरिष्ठ पदों पर काम करने वाले प्रवासी पेशेवर आउटसोर्सिंग के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में भारत को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।
  - (बी) सरकार को विशेष रूप से NRI / PIO द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सामाजिक आर्थिक क्षेत्र की स्थापना पर भी विचार करना चाहिए।
  - (सी) सरकार को इजराइल बांड की तर्ज पर एनआरआई / पीआईओ निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष अवसंरचना बांड जारी करने पर भी विचार करना चाहिए।
- प्रवासी भारतीयों की वित्तीय एवं बौद्धिक पूंजी भारत द्वारा भुनाई जानी चाहिए एवं भारत के सामने बड़ी चुनौती यह है कि वह आपसी लाभ के लिए इसे कैसे टैप कर सकता है।

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी –

- यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक केंद्रीय एजेंसी है, जो केंद्र सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अराजपत्रित पदों पर चयन के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) आयोजित करेगी।
- एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी एवं आईबीपीएस के प्रतिनिधि हैं।

पृष्ठभूमि –

- राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना से पहले, भारतीय रेलवे, बैंकों आदि के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों के समूह बी एवं सी (गैर–तकनीकी) पदों पर भर्ती परीक्षाएं अलग से की जाती थीं एवं इनमें से अधिकांश पदों पर समान शिक्षा योग्यता की आवश्यकता होती थी।
- ये कई भर्ती परीक्षाएं उम्मीदवारों के लिए एक बोझ थीं क्योंकि वे कई भर्ती एजेंसियों को शुल्क का भुगतान करते हैं एवं विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

रचना –

- राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के प्रतिनिधि होंगे–
- रेल मंत्रालय (भारत)
- वित्त मंत्री (भारत) / वित्तीय सेवा विभाग
- कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
- रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)
- बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS)

सामान्य पात्रता परीक्षा की विशेषताएं (CET)

- कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) ग्रुप बी एवं सी के पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) एवं रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित टियर 1 परीक्षा की जगह लेगा। मैट्रिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक एवं स्नातक आवेदकों के लिए अलग–अलग सीईटी आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं में प्राप्त अंक 3 वर्ष के लिए मान्य होंगे।

CET का माध्यम –

- कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) 12 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा जो भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में हैं।

प्रयासों की संख्या –

- आकांक्षी को अपने सीईटी स्कोर को बेहतर करने के लिए निर्धारित आयु सीमा के भीतर असीमित प्रयासों की अनुमति दी जाएगी, जिसमें सबसे अच्छा माना जाएगा।

परीक्षा का स्थान –

- 1,000 केंद्रों के साथ देश भर में प्रस्तावित 1,000 केंद्रों के साथ, आवेदकों को परीक्षण केंद्र तक पहुंचने के लिए अपने संबंधित जिले के बाहर यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है।
- साथ ही, कई भर्ती परीक्षणों के लिए फीस पर खर्च किए गए धन की बचत होगी। सीईटी स्कोर, जो तुरंत उत्पन्न होगा, उम्मीदवार को एवं साथ ही व्यक्तिगत भर्ती एजेंसी को उपलब्ध कराया जाएगा एवं पारदर्शिता में सुधार की उम्मीद की जा सकती है।

एनआरए के लिए लॉन्चपैड

- NRA उस समय एक अवसर पर आ रहा है जब पारंपरिक सरकारी भर्तियां तकनीक की मदद से बदल रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न भर्ती एजेंसी ने परीक्षाओं की गति एवं पारदर्शिता एवं सुरक्षा में सुधार के लिए कई डिजिटल समाधानों को अपनाया है।

- इस प्रकार की कुछ पहलों की पहल एवं सुधार यहाँ सूचीबद्ध हैं –

(i) **भाषाई समावेश –** आरआरबी ने लगभग एक दशक पहले देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों से उम्मीदवार की सुविधा के लिए 16 भारतीय भाषाओं में परीक्षण शुरू किया था।

(ii) भर्ती प्रक्रिया का डिजिटलीकरण –

- भर्ती प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण पहले ही आईबीपीएस, आरआरबी एवं एसएससी द्वारा किया जा चुका है।
- इसने आवेदन प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया एवं रियल टाइम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट ने गतिशील निर्णय लेने में मदद की।
- आरआरबी ने 2015 में कंप्यूटर–आधारित टेस्ट–सीबीटी (आमतौर पर ऑनलाइन परीक्षण कहा जाता है) शुरू किया।
- SSC ने जून 2016 से अपने ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR आधारित परीक्षाओं को भी कंप्यूटर आधारित मोड परीक्षा में बदल दिया।
- आईबीपीएस ने बहुत पहले से इन प्रक्रियाओं को अपनाया था।

(iii) भौगोलिक आउटरीच –

- आरआरबी ने 311 शहरों में 3000 से अधिक केंद्र स्थापित करके, कश्मीर घाटी के सभी उत्तर–पूर्वी राज्यों एवं अंडमान एवं निको बार एवं लक्षद्वीप के दूर–दराज के क्षेत्रों में परीक्षा ली है। आईबीपीएस पूरे भारत में लगभग 200 शहरों में परीक्षण करता है।

एनआरए द्वारा आउटरीच पहल

(ए) कई भाषाएँ

आरआरबी परीक्षाओं को छोड़कर, अन्य परीक्षाओं को वर्तमान में केवल हिंदी एवं अंग्रेजी में द्विभाषी रूप से प्रशासित किया जाता है। CET अंग्रेजी सहित 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी।

इससे देश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय भाषाविज्ञान पृष्ठभूमि के लोगों को परीक्षा लेने में बहुत सुविधा होगी एवं उन्हें चयनित होने का एक समान अवसर मिलेगा।

(बी) कई भर्ती एजेंसियों तक स्कोर–पहुंच शुरू में, स्कोर का उपयोग तीन प्रमुख भर्ती एजेंसियों – एसएससी, आरआरबी एवं आईबीपीएस द्वारा किया जाएगा। हालांकि, समय के साथ यह उम्मीद की जाती है कि केंद्र सरकार में अन्य भर्ती एजेंसियां इसे अपनाएंगी। इसके अलावा, यह सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य एजेंसियों के लिए भी खुला हो सकता है ताकि वे इसे चुन सकें। इस प्रकार, लंबे समय में, सीईटी स्कोर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं निजी क्षेत्र में अन्य भर्ती एजेंसी के साथ साझा किया जा सकता है। इससे ऐसे संगठनों को बचत लागत एवं भर्ती पर समय बिताने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश पहले ही सीईटी स्कोर का उपयोग करने में रुचि दिखा चुका है।

(सी) ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए मॉक टेस्ट – NRA ऐसे उम्मीदवारों की सुविधा के लिए मॉक टेस्ट आयोजित करेगा। मॉक टेस्ट के अलावा, 24×7 हेल्पलाइन एवं शिकायत निवारण पोर्टल भी उपलब्ध कराया जाएगा।

नई सदी की भर्ती में सुधार

- लगभग चार दशकों के पारंपरिक कलम एवं कागज या ओएमआर आधारित संगठन–विशिष्ट भर्ती परीक्षाओं के बाद, एनआरए इस सदी में पहली बार पथप्रदर्शक सुधार के साथ आया है। न्यू इंडिया एवं इसके आकांक्षी युवाओं में हो रहे सकारात्मक बदलाव। एनआरए के साथ, करोड़ों आकांक्षी युवा एक नए करियर पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।

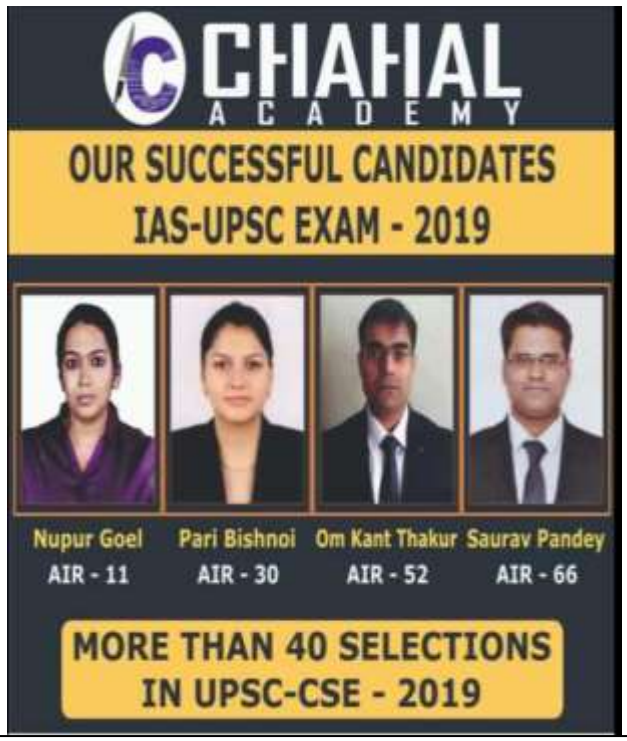

CHAHAL ACADEMY

Chahal Academy has pan India presence

VISIT US AT

N New Delhi: 982-155-3677
Corporate Office
Office No.B-7, Lower Ground floor, Apsara Arcade Near Karol Bagh, Metro Gate No. 7, New Delhi - 110060

M Mumbai Branch: 990-911-1227
415, Pearl Plaza Building, 4th Floor, Exactly opp Station Next to Mc Donalds. Andheri West, Andheri West, Mumbai, Maharasthra,-

K Kolkata : 728-501-1227
31/3, Bankim Mukherjee Sarani, New Alipore, Block J- Siddharth Apartment, 3rd Floor, Opposite Corporation Bank, Kolkata - 700053, West Benga

A Ahmedabad: 726-599-1227
Office No. 104, First Floor Ratna Business Square, Opp. H.K.College, Ashram Road, Ahmedabad - 380009

A Anand: 720-382-1227
Head Office
T9-3rd Floor Diwaliba Chambers,Vallabh Vidyanagar, Near ICICI Bank, Bhai Kaka Statue, Anand - 388120

B Bhubaneswar : 720-191-1227
1899/3902, First Floor, Lane No. 2, Near Laxmi Narayan Temple, Nilakantha Nagar, Nayapalli, Bhubaneswar - 751006, Odisha.

C Chandigarh : 726-591-1227
2nd Floor, SCO-223, Sector-36-D, Above Chandigarh University Office, Chandigarh - 160036.

D Dehradun Branch: 721-119-1227
Near Balliwala Chowk, General Mahadev Singh Road, Kanwali, Dehradun, Uttarakhand- 248001.

G Gandhinagar: 6356061801
Office No. 122 , 1st Floor , Siddhraj Zori , KH, O, Sargasan Cross Road, Gandhinagar, Gujarat 382421

K Kanpur : 720-841-1227
2nd Floor, Clyde House, Opposite Heer Palace Cinema, The Mall Road, Kanpur Cantonment, Kanpur - 208004, Uttar Pradesh.

P Patna : 726-591-1227
3rd Floor, Pramila mansion, Opposite Chandan Hero Showroom, Kankarbagh Patna - 800020, Bihar

R Raipur Branch: 728-481-1227
D-117, first floor, Near Shri Hanuman Mandir, Sector-1, Devendra Nagar, Raipur, Chattisgarh- 492009.

R Rajkot Branch: 762-401-1227
3rd Floor,Balaji House 52 Janta Society Opp LIC Of IndiaTagore Road Rajkot 360001

R Ranchi: 728-491-1227
3rd Floor, SMU Building, Above Indian Overseas Bank, Purulia Road, New Barhi Toli, Ranchi - 834001, Jharkhand.

S Surat: 720-391-1227
Office No. 601, 6th Floor, 21st Century Business Centre, Besides World Trade Centre, Near Udhna Darwaja, Ring Road Surat - 395002

V Vadodara: 720-390-1227
102-Aman Square, Besides Chamunda Restaurant, Behind Fatehgunj Petrol Pump, Vadodara, Gujarat- 390002

COMING SOON : BENGALURU| GUWAHATI |HYDRABAD | JAIPUR | JAMMU | KOCHI | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE

Write us at: chahalacademy@gmail.com | www.chahalacademy.com

Follow us at: YouTube Linked in

Published on
SEPTEMBER / 2020